महिला विशेषांक

वाणी

वर्ष : 39 अंक : 148 मार्च 2026

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
तिमाही गृह पत्रिका

पत्रिका पढ़ने के लिए,
क्यूआर कोड स्कैन करें

गतिविधियाँ

गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2026 को केन्द्रीय कार्यालय परिसर में ध्वाजारोहण करते हुए प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी **श्री अजय कुमार श्रीवास्तव** एवं साथ में उपस्थित हैं अन्य कार्यपालक गण

आइओबी के 90वें स्थापना दिवस के अवसर पर बैंक के संस्थापक **श्री एम सीटी एम चिदम्बरम चेट्टियार** की प्रतिमा पर माल्यार्पणोपरांत उनके परिजनों के साथ बैंक के शीर्ष कार्यपालक गण

वाणी

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की तिमाही गृह पत्रिका

वर्ष : 39 अंक 148 मार्च 2026

संदेश

सचिव, सचिव विभाग, गृह मंत्रालय का संदेश 3
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश 4
कार्यपालक निदेशक का संदेश 5
कार्यपालक निदेशक का संदेश 6
महा प्रबंधक का संदेश 7

संपादकीय

हर क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी 8

विशेष आलेख

घर से बोर्डरूम तक: टिकाऊ जीवनशैली को आगे बढ़ाती महिलाएँ 9
फॉलोइंग माई पेंट ब्रश 12
आशा भोसले – एक अमर आवाज़ की कहानी 17
भारतीय संविधान के निर्माण में महिलाओं का योगदान 20
महिला सशक्तिकरण: समान अवसरों से उज्ज्वल भविष्य की ओर 23
राजमाता अहिल्याबाई होळकर : 'दार्शनिक रानी' 26
डॉ. मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी : भारतीय समाज सुधार और महिला सशक्तीकरण की अग्रदूत 33
शक्ति स्वरूपा नारी और शक्ति पीठों के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक अंतर्संबंध 35
सूचना प्रौद्योगिकी में राजभाषा हिंदी 38
डिफेंस में महिलाओं का योगदान 41
पलक मुच्छल : दिल से दिल तक 43
हिंदी साहित्य में महिला साहित्यकारों का योगदान 47
नारी शक्ति वंदन अधिनियम 50
समावेशी भविष्य की अग्रदूत 'दि रॉकेट वूमन' रितु करिधल 53

बैंकिंग व अन्य लेख

फूलवती का सहारा 11
क्या कृत्रिम मेधा बैंकरों की जगह ले सकता है ? 15
क्षेत्रीय भाषाएं एवं उसके प्रभाव 55

कविता

प्रेरणा की उड़ान 10
ऑफिस रोजनामचा 45
रानी लक्ष्मी सा है नारी का अवतार !! 52

फ़ोटो फ़ीचर

क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की झलकियाँ 29 व 32
केंद्रीय कार्यालय में आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की झलकियाँ 30-31

विविधा

शब्द शब्दांतर 25
ज्ञान के मोती 40
हंसी की फुलझड़ियाँ 46
राजभाषा प्रश्नोत्तरी 57
प्रतिस्पन्दन 58
डिजिटल लाइब्रेरी 60

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
की तिमाही गृह पत्रिका

वाणी

वर्ष : 39 अंक 148 मार्च 2026

तुम वहन कर सको जन-मन में मेरे विचार !
वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार ?

मुख्य संरक्षक
अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संरक्षक
जयदीप दत्ता रॉय
कार्यपालक निदेशक

संरक्षक
धनराज टी
कार्यपालक निदेशक

परामर्शदाता
नितेश कुमार सिन्हा
महा प्रबंधक

संपादक
कृष्ण कुमार गुप्ता
मुख्य प्रबंधक

संपादन सहयोग
नगेन्द्र कुमार सिंह
वरिष्ठ प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय

संपादन सहयोग
शुभम दीक्षित
प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय

मुद्रक
कृष्णराज प्रिंटर्स
36 देवराजन स्ट्रीट, रॉयपेट्टा
चेन्नै 600 014, तमिलनाडु
दूरभाष : 044-28481125

वाणी में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के निजी हैं ।
बैंक का इनसे सहमत होना ज़रूरी नहीं है ।

पत्र व्यवहार का पता
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय,
763 अण्णा सालै, चेन्नै 600002
फैक्स : 044-28551618
दूरभाष : 044-28519572
ई-मेल : official@iobnet.co.in

केवल आंतरिक परिचालन हेतु

अंशुली आर्या, आई.ए.एस.
सचिव
ANSHULI ARYA, I.A.S.
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

फा.सं. 11014/10/2025-रा.भा. (पत्रिका) दिनांक : 16 मार्च, 2026

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा अपनी गृह पत्रिका 'वाणी' के 148वें अंक को महिला विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा में प्राचीन काल से ही नारी को वंदनीय माना गया है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में नारी की गरिमा और महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहा गया है "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः" अर्थात् जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहीं सुख, समृद्धि और दिव्यता का वास होता है। यह उक्ति हमारे समतामूलक और प्रगतिशील समाज की आधारभूत भावना को अभिव्यक्त करती है।

इण्डियन ओवरसीज बैंक द्वारा "महिला विशेषांक" का प्रकाशन एक सराहनीय प्रयास है, जो महिला सशक्तीकरण के प्रति बैंक की सकारात्मक सोच एवं प्रतिबद्धता को प्रभावी रूप से दर्शाता है। मैं आशा करती हूँ कि इस विशेषांक में बैंक की महिला कार्मिकों की उल्लेखनीय उपलब्धियों, नेतृत्व क्षमता, नवाचारशीलता तथा कार्य कुशलता को प्रभावशाली ढंग से उजागर करने वाले उत्कृष्ट लेखों का सुविचारित संकलन प्रस्तुत किया जाएगा।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक इस सार्थक पहल के लिए हार्दिक बधाई का पात्र है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह विशेषांक राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन को नई गति, ऊर्जा और व्यापकता प्रदान करने के साथ-साथ संगठन में समावेशी, संवेदनशील तथा प्रगतिशील कार्य-संस्कृति को और अधिक सुदृढ़, सशक्त एवं प्रेरणादायी बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

अं आर्या

(अंशुली आर्या)

तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
फोन : (91) (11) 23438266, फैक्स : (91) (11) 23438267, ई-मेल : secy-ol@nic.in

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश

प्रिय आइओबियन्स,

मुझे जानकर खुशी हुई कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे राजभाषा विभाग ने वाणी पत्रिका का मार्च अंक महिला कर्मियों को समर्पित किया है। निस्संदेह नारी के बिना सृष्टि के अस्तित्व की कल्पना असंभव है। हमारी नारी शक्ति देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। वे राष्ट्र निर्माण में न ही सिर्फ अपना अमूल्य योगदान दे रही हैं बल्कि हर सेक्टर में अपनी अमिट छाप भी छोड़ रही हैं। आज देश के हर सेक्टर में नारी शक्ति मिसाल बन रही है। विज्ञान व प्रौद्योगिकी से लेकर उद्यमशीलता तक, खेल के मैदान से लेकर सशस्त्र बलों तक संगीत से लेकर कला के क्षेत्रों में महिलाएं अपनी सशक्त पहचान बना रही हैं। हमारे पारंपरिक मूल्य बताते हैं कि कोई भी समाज तभी प्रगति करता है जब महिलाओं को आगे बढ़ने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिलता है। शिक्षा तक बढ़ती पहुँच, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, वित्तीय समावेशन में बढ़ोतरी और बुनियादी सुविधाओं में हुई वृद्धि ने आर्थिक और सामाजिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी को मजबूती दी है।

महिलाओं के विकास में बैंकिंग क्षेत्र ने भी कई सारे दूरगामी प्रयास किये हैं। कह सकते हैं कि इस दिशा में एसएचजी एक सफल प्रयोग है। रोजगार का सृजन एवं बचत एसएचजी का एक अभिन्न अंग है। इसके जरिए सुदूर ग्रामीण महिलाएं बैंकिंग की परिधि में आ सकीं। उनके जीवन स्तर में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला। हमारा बैंक एसएचजी लिंकेज से भी अछूता नहीं रहा है। हाल ही में फरवरी माह में राष्ट्रीय स्तर पर एसएचजी लिंकेज में उत्तम कार्य-निष्पादन करने के लिए केंद्र सरकार से हमारे बैंक को उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बैंक समय-समय पर सिर्फ महिलाओं के लिए नवीन उत्पाद लेकर आता है। इस दिशा में हमारा नवीनतम उत्पाद 'आइओबी सखी' है, जिसके जरिए महिलाएं अपने वैयक्तिक लक्ष्य को साध सकती हैं, कारोबार बढ़ा सकती हैं और अपनी वित्तीय स्थिति को संवार सकती हैं। हमने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए महिलाओं के लिए आइओबी पिंक व्हील्स उत्पाद की शुरुआत की है। यह उत्पाद सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को दो पहिया वाहन ऋण के लिए पात्र बनाता है। इन उत्पादों की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसकी विशेषताओं से महिला ग्राहकों को परिचित करवाएं।

आप अवगत हैं कि बैंकों के लिए कासा में निरंतर बढ़ोतरी एक महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है। कासा न सिर्फ बैंक की पूंजी को बढ़ाता है बल्कि ऋण देने की क्षमता को भी बल देता है। मार्च तिमाही में बैंक द्वारा चलाए गए एक सफल अभियान 'डिपॉजिट पॉवर प्ले' में लगभग सभी स्टाफ सदस्यों ने सभी यूनिट से बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। आप सभी को इस कैंपेन से जुड़ने एवं सक्रिय सहभागिता के लिए हार्दिक धन्यवाद! आपने सिद्ध कर दिया कि टीम वर्क से किसी भी कार्य को साधा जा सकता है। आप इस उत्साह, उमंग एवं हौसले को जारी रखें। हमें उम्मीद है कि मार्च तिमाही का वित्तीय परिणाम बैंक के लिए एवं हमारे हितधारकों के लिए सुखद होगा।

साथियो नए वित्तीय वर्ष का शुभारंभ हो चुका है। इस वर्ष भी पिछले वित्तीय वर्ष की भांति बहुतेरे अभियान चलाए जाएंगे। अपेक्षा है कि उन अभियानों से आप पूरे मनोयोग एवं तल्लीनता से जुड़ेंगे और सक्रिय रूप से अपनी सहभागिता दर्ज़ करेंगे। क्षेत्रों को बिजनेस संबंधी लक्ष्य आवंटित कर दिए गए हैं। क्षेत्रीय कार्यालय एवं शाखाएं लक्ष्य को हासिल करने के लिए तालमेल बिठाकर कार्य करें। अंतत: हमारा ध्येय है कि वित्तीय परिणाम में अपेक्षित आंकड़ें दिखें। इस वित्तीय वर्ष का सफल आगाज़ करने के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए मुझे गोपालदास 'नीरज' की दो पंक्तियां याद आ रही हैं:

फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थर से रसधार निकल सकती है,
इंसान अगर अपनी पे आ जाए तो, कैसी भी हो तकदीर बदल सकती है।

शुभकामनाओं सहित,

अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कार्यपालक निदेशक का संदेश

"यदि कुलोन्नयने सरसं मनो, यदि विलासकलासु कुतूहलम्।
यदि निजत्वमभीप्सितमकेदा, कुरु सताँ श्रुतशीलवतीं तदा।"

(अभिज्ञानशाकुन्तलम्, षष्ठम अंक)

“यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे कुल की उन्नति हो । यदि तुम्हें ललित कलाओं में रुचि है । यदि तुम अपना और अपनी सन्तान का कल्याण करना चाहते हो तो अपनी कन्या को विद्या, धर्म और शील से युक्त करो”।

यह बेहद प्रसन्नता की बात है कि राजभाषा विभाग विगत कई वर्षों से बैंक की तिमाही पत्रिका वाणी के मार्च अंक को 'महिला विशेषांक' के रूप में प्रकाशित कर रहा है । किसी भी जीवंत राष्ट्र और प्रगतिशील समाज की पहचान इस बात से होती है कि वहां महिलाओं को कितनी स्वतंत्रता, सम्मान और अवसर प्राप्त हैं। आज के इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में महिलाएं केवल समाज का आधा हिस्सा मात्र नहीं हैं, बल्कि वे उस धुरी के समान हैं जिसके चारों ओर राष्ट्र का भविष्य और अर्थव्यवस्था घूमती है। यह विशेषांक हमारी उन तमाम महिला सहयोगियों और ग्राहकों के प्रति एक सम्मान है, जो अपनी अदम्य इच्छाशक्ति से निरंतर इतिहास रच रही हैं।

सामाजिक लाभ की दृष्टि से देखें तो महिला सशक्तिकरण का सीधा प्रभाव बाल शिक्षा और स्वास्थ्य पर पड़ता है। आर्थिक सशक्तिकरण किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की पहली और बुनियादी शर्त है। एक आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला अपने बच्चों की शिक्षा और पोषण पर अधिक निवेश करती है, जिससे एक स्वस्थ और शिक्षित भावी पीढ़ी का निर्माण होता है। इस संदर्भ में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका अत्यंत निर्णायक हो जाती है। आइओबी ने महिलाओं को केवल 'खाताधारक' के रूप में नहीं, बल्कि 'आर्थिक शक्ति' के रूप में पहचान दिलाई है। वित्तीय समावेशन के माध्यम से आज सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हमारे माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा रही हैं। हमारे बैंक ने विशेष रूप से महिला उद्यमियों के लिए अनुकूल ऋण योजनाएं, कम ब्याज दरें और प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराकर हमने उन्हें आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर किया है।

अंत में, मैं हमारे बैंक की उन सभी महिला अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रशंसा करना चाहता हूँ, जो पूरी निष्ठा के साथ पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाकर बैंक की प्रगति में योगदान दे रही हैं। आपकी मेहनत और समर्पण ही हमारे बैंक की असली ताकत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह 'महिला विशेषांक' पाठकों के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी सिद्ध होगा। इसमें संकलित लेख और सफलता की कहानियां अन्य महिलाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। आइए, हम सब मिलकर एक ऐसे वातावरण का निर्माण करें जहां हर महिला को अपनी पूर्ण क्षमता का प्रदर्शन करने का समान अवसर मिले।

शुभकामनाओं सहित,

जयदीप दत्ता रॉय

जयदीप दत्ता रॉय
कार्यपालक निदेशक

कार्यपालक निदेशक का संदेश

साथियो,

यह जानना हर्ष से भर देता है कि हमारा राजभाषा विभाग बैंक की तिमाही गृह पत्रिका 'वाणी' के मार्च 2026 अंक को नारी शक्ति को समर्पित करते हुए प्रकाशित कर रहा है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति की माप महिलाओं के सशक्तिकरण से की जा सकती है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ स्त्रियाँ केवल परिवार की धुरी ही नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन की मुख्य संवाहक बन चुकी हैं। भारतीय संस्कृति में नारी को 'शक्ति' का पर्याय माना गया है। बैंकिंग जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी ने कार्यक्षेत्र को अधिक संवेदनशील, अनुशासित और परिणामोन्मुखी बनाया है।

तमिलनाडु की इस पावन भूमि से जुड़े होने के चलते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक सदैव यहाँ की महान सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करता रहा है। इस संदर्भ में महिला सशक्तिकरण की जब भी बात आती है, तो स्वतः ही आधुनिक तमिल साहित्य के युगपुरुष महाकवि सुब्रमण्यम भारती (भरतियार) का स्मरण हो जाता है। उन्होंने आज से लगभग सौ वर्ष पूर्व ही 'पुदुमई पेन' अर्थात् 'आधुनिक नारी' की कल्पना की थी।

"பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில்
பெண்கள் நடத்த வந்தோம்"
"पट्टंगल आल्वातुम सत्टंगल सेय्वतुम पारिनिल पेनगल नडत्त वंदोम"

अर्थ: "महिलाएँ इस संसार में केवल घर सँभालने के लिए नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने, शासन करने और राष्ट्र के लिए नियम-कानून बनाने के लिए आई हैं।"

भरतियार जी का मानना था कि जब तक समाज अपनी महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता और शिक्षा नहीं देगा, तब तक वह प्रगति की दौड़ में पीछे ही रहेगा। उनकी यह सोच आज हमारे बैंक के विजन में स्पष्ट रूप से झलकती है, जहाँ महिलाओं को केवल ग्राहक के रूप में ही नहीं, बल्कि सशक्त आर्थिक निर्णय लेने वाली इकाई के रूप में देखा जाता है। इण्डियन ओवरसीज़ बैंक सदैव से महिलाओं के वित्तीय उत्थान के प्रति संकल्पबद्ध रहा है। अपने इस विजन को मूर्त रूप देने और विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण के सक्रिय भागीदार की भूमिका निभाने के उद्देश्य से बैंक ने आइओबी महिला समृद्धि, आइओबी पिंक व्हील्स, महिला सक्षम, आइओबी शक्ति, भूमिशक्ति जैसे तमाम उत्पाद व योजनाएँ तैयार की हैं ताकि हमारी महिला ग्राहक सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें।

आज की महिला बहुआयामी भूमिकाएँ निभा रही है। वह एक कुशल प्रबंधक है जो घर और दफ्तर के बीच संतुलन बनाए रखती है। बैंक के भीतर भी हमारे पास महिला अधिकारियों और कर्मचारियों का एक बड़ा प्रतिशत है, जो अपनी कर्तव्यनिष्ठा से बैंक को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। मुझे विश्वास है कि यह अंक न केवल प्रेरणादायी होगा, बल्कि समाज में महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को और सुदृढ़ करेगा। महाकवि भरतियार के शब्दों में कहें तो, "नारी की स्वतंत्रता ही देश की सच्ची स्वतंत्रता है।"

सादर,

धनराज

धनराज टी
कार्यपालक निदेशक

महा प्रबंधक का संदेश

उत्कृष्टता की ओर अग्रसर किसी भी संगठन की पहचान उसके कर्मियों की प्रतिबद्धता, सामूहिक प्रयास और समावेशी दृष्टिकोण से निर्मित होती है और जब इस प्रक्रिया में नारी शक्ति का सशक्त, संवेदनशील एवं नेतृत्वकारी योगदान सम्मिलित होता है, तब संगठन की प्रगति और अधिक व्यापक, संतुलित एवं सार्थक बन जाती है। वाणी पत्रिका का महिला विशेषांक इसी प्रेरणादायी भाव का सशक्त प्रतिरूप है, जो नारी सशक्तिकरण एवं उनकी बहुआयामी उपलब्धियों को प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करता है।

नारी केवल समाज की आधी आबादी नहीं, बल्कि सृजन, संवेदना, शक्ति और नेतृत्व की सशक्त अभिव्यक्ति है। वर्तमान समय में महिलाएँ न केवल पारंपरिक भूमिकाओं का सफल निर्वहन कर रही हैं, बल्कि प्रशासन, प्रबंधन, वित्तीय क्षेत्र एवं नवाचार के विविध आयामों में भी अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर रही हैं। वे अपनी दक्षता, दूरदर्शिता एवं निर्णय क्षमता के माध्यम से संगठनात्मक उत्कृष्टता को नई दिशा प्रदान कर रही हैं।

हमारे बैंक में भी महिला सहयोगियों ने अपनी प्रतिबद्धता, कार्यनिष्ठा एवं नेतृत्व कौशल के बल पर उल्लेखनीय उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। उन्होंने न केवल अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है, बल्कि कार्यस्थल की संस्कृति को अधिक संवेदनशील, समावेशी एवं प्रेरणादायी बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

हाल ही के पदोन्नति परिणाम हमारे बैंक की प्रतिभा, परिश्रम एवं पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली का सशक्त प्रतिबिंब हैं। यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत प्रगति की सूचक नहीं, बल्कि हमारे संस्थागत सामर्थ्य एवं कार्य-संस्कृति की उत्कृष्टता का भी प्रमाण है। इस अवसर पर मैं उन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ, जिन्होंने अपनी लगन, दक्षता एवं निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नति प्राप्त की है। यह हमारे लिए विशेष संतोष का विषय है कि हमारी महिला सहयोगियों ने भी इस प्रक्रिया में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते हुए नेतृत्व के विभिन्न स्तरों पर अपनी सशक्त एवं प्रभावी उपस्थिति स्थापित की है।

हमारा बैंक एक ऐसे कार्यपरिवेश के निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध है, जो पारदर्शिता, समान अवसर एवं समावेशिता के सिद्धांतों पर आधारित हो। यह महिला विशेषांक नारी शक्ति की उपलब्धियों, अनुभवों एवं प्रेरणादायी विचारों को अभिव्यक्ति देने का एक प्रयास है। निःसंदेह, यह अंक पाठकों के लिए प्रेरणा का स्रोत सिद्ध होगा तथा कार्यस्थल पर समानता, सम्मान एवं उत्कृष्टता की भावना को और अधिक सुदृढ़ करेगा।

मैं वाणी पत्रिका की संपादकीय टीम को इस उत्कृष्ट एवं सराहनीय प्रयास हेतु हार्दिक बधाई देता हूँ।

आइए, हम सभी मिलकर एक ऐसे कार्यपरिवेश के निर्माण हेतु निरंतर प्रयासरत रहें, जहाँ समान अवसर, पारस्परिक सम्मान एवं सतत् प्रगति हमारे मार्गदर्शक मूल्य बनें।
सादर,

एन. के. सिन्हा

नितेश कुमार सिन्हा
महा प्रबंधक

हर क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी

प्रिय पाठको,

हमने परंपरा की निरंतरता को बरकरार रखते हुए अपनी त्रैमासिक गृह-पत्रिका 'वाणी' के इस अंक को महिलाओं को समर्पित किया है । यह सार्वभौमिक सत्य है कि समाज के व्यापक व सर्वांगीण विकास तथा समावेशी प्रगति को सुनिश्चित करने में महिलाओं की हिस्सेदारी और जिम्मेवारी कम नहीं रही है । इस दिशा में महिलाओं की भूमिका अत्यंत प्रेरणास्पद और महत्वपूर्ण है । हमें अपनी पत्रिका में यह उल्लेख करते हुए बिल्कुल भी झिझक नहीं हो रही है कि आइओबी बैंकिंग उद्योग में महिलाओं को रोजगार देने और उनके समग्र विकास में अग्रणी है । हमारे बैंक की उन्नति में शाखाओं समेत केंद्रीय कार्यालय की महिलाएं अपनी प्रतिभा, मेहनत और समर्पण के साथ सतत रूप से योगदान दे रही हैं । वे केवल अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन ही नहीं कर रही हैं बल्कि बैंकिंग सेवाओं को अधिक संवेदनशील और ग्राहक-कंद्रित बनाने में अग्रणी भूमिका भी निभा रही हैं ।

आज नारी घर की चहारदिवारी से बहुत आगे बढ़ चुकी है । वे अपनी मेहनत एवं लगन से हर क्षेत्रमें प्रगति कर रही हैं । वे कला से विज्ञान तथा अध्यात्म से लेकर आकाश की अनंत ऊँचाइयों को छूने में समर्थ हुई हैं । अब उनकी काबिलियत सारा विश्व देख रहा है । सेना में भी उनके बढ़ते कदम इस बात का गवाह है कि वहाँ भी समाजिक असामनता बहुत हद तक कम हुई है । इस अंक में आप देखेंगे कि हमारे लेखकों ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को शब्दों में उकेरने की पूरी तल्लीनता व सादगी से प्रयास किया है । विभिन्न क्षेत्रों में अपनी लोहा मनवाने वाली विदुषियों एवं कर्मठ महिलाओं को आपसे परिचित कराया गया है । ऐसे तो वे किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं लेकिन हमारा प्रयास उनके प्रति असीम श्रद्धा प्रकट करना है ।

वाणी के इस अंक में नियमित सभी स्तंभों को स्थान दिया गया है । साथ ही, इसमें भाषागत, बैंकिंग एवं साहित्यिक आलेख भी शामिल हैं । एक ओर 'घर से बोर्डरूम तक महिलाएं' विषयक आलेख में महिलाओं की सशक्त छवि एवं शीर्ष प्रबंधन में उनकी भागीदारी पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है, 'राजमाता अहिल्या बाई होळकर" पर लिखित आलेख में मंदिरों के जीर्णोदार करने में उनकी महती भूमिका तथा उनकी अध्यात्मिक सोच को अंकित किया गया है, 'दि रॉकेट वूमन रितु करिधल' पर समावेशित आलेख विज्ञान में उन की अभूतपूर्व योगदान को रेखांकित करता है, 'डिफेंस में महिलाओं के योगदान' विषयक आलेख में रक्षा फील्ड में कंधे-से-कंधा मिलाकर आगे बढ़ती बेटियों की दास्तान है, "आशा भोसले – एक अमर आवाज" आलेख में सुरों की रानी की स्मृतियों को बखूबी संजोने का संजीदा प्रयास किया गया है वहीं दूसरी ओर बैंकिंग आलेख में 'क्या कृत्रिम मेधा बैंकरों की जगह ले सकता है' और 'फूलवती का सहारा यानी अ‍ॅटल पेंशन योजना की कामयाबी" जैसे महती विषयों पर गहन चर्चा की गई है । हिंदी साहित्य को समृद्ध करने वाली महिला साहित्यकारों के अप्रतिम योगदान को भी यहाँ समेटने का प्रयास किया गया । इस अंक के प्रकाशन में सहयोग देने वाले सभी रचनाकारों को ढेर सारी शुभकामनाएं ! अपेक्षा है कि आगे भी आप सभी इसी तरह पत्रिका के प्रकाशन में अपना सहयोग देते रहेंगे ।

आपका,

कृष्ण कुमार गुप्ता
मुख्य प्रबंधक सह संपादक

घर से बोर्डरूम तक: टिकाऊ जीवनशैली को आगे बढ़ाती महिलाएँ

शिव कुमार यादव, वरिष्ठ प्रबंधक, जोखिम प्रबंधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय

सतत विकास (सस्टेनेबिलिटी) पर अक्सर वैश्विक सम्मेलनों, नीति मंचों और कॉरपोरेट बोर्डरूम में चर्चा होती है। लेकिन इसकी वास्तविक नींव घर से ही शुरू होती है। भारत में पीढ़ियों से महिलाएँ चुपचाप सतत जीवनशैली अपनाती रही हैं, उस समय से भी पहले जब यह एक वैश्विक आंदोलन बना। भोजन का सही प्रबंधन, पानी की बचत, कचरे में कमी और घरेलू आय-व्यय का संतुलन, इन रोज़मर्रा के निर्णयों के माध्यम से उन्होंने जिम्मेदार उपभोग की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। आज जब जलवायु परिवर्तन एक गंभीर वैश्विक चुनौती बन चुका है, तब इन पारंपरिक आदतों को पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान के रूप में देखा जा रहा है। घर से बोर्डरूम तक की यह यात्रा जिम्मेदारी में बदलाव नहीं, बल्कि प्रभाव के विस्तार की कहानी है।

भारतीय परिवारों में महिलाएँ लंबे समय से संसाधनों के प्रबंधन की भूमिका निभाती आई हैं। भोजन की योजना इस प्रकार बनाना कि बर्बादी न हो, डिब्बों और वस्तुओं का पुनः उपयोग करना, दैनिक कार्यों में पानी की बचत करना और अनावश्यक उपकरणों को बंद रखना, ये केवल बचत के उपाय नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के कार्य हैं। जब ये आदतें करोड़ों घरों में अपनाई जाती हैं, तो वे कचरे की मात्रा कम करती हैं, ऊर्जा की मांग घटाती हैं और अप्रत्यक्ष रूप से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाती हैं। जो साधारण घरेलू आदतें प्रतीत होती हैं, वे बड़े स्तर पर जलवायु कार्रवाई का रूप ले लेती हैं।

सतत उपभोग के क्षेत्र में भी महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। परिवार के खरीद संबंधी निर्णयों में अक्सर महिलाओं का प्रभाव होता है—जैसे स्थानीय और मौसमी सब्जियों को चुनना, टिकाऊ वस्तुएँ खरीदना, हैंडलूम वस्त्रों को प्राथमिकता देना और पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों का उपयोग करना। ये निर्णय बाजार को स्पष्ट संदेश देते हैं। जब उपभोक्ता हरित और जिम्मेदार उत्पादों की मांग करते हैं, तो उद्योग भी अपने उत्पादन तरीकों को अधिक टिकाऊ बनाते हैं। इस प्रकार महिलाओं के दैनिक निर्णय आर्थिक तंत्र को प्रभावित करते हैं और सतत आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देते हैं। जिम्मेदार उपभोग पर्यावरण के लिए लाभकारी होने के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी समझदारी भरा कदम है।

व्यक्तिगत व्यवहार और जलवायु परिणामों के बीच सीधा संबंध है। भोजन की बर्बादी से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। अधिक बिजली उपयोग से जीवाश्म ईंधन की खपत बढ़ती है। तेज फैशन (फास्ट फैशन) प्रदूषण और संसाधनों की कमी को बढ़ावा देता है। एकल-उपयोग प्लास्टिक पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाता है। इन आदतों में सुधार करके महिलाएँ पर्यावरणीय क्षति को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार टिकाऊ जीवनशैली घर-स्तर पर जलवायु जोखिम प्रबंधन का रूप ले लेती है।

जैसे-जैसे महिलाएँ पेशेवर क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, घर में अपनाए गए मूल्य कार्यस्थल की संस्कृति को भी प्रभावित कर रही हैं। विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व अब कागजरहित कार्यप्रणाली, ऊर्जा-कुशल कार्यालय, जिम्मेदार खरीद नीति और पारदर्शी ईएसजी रिपोर्टिंग को बढ़ावा दे रहा है। वे दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निर्णय लेने पर जोर देती हैं, जिसमें अल्पकालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक स्थिरता को महत्व दिया जाता है। जिस अनुशासन से वे घर का प्रबंधन करती हैं, वही दृष्टिकोण कॉरपोरेट शासन में भी दिखाई देता है।

भारत में कई प्रेरणादायक महिलाएँ हैं जिन्होंने सतत विकास को जन-आंदोलन का रूप दिया। वंदना शिवा ने जैव विविधता संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके प्रयासों ने यह सिद्ध किया है कि पारंपरिक ज्ञान और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा ही दीर्घकालिक पर्यावरण संतुलन की कुंजी है।

इसी प्रकार सुनीता नारायण ने भारत में पर्यावरण नीति निर्माण को दिशा दी है। उन्होंने शहरी नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण और जलवायु न्याय जैसे विषयों पर प्रभावी कार्य किया है। उनका नेतृत्व दर्शाता है कि पर्यावरणीय जिम्मेदारी को शासन व्यवस्था में शामिल करना आवश्यक है।

कॉरपोरेट जगत में इंदिरा नूयी का उदाहरण उल्लेखनीय है। उन्होंने अपने नेतृत्व में "परफॉर्मेंस विद पर्पज" की अवधारणा के माध्यम से व्यापारिक रणनीति में सतत विकास को शामिल किया। उनके कार्यकाल ने यह सिद्ध किया कि लाभ और जिम्मेदारी साथ-साथ चल सकते हैं।

उद्यमिता के क्षेत्र में फाल्गुनी नायर ने भी जिम्मेदार व्यावसायिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया है। उनका सफर यह दर्शाता है कि महिलाएँ उपभोक्ता व्यवहार और बाजार की दिशा दोनों को प्रभावित कर सकती हैं।

इन प्रसिद्ध नामों के अतिरिक्त, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों महिलाएँ सतत विकास की वास्तविक नायिकाएँ हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जैविक खेती, कचरा प्रबंधन और जल संरक्षण जैसे प्रयासों में वे अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु संकट की परिस्थितियों में भी महिलाएँ सामुदायिक स्तर पर समाधान प्रस्तुत करती हैं।

आज बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत महिलाएँ भी सतत विकास, ईएसजी और जलवायु उत्तरदायित्व को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वे केवल प्रशासनिक या संचालनात्मक कार्यों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हरित वित्त, ईएसजी डेटा संकलन एवं रिपोर्टिंग, जलवायु जोखिम पहचान, जिम्मेदार ऋण वितरण और सतत निवेश जैसे क्षेत्रों में सक्रिय योगदान दे रही हैं। जोखिम प्रबंधन, अनुपालन, ऋण मूल्यांकन और आंतरिक लेखा-परीक्षा विभागों में कार्यरत महिलाएँ यह सुनिश्चित करती हैं कि बैंक की नीतियाँ पर्यावरणीय और सामाजिक मानकों के अनुरूप हों। कागजरहित बैंकिंग, डिजिटल लेन-देन, ऊर्जा-कुशल शाखा संचालन और हरित उत्पादों के प्रसार में भी उनका योगदान उल्लेखनीय है। इस प्रकार बैंकिंग क्षेत्र की महिलाएँ केवल संस्थान के विकास में ही नहीं, बल्कि जलवायु-सुरक्षित और जिम्मेदार वित्तीय प्रणाली के निर्माण में भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

वित्तीय संस्थानों और कॉरपोरेट संगठनों के लिए भी सतत जीवनशैली महत्वपूर्ण है। यह केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि दीर्घकालिक जोखिम प्रबंधन और मूल्य सृजन का आधार है। महिला पेशेवर ईएसजी डेटा प्रबंधन, हरित वित्त और सुशासन को मजबूत करने में योगदान दे रही हैं। घर से सीखे गए अनुशासन और जिम्मेदारी के मूल्य संस्थागत कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाते हैं।

ईएसजी के सामाजिक और शासन आयामों में भी महिलाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विविधता बेहतर निर्णय क्षमता को बढ़ाती है। महिला नेतृत्व नैतिक आचरण, पारदर्शिता और सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करता है। इससे संस्थान अधिक जिम्मेदार और विश्वसनीय बनते हैं।

महिलाओं द्वारा अपनाई गई सतत जीवनशैली का सबसे बड़ा प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। बच्चे घर में जो देखते हैं, वही सीखते हैं—भोजन का सम्मान करना, पानी बचाना और प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना। ये मूल्य भविष्य के जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण करते हैं।

भारत की सतत विकास यात्रा केवल नीतियों या तकनीक पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि व्यवहारिक बदलाव पर भी आधारित होगी। महिलाएँ पहले से ही यह दिखा चुकी हैं कि परिवर्तन छोटे लेकिन सतत प्रयासों से शुरू होता है। घर की बत्ती बंद करने से लेकर बोर्ड मीटिंग में हरित नीति को स्वीकृति देने तक—सिद्धांत वही रहता है: संसाधनों की रक्षा आज, सुरक्षित भविष्य कल।

घर से बोर्डरूम तक की यह यात्रा पहचान का परिवर्तन नहीं, बल्कि प्रभाव का विस्तार है। महिलाएँ केवल भागीदार नहीं, बल्कि एक अधिक जिम्मेदार, संतुलित और समावेशी भविष्य की निर्माता हैं।

प्रेरणा की उड़ान

चलो उठें फिर से नए अरमान लेकर,
टूटे सपनों में भी छुपी है रोशनी बनकर।
रात चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो,
सुबह की किरण आती है उजाला बनकर।

मत डर तू आँधियों के शोर से,
ये तो बस हिम्मत को परखने आती हैं।
जो डटा रहे अपने विश्वास पर,
मंज़िल खुद कदम चूमने आती है।

थक कर बैठ जाना आसान बहुत है,
पर चलना ही तो जीवन की पहचान है।
हर गिरावट एक सीख सिखाती है,
हर कोशिश में छुपी नई उड़ान है।

सपनों को अपने दिल में सजाकर रख,
उम्मीद की लौ सदा जलाकर रख।
कदम छोटे हों तो भी मत रुकना,
इरादों को अपने मजबूत बनाकर रख।

सागर भी रास्ता देता है उसे,
जिसके इरादे पर्वत से ऊँचे होते हैं।
किस्मत भी साथ देती है उनका,
जो मेहनत के दीप खुद जलाते हैं।

तो चल आज फिर एक प्रण करें,
हार नहीं, बस जीत को जीवन करें।
आत्मविश्वास को अपना साथी बना,
हर दिन को नया उत्सव करें।

अजय कुमार
मुख्य प्रबंधक (संकाय)
स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र, कोलकाता

फूलवती का सहारा

पंकज गोयल, वरिष्ठ प्रबंधक, स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र, दिल्ली क्षेत्र

राजस्थान के छोटे से कस्बे रामपुरा में फूलवती नाम की एक साधारण, कम पढ़ी-लिखी गृहिणी रहती थी। उसकी दुनिया बस उसके परिवार तक सीमित थी— घर का काम, बच्चों की देखभाल और रोज़मर्रा की जिम्मेदारियाँ। उसका पति भोलाराम दिहाड़ी मजदूर था। जिस दिन काम मिलता, उस दिन घर में रौनक रहती... और जिस दिन काम नहीं मिलता, उस दिन चिंता बढ़ जाती। हर शाम फूलवती उससे पूछती— "आज काम मिला?" और उसके जवाब में ही अगले दिन की उम्मीद छुपी होती।

फूलवती ज्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थी, लेकिन उसे जिंदगी की सच्चाई अच्छे से समझ आती थी। वह अक्सर सोचती— "अगर बुढ़ापे में कमाई बंद हो गई तो क्या होगा?" "अगर हम दोनों में से किसी एक को कुछ हो गया, तो दूसरे का सहारा कौन बनेगा?"

एक दिन कस्बे में बैंक का एक शिविर लगा। फूलवती भी वहाँ जाकर चुपचाप बैठ गई और ध्यान से सुनने लगी। अधिकारी **अटल पेंशन योजना** के बारे में समझा रहे थे। फूलवती ने झिझकते हुए हाथ उठाया और धीमे स्वर में पूछा— "साहब... क्या हम जैसे गरीब लोग भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं?" अधिकारी ने मुस्कुराकर बड़े सरल शब्दों में समझाया— "हाँ बहनजी, यह योजना खास तौर पर आप जैसे मेहनतकश लोगों के लिए ही बनाई गई है, ताकि बुढ़ापे में आपको किसी पर निर्भर न रहना पड़े।" उन्होंने आगे बताया—

- 60 वर्ष के बाद हर महीने निश्चित पेंशन मिलती है।
- यदि पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो दूसरे को जीवनभर वही पेंशन मिलती रहती है।
- और दोनों के निधन के बाद, नामांकित व्यक्ति (जैसे बच्चों) को एकमुश्त राशि मिलती है।

राशि इस प्रकार है—

₹1,000 पेंशन पर लगभग ₹1.7 लाख

₹2,000 पर लगभग ₹3.4 लाख

₹3,000 पर लगभग ₹5.1 लाख

₹4,000 पर लगभग ₹6.8 लाख

₹5,000 पर लगभग ₹8.5 लाख

शिविर से लौटने के बाद फूलवती ने अपने पति भोलाराम को पूरी बात समझाई। उसने कहा— "अगर हम अभी थोड़ा-थोड़ा बचा लें, तो बुढ़ापे में हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी।" पति ने पहले संकोच किया, लेकिन फूलवती की बात में भविष्य की चिंता और समझदारी साफ दिख रही थी। कुछ सोचने के बाद दोनों ने मिलकर निर्णय लिया— वे अटल पेंशन योजना में नामांकन करेंगे। बैंक मैनेजर के समझाने पर उन्होंने भोलाराम के नाम से ₹5000 मासिक पेंशन वाली योजना चुन ली। हर महीने थोड़ी-थोड़ी राशि जमा होती रही।

कभी आर्थिक कठिनाई आई,

कभी खर्च ज्यादा हो गया,

लेकिन उन्होंने योजना जारी रखी।

फूलवती हमेशा कहती— "यह खर्च नहीं, हमारे भविष्य की सुरक्षा है।"

वक्त बीतता गया... बच्चे बड़े हुए... पढ़े-लिखे... अपने पैरों पर खड़े हो गए। और एक दिन 60 साल पूरे होते ही एक दिन मोबाइल पर मैसेज आया—"आपके खाते में पहली पेंशन जमा हो गई है। भोलाराम के बाल सफेद हो गए... लेकिन चेहरे पर एक अजीब-सा सुकून आ गया। भोलाराम कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रह गया...फिर उसकी आँखों से आँसू बह निकले। उसने पत्नी का हाथ पकड़कर धीमे स्वर में कहा— "देखो... अब हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा..." पत्नी की आँखों में भी आँसू थे...लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं... सुकून के थे।

भोलाराम ने उसकी ओर देखते हुए और भी भावुक होकर कहा— " अगर मैं कभी न भी रहूँ, तो तुम्हें हर महीने ये पेंशन मिलती रहेगी... तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी..." फूलवती ये सुनकर कुछ पल के लिए चुप रह गई... उसकी आँखों से आँसू बहने लगे, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं था... एक गहरा सुकून था... सुरक्षा का एहसास था | भोलाराम ने हल्की मुस्कान के साथ आगे कहा— "और अगर हम दोनों न भी रहें... तो बच्चों के लिए भी लगभग ₹8.5 लाख का सहारा रहेगा..." उस दिन भोलाराम को दिल से महसूस हुआ— पत्नी की समझदारी और बैंक मैनेजर की सही सलाह मानकर उसने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला लिया था।

अटल पेंशन योजना - यह योजना सुनिश्चित करती है कि—

बुढ़ापे में नियमित आय बनी रहे
जीवनसाथी को भी सुरक्षा मिले
और बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहे

फॉलोइंग माई पेंट ब्रश

स्नेहा प्रसाद, सहायक प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय पटना

बजट 2026 में, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पहनी गई मधुबनी प्रिंट की साड़ी से चर्चा में आई, मधुबनी पेंटिंग की लोक कलाकार एवं 2021 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली श्रीमती दुलारी देवी एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी व्यक्तित्व वाली सशक्त महिला हैं।

दुलारी देवी की जीवन यात्रा संघर्ष, साहस और कलात्मक उत्कृष्टता का एक अद्भुत उदाहरण है। मधुबनी (मिथिला) पेंटिंग के क्षेत्र में उनका योगदान न केवल कला को सहेजने के लिए है, बल्कि समाज के हाशिए पर खड़े लोगों के लिए एक प्रेरणा भी है।

2011 में, दुलारी देवी ने **"फॉलोइंग माई पेंट ब्रश"** नामक एक आत्मकथात्मक चित्रित पुस्तक प्रकाशित की, जिसे उन्होंने लेखिका और प्रकाशक गीता वुल्फ के साथ मिलकर लिखा था। जिसमें उन्होंने कोविड-19 लॉकडाउन के प्रभावों को दर्शाते हुए चित्र बनाए, जिन्हें प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने अपने ग्राफिक आर्ट्स कलेक्शन में संग्रहित किया। उनकी कलाकृतियाँ विलियम बेंटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में भी प्रदर्शित की गईं, जो एथनिक आर्ट फाउंडेशन और कैथरीन मायर्स द्वारा उनके कार्यों के दान के बाद आयोजित की गई थी। फिल्म निर्देशक नताशा उरबन दुलारी देवी पर आधारित "बेटर टू बी ए ट्री दैन ए गर्ल" नामक एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए शोध कर रही हैं। यह डॉक्यूमेंट्री बिहार की उन महिला कलाकारों पर केंद्रित होगी, जो प्राचीन मिथिला चित्रकला शैली का उपयोग कर भेदभाव और पितृसत्ता के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। दुलारी देवी के कार्य इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में मैथिली भाषा के पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। 2005 में, नरेंद्र नारायण सिन्हा द्वारा क्यूरेट की गई एक प्रदर्शनी में उनका कार्य प्रदर्शित किया गया, जो मधुबनी कला में पारंपरिक प्रतीकों के प्रयोग पर केंद्रित थी।2010 में, दुलारी देवी और अन्य लोक कलाकारों ने जनजातीय लोककथाओं को अपनी चित्रकला में दर्ज किया। यह कार्य तारा बुक्स द्वारा प्रकाशित "सन एंड मून" नामक सिल्क-स्क्रीन प्रिंट एंथोलॉजी का हिस्सा बना।

प्रारंभिक जीवन और संघर्ष

बिहार के मधुबनी जिले के **रांटी गांव** में जन्मी दुलारी देवी एक अत्यंत निर्धन मल्लाह (मछुआरा) परिवार से ताल्लुक रखती हैं। दुलारी देवी का जन्म 1968 में मल्लाह (मछुआरा) परिवार में हुआ था। उनका बचपन गरीबी की मार और अशिक्षा के बीच बीता; वे कभी स्कूल नहीं जा सकीं और छोटी उम्र से ही अपने माता-पिता के साथ मजदूरी और मछली पकड़ने के काम में हाथ बंटाने लगीं।

अशिक्षा और कम उम्र में विवाह: मात्र 12-13 साल की उम्र में उनका विवाह कर दिया गया। विवाह के कुछ समय बाद ही उन्होंने अपनी छह महीने की बेटी को खो दिया और ससुराल के तानों से परेशान होकर अपने मायके वापस लौट आईं।

उन्हें कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, लेकिन उन्होंने मधुबनी कला में चित्रांकन और चित्रण सीखना शुरू किया, जब वह प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार महासुंदरी देवी के घर में घरेलू सहायिका के रूप में काम कर रही थीं। महासुंदरी देवी ने उन्हें कर्पूरी देवी से मिलवाया, जिन्होंने दुलारी देवी को मधुबनी कला और उसकी तकनीकों की शिक्षा दी। काम के दौरान वह कलाकारों को पेंटिंग करते हुए ध्यान से देखती थीं। उनकी रुचि देखकर कर्पूरी देवी ने उन्हें कला की बारीकियां सिखानी शुरू कीं।

बाद में उन्होंने **गौरी मिश्रा** द्वारा संचालित संस्थान में औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया और धीरे-धीरे एक पेशेवर कलाकार के रूप में उभरीं।

कलात्मक शैली और योगदान

दुलारी देवी मधुबनी पेंटिंग की 'कछनी' (रेखाचित्र) और 'भरनी' (रंगों का उपयोग) दोनों शैलियों में निपुण हैं। उनकी पेंटिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे केवल धार्मिक कथाओं तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने अपने समुदाय के जीवन, ग्रामीण परिवेश, मछली पालन, और बाढ़ जैसे सामाजिक विषयों को अपनी कला का हिस्सा बनाया है।

उन्होंने अपनी कला को आधुनिक विषयों से भी जोड़ा, जैसे 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गांव में हेलीकॉप्टर से आना' और 'कोरोना काल का प्रभाव'।

प्राकृतिक रंगों का जादू

मधुबनी पेंटिंग की परंपरा को जीवित रखते हुए, दुलारी देवी

आज भी बाजार के सिंथेटिक रंगों के बजाय प्रकृति से प्राप्त रंगों का उपयोग करती हैं:

- **काला रंग:** चावल को जलाकर या दीये की कालिख (काजल) को गोबर के साथ मिलाकर बनाया जाता है।
- **पीला रंग:** हल्दी या 'पियूरी' (एक प्रकार की मिट्टी) और चूने को मिलाकर तैयार किया जाता है।
- **लाल रंग:** कुसुम के फूल के रस या लाल चंदन से प्राप्त किया जाता है।
- **हरा रंग:** बेल के पत्तों या सेम की पत्तियों को पीसकर निकाला जाता है।
- **सफेद रंग:** पिसे हुए कच्चे चावल के घोल (पिठार) का उपयोग किया जाता है।
- **चिपकाने वाला पदार्थ:** रंगों को स्थायी बनाने के लिए उनमें **बबूल का गोंद** मिलाया जाता है।

पेंटिंग तकनीकें

दुलारी देवी मधुबनी कला की दो मुख्य शैलियों में विशेषज्ञता रखती हैं:

- **कछनी:** इस शैली में केवल रेखाओं का उपयोग किया जाता है। इसमें रंगों के बजाय बारीक रेखाओं और डॉट्स के माध्यम से आकृतियों को भरा जाता है, जो इसे बहुत ही सूक्ष्म और कलात्मक बनाता है।
- **भरनी:** इसका अर्थ है "भरना"। इसमें रेखाओं के बीच चटकीले और जीवंत रंगों का उपयोग किया जाता है। दुलारी देवी को रंगों से खेलने वाली इस शैली में विशेष रुचि है।
- **उपकरण और रंग:** वे अपनी पेंटिंग के लिए **टहनियों,** उंगलियों, माचिस की तीलियों और निब-पेन का उपयोग करती हैं। रंगों के लिए वे पूरी तरह प्राकृतिक स्रोतों (जैसे पौधों और खनिजों) पर निर्भर रहती हैं।

विशेष पेंटिंग थीम्स

- **"मछली और मल्लाह" सीरीज:** यह उनकी सबसे प्रसिद्ध थीम है। इसमें वे मछुआरों को जाल फेंकते, नाव चलाते और मछली पकड़ते दिखाती हैं। वे मछली को **समृद्धि** के प्रतीक के रूप में बहुत बारीकी से चित्रित करती हैं। रूफटॉप पर उनके इन कलात्मक कार्यों के बारे में अधिक जाना जा सकता है।
- **दैनिक ग्रामीण जीवन:** पारंपरिक मधुबनी कला अक्सर देवताओं (राम-सीता) पर केंद्रित होती थी, लेकिन दुलारी देवी ने इसमें **गाँव की महिलाओं,** खेतों में काम करते किसानों और स्थानीय बाज़ार के दृश्यों को शामिल करके इसे "जन-जन की कला" बना दिया।
- **पौधों और पक्षियों का जाल:** उनकी 'कछनी' शैली में बने पेड़, पक्षी और फूल इतने बारीक होते हैं कि वे एक जादुई दुनिया जैसे लगते हैं।
- **पानी का जीवन:** उनकी पेंटिंग्स में **मछलियाँ, कछुए और केकड़े** बहुत बारीक और सुंदर तरीके से बनाए जाते हैं। मिथिला संस्कृति में मछली को 'शुभ' और 'प्रजनन क्षमता' का प्रतीक माना जाता है।
- **सामाजिक बदलाव:** पारंपरिक रूप से मधुबनी पेंटिंग ऊंची जातियों (ब्राह्मण और कायस्थ) की महिलाओं द्वारा की जाती थी। दुलारी देवी ने इस दीवार को तोड़कर **'दलित मधुबनी कला'** को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित किया।

एक विशेष पेंटिंग की कहानी: "कमला नदी और मल्लाह"

दुलारी देवी की सबसे चर्चित पेंटिंग्स में से एक वह है जिसमें वे **कमला नदी** के दृश्य दिखाती हैं:

- **भावुक जुड़ाव:** उनके समुदाय के लोग इस नदी को 'माँ' मानते हैं। पेंटिंग में वे दिखाती हैं कि कैसे नदी केवल पानी नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार का पेट पालने वाली देवी है।
- **विस्तार:** इस पेंटिंग में मछलियों के पैटर्न इतने बारीक होते हैं कि उन्हें पूरा करने में महीनों लग जाते हैं। इसमें वे अक्सर नाव पर बैठे लोगों के चेहरे के हाव-भाव भी दिखाती हैं, जो पुरानी मधुबनी कला में कम ही मिलता था।

"गणेश और जल-जीवन"

दुलारी देवी अक्सर भगवान गणेश को भी मछुआरों के परिवेश में चित्रित करती हैं। वे पारंपरिक देवताओं को लोक-जीवन से जोड़ देती हैं, जो उनकी कला को दूसरों से अलग बनाता है।

सामाजिक समरसता: उन्होंने मधुबनी पेंटिंग की 'महापात्र' और 'कायस्थ' शैलियों की सीमाओं को तोड़ते हुए एक नई 'मिश्रित शैली' विकसित की है, जो सबको साथ लेकर चलती है।

प्रमुख पुरस्कार और सम्मान

दुलारी देवी की कला को न केवल बिहार, बल्कि पूरे भारत और विदेशों में सराहा गया है:

- **पद्म श्री (2021):** यह उनका सबसे बड़ा सम्मान है। उन्हें कला के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा सम्मानित किया गया था।
- **बिहार राज्य पुरस्कार:** उन्हें बिहार सरकार द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है।
- **राष्ट्रीय पहचान:** 2025 के केंद्रीय बजट के दौरान, वित्त मंत्री **निर्मला सीतारमण** ने दुलारी देवी द्वारा बनाई गई साड़ी पहनकर उन्हें राष्ट्रीय मंच पर विशेष गौरव प्रदान किया।

- **प्रधानमंत्री की प्रशंसा:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके काम की सराहना की है और उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की है।

शिक्षण और प्रशिक्षण केंद्र

दुलारी देवी अपनी कला को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए बहुत सक्रिय हैं:

- **मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट:** वे पिछले कई वर्षों से मधुबनी के 'मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट' में बच्चों को पेंटिंग सिखा रही हैं। वर्तमान में वे वहां लगभग **80 बच्चों** को कला और लोक गीतों का प्रशिक्षण दे रही हैं।
- **ऑनलाइन शिक्षा:** आधुनिक युग के साथ कदम मिलाते हुए, दुलारी देवी **रूफटॉप** जैसे ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से भी मधुबनी कला सिखाती हैं, ताकि दुनिया भर के लोग घर बैठे इस कला को सीख सकें।
- **दुलारी देवी फाउंडेशन:** उनकी अपनी एक संस्था 'दुलारी देवी फाउंडेशन' भी है, जो मुख्य रूप से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कौशल विकास (सिलाई, कढ़ाई और पेंटिंग) पर काम करती है।

सामाजिक योगदान

वे विशेष रूप से **दलित और वंचित वर्ग की महिलाओं** को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। उनका मानना है कि कला केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीने का एक जरिया है। दुलारी देवी आज भी अपने गांव के मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट में फटी हुई चटाई पर बैठकर बच्चों को पेंटिंग सिखाती हैं। उनका मानना है कि "कला को तिजोरी में बंद नहीं, बल्कि बच्चों के हाथों में होना चाहिए।"

बजट 2026 और आधुनिक जुड़ाव

फरवरी 2026 के ताजा संदर्भ में, दुलारी देवी की कला की मांग अंतरराष्ट्रीय बाजारों में और भी बढ़ गई है। उनकी बनाई गई पेंटिंग्स अब न केवल कैनवास पर, बल्कि **फैशन और इंटीरियर डिजाइन** में भी एक 'स्टेटस सिंबल' बन चुकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेंट की गई साड़ी पर दुलारी देवी ने 'राम दरबार' और 'मिथिला के जनजीवन' की नक्काशी की थी। इस एक घटना ने दुलारी देवी को भारतीय हस्तशिल्प का 'पोस्टर फेस' बना दिया है। यह भारत के इतिहास में पहली बार था जब किसी कलाकार की व्यक्तिगत कलाकृति को इतने बड़े राष्ट्रीय मंच पर इस तरह सम्मान मिला।

दुलारी देवी की कहानी केवल कला की नहीं, बल्कि **अदम्य साहस** की है। उनके बारे में कुछ ऐसी अनोखी बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं:

1. **अक्षर ज्ञान से पहले कला का ज्ञान:** दुलारी देवी कभी स्कूल नहीं गईं और वे पूरी तरह अनपढ़ थीं। उन्होंने लिखना-पढ़ना नहीं, बल्कि रंगों से अपनी बात कहना सीखा। आज उनकी आत्मकथा "फॉलोइंग माय पेंट ब्रश" दुनिया भर के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई जाती है।

2. **₹5 की मजदूरी से पद्म श्री तक:** एक समय था जब वे खेतों में मजदूरी करती थीं और फिर कलाकार महासुंदरी देवी के घर झाड़-पोछा करने लगीं। वहीं फर्श साफ करते-करते उनकी नजरें पेंटिंग पर पड़ी और उन्होंने छुप-छुप कर अभ्यास शुरू किया।

3. **माचिस की तीली से कलाकारी:** शुरुआत में ब्रश खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वे **माचिस की तीली और बांस की लकड़ियों** को कूचकर ब्रश बनाती थीं। आज भी वे अपनी बारीक 'कछनी' शैली के लिए इन्हीं पारंपरिक तरीकों को प्राथमिकता देती हैं।

फॉलोइंग माई पेंट ब्रश (2011):

- **प्रकाशक और सह-लेखक:** यह पुस्तक **तारा बुक्स** द्वारा प्रकाशित की गई है और इसे उन्होंने **गीता वुल्फ** के साथ मिलकर लिखा है।
- **विषय:** यह पुस्तक बताती है कि कैसे एक अनपढ़ घरेलू सहायिका ने अपनी इच्छाशक्ति से एक विश्व प्रसिद्ध कलाकार बनने तक का सफर तय किया।
- **विशेषता:** इसमें दुलारी देवी की खुद की मधुबनी शैली की पेंटिंग्स के माध्यम से उनके बचपन, संघर्ष और सफलता की कहानियों को दर्शाया गया है। यह पुस्तक न केवल बच्चों के लिए प्रेरणादायक है, बल्कि कला प्रेमियों के लिए एक खजाना भी है।
- **रूफटॉप पर मास्टरक्लास:** आप रूफटॉप के माध्यम से सीधे दुलारी देवी से मधुबनी पेंटिंग के बारीक गुर सीख सकते हैं। यहाँ उनके **प्रशिक्षण वीडियो** उपलब्ध हैं जो स्टेप-बाय-स्टेप पेंटिंग बनाना सिखाते हैं।
- **यूट्यूब और ऑनलाइन इंटरव्यू:** कई कला प्रेमियों और डॉक्यूमेंट्री निर्माताओं ने उनकी कार्यशालाओं के वीडियो यूट्यूब पर साझा किए हैं, जहाँ उन्हें हाथ से रंगों को मिलाते और लकड़ी की तीली से रेखाएँ खींचते देखा जा सकता है।
- **मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट:** वे मधुबनी स्थित मैथिली आर्ट इन्सट्यूट में वरिष्ठ शिक्षक के रूप में बच्चों को कला और मिथिला के पारंपरिक लोकगीत भी सिखाती हैं।

वे अक्सर अपनी पेंटिंग्स में **अपनी खुद की कहानी** भी उकेरती हैं - जैसे उनका गाँव से शहर जाना, या पहली बार रेलगाड़ी देखना। उनकी कला में "कल्पना" से ज्यादा "अनुभव" की प्रधानता है।

क्या कृत्रिम मेधा बैंकरों की जगह ले सकता है ?

अभिषेक तिवारी, प्रबंधक, स्टाफ जवाबदेही कक्ष, केंद्रीय कार्यालय

आज का युग तेजी से बदलती तकनीकों का युग है, जहाँ हर दिन कोई नई खोज हमारे जीवन को आसान और अधिक कुशल बना रही है। इन तकनीकों में कृत्रिम मेधा (आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस – कृत्रिम बुद्धिमत्ता) सबसे प्रभावशाली और क्रांतिकारी तकनीक में से एक है। कृत्रिम मेधा ने न केवल उद्योगों के काम करने के तरीके को बदला है, बल्कि हमारे सोचने और निर्णय लेने के तरीके पर भी गहरा प्रभाव डाला है।

बैंकिंग क्षेत्र, जो पहले पूरी तरह मानव-आधारित था, अब डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, स्वचालित प्रणालियाँ और चैटबॉट्स ने बैंकिंग को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बना दिया है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है—क्या कृत्रिम मेधा भविष्य में बैंकरों की जगह ले सकती है? यह निबंध इसी प्रश्न का गहराई से विश्लेषण करता है और यह समझने की कोशिश करता है कि कृत्रिम मेधा बैंकिंग क्षेत्र में किस हद तक प्रभाव डाल सकती है।

कृत्रिम मेधा क्या है और यह कैसे काम करता है?

कृत्रिम मेधा एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। यह डेटा, एल्गोरिद्म और मशीन लर्निंग के माध्यम से कार्य करती है। कृत्रिम मेधा प्रणाली बड़े पैमाने पर डेटा का विश्लेषण करके पैटर्न पहचानते हैं और उसी आधार पर निर्णय लेती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ग्राहक का लेन-देन व्यवहार अचानक बदलता है, तो कृत्रिम मेधा तुरंत उसे पहचानकर अलर्ट जारी कर सकती है। यह क्षमता बैंकिंग में अत्यंत उपयोगी है क्योंकि यहाँ सुरक्षा, सटीकता और गति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

कृत्रिम मेधा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह समय के साथ सीखती रहती है। जितना अधिक डेटा इसे मिलता है, उतना ही यह अधिक सटीक और प्रभावी बनती जाती है।

बैंकिंग में कृत्रिम मेधा का उपयोग

आज बैंकिंग क्षेत्र में कृत्रिम मेधा का उपयोग कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जा रहा है:

1. चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स

कृत्रिम मेधा आधारित चैटबॉट्स ग्राहकों के सामान्य प्रश्नों का तुरंत समाधान प्रदान करते हैं। ये 24×7 उपलब्ध रहते हैं और ग्राहक को बैंक शाखा जाने की आवश्यकता कम कर देते हैं।

2. धोखाधड़ी का पता लगाना

कृत्रिम मेधा संदिग्ध लेन-देन को पहचानने में बेहद सक्षम है। यह ग्राहक के व्यवहार का विश्लेषण करके असामान्य गतिविधियों को तुरंत पहचान लेती है और बैंक को सतर्क करती है। इससे वित्तीय नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता है।

3. ऋण संसाधन

कृत्रिम मेधा की मदद से ऋण आवेदन की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई है। ग्राहक की क्रेडिट हिस्ट्री, आय और अन्य डेटा का विश्लेषण करके कृत्रिम मेधा कुछ ही मिनटों में निर्णय ले सकती है। इससे समय की बचत होती है और प्रक्रिया पारदर्शी बनती है।

4. डेटा एनालिटिक्स और पर्सनलाइजेशन

कृत्रिम मेधा ग्राहक के व्यवहार और जरूरतों का विश्लेषण करके उसे व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, यह ग्राहक को उसकी आय और खर्च के आधार पर उपयुक्त निवेश योजना सुझा सकती है।

5. जोखिम प्रबंधन

कृत्रिम मेधा बैंक को संभावित जोखिमों का पूर्वानुमान लगाने में मदद करती है। इससे बैंक पहले से ही तैयारी कर सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं।

कृत्रिम मेधा के फायदे

कृत्रिम मेधा के उपयोग से बैंकिंग क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण लाभ हुए हैं:

1. **24×7 सेवा :** कृत्रिम मेधा आधारित प्रणाली कभी थकती नहीं हैं। ग्राहक किसी भी समय सेवा प्राप्त कर सकता है, चाहे दिन हो या रात।

2. **लागत में कमी :** कृत्रिम मेधा के उपयोग से बैंक को कम कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, जिससे संचालन लागत घटती है।

3. **तेजी और सटीकता:** कृत्रिम मेधा बहुत तेजी से काम करती है और इसमें मानवीय त्रुटियों की संभावना बहुत कम होती है।

4. बेहतर ग्राहक अनुभव : कृत्रिम मेधा ग्राहक को तेज, सरल और व्यक्तिगत सेवा प्रदान करती है, जिससे ग्राहक संतुष्टि बढ़ती है।

5. सुरक्षा में सुधार : कृत्रिम मेधा धोखाधड़ी का पता लगाने में मदद करती है और बैंकिंग प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाती है।

6. बड़े डेटा का कुशल प्रबंधन: कृत्रिम मेधा बड़े पैमाने पर डेटा को आसानी से संभाल सकती है और उससे उपयोगी जानकारी निकाल सकती है।

कृत्रिम मेधा की सीमाएँ

हालाँकि कृत्रिम मेधा के कई फायदे हैं, लेकिन इसकी कुछ सीमाएँ भी हैं:

1. मानवीय भावनाओं की कमी : कृत्रिम मेधा भावनाओं को समझने में सक्षम नहीं है। यह केवल डेटा के आधार पर निर्णय लेती है, जबकि कई बैंकिंग स्थितियों में भावनात्मक समझ जरूरी होती है।

2. तकनीकी निर्भरता : कृत्रिम मेधा पूरी तरह तकनीक पर निर्भर है। यदि प्रणाली में कोई समस्या आ जाए, तो पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

3. डेटा सुरक्षा और गोपनीयता: कृत्रिम मेधा के लिए बड़े पैमाने पर डेटा की आवश्यकता होती है, जिससे डेटा लीक और साइबर हमलों का खतरा बढ़ जाता है।

4. उच्च प्रारंभिक लागत: कृत्रिम मेधा प्रणाली को विकसित और लागू करने में प्रारंभिक लागत अधिक होती है, जो छोटे बैंकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

क्या कृत्रिम मेधा बैंकरों को पूरी तरह बदल सकती है?

यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर है - नहीं, कृत्रिम मेधा बैंकरों की पूरी तरह जगह नहीं ले सकता।

1. विश्वास और संबंध: बैंकिंग केवल लेन-देन का कार्य नहीं है, बल्कि यह विश्वास पर आधारित संबंध है। ग्राहक अक्सर जटिल समस्याओं के लिए मानव सलाह को प्राथमिकता देते हैं।

2. जटिल निर्णय क्षमता: कृत्रिम मेधा डेटा के आधार पर निर्णय लेती है, लेकिन कई स्थितियों में अनुभव, समझ और सामाजिक संदर्भ महत्वपूर्ण होते हैं, जो केवल इंसान ही प्रदान कर सकते हैं।

3. नैतिकता और जिम्मेदारी: बैंकिंग में कई निर्णय नैतिक और कानूनी जिम्मेदारियों से जुड़े होते हैं। इन मामलों में अंतिम निर्णय इंसान को ही लेना पड़ता है।

4. वसूली और फील्ड कार्य : वसूली, निरीक्षण और ग्राहक से व्यक्तिगत संपर्क जैसे कार्य कृत्रिम मेधा के लिए संभव नहीं हैं। इन कार्यों के लिए मानव की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी।

5. रचनात्मकता और नवाचार: कृत्रिम मेधा पूर्व डेटा के आधार पर काम करती है, लेकिन नई सोच और रचनात्मकता केवल इंसान ही ला सकता है।

रोजगार पर प्रभाव

कृत्रिम मेधा के कारण कुछ नौकरियाँ कम हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रोजगार समाप्त हो जाएगा। बल्कि, रोजगार का स्वरूप बदल जाएगा। यह नई तरह की नौकरियों को जन्म देगी:

- कृत्रिम मेधा विशेषज्ञ
- डेटा वैज्ञानिक
- साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ
- डिजिटल बैंकिंग सलाहकार

बैंकरों को अब नई तकनीकों को सीखना होगा और अपने कौशल को अपडेट करना होगा।

भविष्य की बैंकिंग: मानव + कृत्रिम मेधा

भविष्य में बैंकिंग पूरी तरह कृत्रिम मेधा या पूरी तरह मानव आधारित नहीं होगी, बल्कि यह दोनों का संयोजन होगी। कृत्रिम मेधा जहाँ डेटा विश्लेषण, गति और सटीकता प्रदान करेगी, वहीं मानव बैंकर संबंध निर्माण, निर्णय लेने और ग्राहक सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसे "एगुमेंटेड बैंकिंग" कहा जा सकता है, जहाँ कृत्रिम मेधा बैंकरों की क्षमता को बढ़ाती है।

निष्कर्ष

कृत्रिम मेधा ने बैंकिंग क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत की है। इसने सेवाओं को तेज, सुरक्षित और अधिक कुशल बना दिया है। लेकिन यह बैंकरों का पूर्ण विकल्प नहीं बन सकता। कृत्रिम मेधा एक सहायक उपकरण है, जो बैंकरों के काम को आसान और प्रभावी बनाती है। भविष्य उन्हीं बैंकरों का होगा जो कृत्रिम मेधा के साथ तालमेल बैठाकर अपने कौशल को विकसित करेंगे। अंततः, यह कहा जा सकता है कि "कृत्रिम मेधा बैंकरों की जगह नहीं लेगी, बल्कि उन्हें और अधिक सक्षम बनाएगी"।

आशा भोसले – एक अमर आवाज़ की कहानी

हरिमोहन बैरवा, प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय लुधियाना

भारतीय संगीत जगत में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ कलाकार नहीं होते, बल्कि एक पूरा दौर बन जाते हैं। आशा भोसले ऐसा ही एक नाम हैं। उनकी आवाज़ केवल गीतों तक सीमित नहीं थी, बल्कि करोड़ों लोगों की यादों, खुशियों और भावनाओं का हिस्सा थी। जब उनके निधन की खबर सामने आई, तो ऐसा लगा जैसे भारतीय संगीत की एक धड़कन थम गई हो।

एक संगीत प्रेमी के रूप में मेरे लिए यह केवल एक महान गायिका का निधन नहीं था, बल्कि मेरे बचपन, युवावस्था और जीवन के अनेक खूबसूरत पलों से जुड़ी आवाज़ का मौन हो जाना था।

उनकी आवाज़ में एक ऐसी मिठास थी जो हर उम्र के लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। चाहे शादी-ब्याह का माहौल हो, रेडियो पर बजता कोई पुराना गीत हो, या देर रात अकेले में सुनाई देती कोई ग़ज़ल — आशा जी हर जगह मौजूद थीं।

उनका जीवन केवल सफलता की कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष, मेहनत, साहस और आत्मविश्वास की प्रेरणादायक यात्रा है।

आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। उनका पूरा नाम आशालता दीनानाथ मंगेशकर था। वे एक ऐसे परिवार में पैदा हुईं जहाँ संगीत जीवन का स्वाभाविक हिस्सा था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और रंगमंच कलाकार थे। वे अपने समय के बहुत सम्मानित कलाकारों में गिने जाते थे। घर में हर समय रियाज़, सुर, ताल और शास्त्रीय संगीत का माहौल रहता था। यह कहना गलत नहीं होगा कि आशा जी ने संगीत को सीखा नहीं, बल्कि उसे बचपन से जिया।

उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर भी बाद में भारतीय संगीत की महानतम आवाज़ बनीं। ऐसे परिवार में जन्म लेने के कारण संगीत उनके व्यक्तित्व का स्वाभाविक हिस्सा बन गया।

बचपन का पहला बड़ा दुख

हर महान जीवन की कहानी में संघर्ष का एक अध्याय जरूर होता है। आशा जी की कहानी में यह अध्याय बहुत जल्दी शुरू हो गया। जब वे बहुत छोटी थीं, तभी उनके पिता का निधन हो गया। यह घटना उनके जीवन की पहली बड़ी दुखद घटना एवं जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था । पिता के निधन के बाद परिवार अचानक आर्थिक संकट में आ गया। घर की जिम्मेदारियाँ बढ़ गईं और परिवार को सहारा देने के लिए बहुत कम उम्र में ही बच्चों को काम करना पड़ा।

एक छोटी बच्ची के लिए यह समय बहुत कठिन रहा होगा। एक फैन के रूप में मुझे हमेशा लगता है कि उनकी आवाज़ में जो दर्द और गहराई सुनाई देती है, वह जीवन के इन्हीं अनुभवों से आई थी।

कम उम्र में जिम्मेदारी

जहाँ दूसरे बच्चे उस उम्र में खेलते और पढ़ाई करते हैं, वहीं आशा जी और उनकी बहन लता मंगेशकर को परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में मंच पर गाना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे फिल्मों के लिए भी गाने का अवसर मिलने लगा।

यह सफर आसान नहीं था। उनके सामने आर्थिक दबाव भी था और खुद को साबित करने की चुनौती भी।

लेकिन यही कठिन समय उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत बना।

फिल्मी दुनिया में पहला कदम

आशा भोसले ने बहुत कम उम्र में फिल्मों के लिए गाना शुरू कर दिया था। शुरुआत में उन्हें छोटे अवसर मिले। उस समय फिल्म इंडस्ट्री में पहले से कई बड़ी गायिकाएँ मौजूद थीं, इसलिए उन्हें शुरुआत में छोटे बजट फिल्मों के लिए गाने पड़ते थे। लेकिन उन्होंने कभी किसी काम को छोटा नहीं समझा। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। वे हर गीत को पूरी मेहनत और भावनाओं के साथ गाती थीं।

तुलना और अपनी पहचान की तलाश

उनके करियर की शुरुआत में अक्सर उनकी तुलना लता मंगेशकर से की जाती थी। यह उनके लिए आसान नहीं रहा होगा। लेकिन उन्होंने कभी किसी की नकल करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी अलग शैली बनाई। उनकी आवाज़ में चंचलता, मस्ती, रोमांस और एक खास तरह की ऊर्जा थी। धीरे-धीरे लोगों ने उनकी आवाज़ की अलग पहचान को महसूस करना शुरू किया। यही वह समय था जब आशा जी ने अपनी खुद की जगह बनानी शुरू की।

संघर्ष के दिनों की सीख

मुझे लगता है कि आशा जी के जीवन का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा यही संघर्ष का दौर है। उन्होंने कभी परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने हर चुनौती को अवसर में बदला। यह बात हमें सिखाती है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। उसके पीछे वर्षों की मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास होता है।

आवाज़ में अलग जादू

आशा भोसले की आवाज़ की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उसमें एक जीवंतता थी। उनका गाया गीत सिर्फ सुना नहीं जाता था, महसूस किया जाता था। उनकी आवाज़ में कभी शरारत होती थी, कभी प्यार, कभी दर्द और कभी जोश। यही बात उन्हें बाकी गायिकाओं से अलग बनाती थी।

सफलता की पहली आहट

धीरे-धीरे संगीतकारों ने उनकी प्रतिभा को पहचानना शुरू किया। फिल्मी दुनिया में उनके लिए रास्ते खुलने लगे। यह उनके जीवन का वह मोड़ था जहाँ संघर्ष की धुंध के बाद सफलता की रोशनी दिखाई

देने लगी।

एक संगीत प्रेमी के रूप में मुझे लगता है कि यही वह समय था जब भारतीय संगीत को एक अनमोल आवाज़ मिलने वाली थी।

सफलता का स्वर्णिम दौर और अमर गीतों की विरासत

संघर्ष से पहचान तक का सफर

बहुत कम उम्र में परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाली वह छोटी बच्ची धीरे-धीरे फिल्म संगीत की दुनिया में अपने कदम मजबूत कर रही थी। लेकिन असली पहचान अभी बाकी थी।

उनकी आवाज़ में एक अलग ही चमक थी। वह सिर्फ मधुर नहीं थी, बल्कि उसमें एक जीवंतता, एक चंचलता और भावनाओं की गहराई थी। शायद इसी कारण धीरे-धीरे संगीतकारों का ध्यान उनकी ओर जाने लगा। यही वह समय था जब उनके जीवन में सफलता का पहला बड़ा अध्याय शुरू हुआ।

ओ. पी. नैयर के साथ सुनहरा मोड़

आशा भोसले जी के करियर का पहला बड़ा मोड़ था, प्रसिद्ध संगीतकार ओ. पी. नैयर के साथ उनका जुड़ाव। यह उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी।

ओ. पी. नैयर साहब ने उनकी आवाज़ की उस खासियत को पहचाना जो बाकी लोगों की नजरों से छिपी हुई थी। उन्होंने समझ लिया था कि आशा जी की आवाज़ में एक अलग किस्म का आकर्षण है — शरारत भी, नज़ाकत भी और आधुनिकता भी।

इस जोड़ी ने भारतीय फिल्म संगीत को कई अमर गीत दिए।

उनके कुछ प्रसिद्ध गीत हैं:

- आइए मेहरबान
- ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा
- जाइए आप कहाँ जाएँगे
- इशारों इशारों में दिल लेने वाले

इन गीतों ने उन्हें घर-घर में प्रसिद्ध कर दिया। एक संगीत प्रेमी के रूप में जब मैं "आइए मेहरबान" सुनता हूँ, तो लगता है जैसे हर शब्द में उनकी आवाज़ मुस्कुरा रही हो।

अपनी अलग पहचान बनाना

उस दौर में अक्सर उनकी तुलना उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर जी से की जाती थी। लेकिन आशा जी ने कभी खुद को किसी की छाया नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी अलग राह बनाई। जहाँ लता जी की आवाज़ में शुद्ध मिठास और कोमलता थी, वहीं आशा जी की आवाज़ में जोश, रोमांस, मस्ती और एक अलग आधुनिक अंदाज़ था।

यही वजह थी कि धीरे-धीरे लोगों ने उन्हें उनकी अपनी पहचान से स्वीकार करना शुरू किया।

हर गीत में भावनाओं का जादू

आशा भोसले जी की आवाज़ की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे हर गीत में जान डाल देती थीं। उनका गाया हुआ गीत सिर्फ एक धुन नहीं लगता था, बल्कि एक कहानी जैसा महसूस होता था। अगर गीत रोमांटिक होता, तो उसमें प्यार महसूस होता। अगर दर्द भरा गीत होता, तो सुनने वाले की आँखें नम हो जातीं। अगर मस्ती भरा गीत होता, तो मन खुद-ब-खुद झूम उठता। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी।

आर. डी. बर्मन के साथ स्वर्णिम युग

अगर उनके जीवन का सबसे खूबसूरत और यादगार अध्याय किसी को कहा जाए, तो वह था आर. डी. बर्मन (पंचम दा) के साथ उनका संगीत सफर। यह केवल एक संगीत जोड़ी नहीं थी, बल्कि भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास का स्वर्णिम युग था। पंचम दा और आशा जी ने मिलकर ऐसे गीत दिए जो आज भी हर पीढ़ी के लोगों की पसंद हैं।

उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध गीत हैं:

- पिया तू अब तो आजा
- दम मारो दम
- चुरा लिया है तुमने
- आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा
- महबूबा महबूबा
- मेरा कुछ सामान

इन गीतों ने भारतीय संगीत को एक नया आधुनिक रूप दिया।

एक संगीत प्रेमी की नज़र से उनके गीत

मेरे जैसे संगीत प्रेमी के लिए आशा भोसले जी के गीत सिर्फ गाने नहीं हैं, बल्कि यादें हैं। "चुरा लिया है तुमने" सुनते ही प्रेम और मासूमियत का एहसास होता है। "दम मारो दम" में ऊर्जा और जोश महसूस होता है। "पिया तू अब तो आजा" में मस्ती और आकर्षण साफ महसूस होता है। उनकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि गीत खत्म होने के बाद भी उसकी धुन लंबे समय तक दिल में गूंजती रहती है।

रोमांटिक गीतों की रानी

आशा जी ने रोमांटिक गीतों को एक नई पहचान दी। उनकी आवाज़ में प्रेम की मिठास और एहसास इतने स्वाभाविक लगते थे कि हर गीत दिल को छू जाता था। उनके रोमांटिक गीत आज भी शादियों, समारोहों और प्रेम के खास पलों में सुने जाते हैं। यही उनकी अमरता है।

मस्ती और ऊर्जा से भरपूर आवाज़

उनकी आवाज़ की एक खास पहचान यह भी थी कि वे मस्ती भरे गीतों में जान डाल देती थीं। कैबरे, पॉप और डांस नंबर में उनका कोई मुकाबला नहीं था। उनकी आवाज़ सुनते ही मन झूमने लगता था। यही कारण था कि उस दौर की कई अभिनेत्रियाँ उनकी आवाज़ को अपनी स्क्रीन उपस्थिति के लिए सबसे उपयुक्त मानती थीं।

उमराव जान – कला की पराकाष्ठा

उनके करियर का एक और ऐतिहासिक मोड़ था फिल्म उमराव जान। इस फिल्म ने साबित कर दिया कि वे केवल मस्ती भरे गीतों की गायिका नहीं, बल्कि गहरी भावनाओं और शास्त्रीय संगीत की भी महारथी हैं।

इस फिल्म के गीत—

- दिल चीज़ क्या है
- इन आँखों की मस्ती
- ये क्या जगह है दोस्तों

आज भी भारतीय संगीत की धरोहर माने जाते हैं।

इन गीतों में उनकी आवाज़ की नज़ाकत और भावनात्मक गहराई अद्‌भुत है।

हर शैली में महारत

आशा भोसले जी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी versatility थी।

उन्होंने हर शैली में गाया—

- रोमांटिक गीत
- ग़ज़ल

- भजन
- पॉप
- कैबरे
- लोकगीत
- शास्त्रीय संगीत

बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जो हर प्रकार के संगीत में समान सहजता से गा सकें।

सम्मान, विरासत और अमर स्मृतियाँ

सम्मान और उपलब्धियों का स्वर्णिम अध्याय

जब किसी कलाकार का जीवन संघर्ष और मेहनत से भरा हो, तो सफलता और सम्मान अपने आप उसके कदम चूमते हैं। आशा भोसले जी का जीवन भी इसी बात का सबसे सुंदर उदाहरण है। उन्होंने अपने लंबे संगीत करियर में हजारों गीत गाए और हर गीत को अपनी पहचान दी। उनके योगदान को केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ने सम्मान दिया।

उन्हें मिले प्रमुख सम्मान:

- दादासाहेब फाल्के पुरस्कार
- पद्म विभूषण
- अनेक फिल्मफेयर पुरस्कार
- राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान

ये पुरस्कार केवल ट्रॉफी नहीं थे, बल्कि भारतीय संगीत में उनके अमूल्य योगदान के प्रति देश का सम्मान था। एक फैन के रूप में मुझे लगता है कि उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार करोड़ों लोगों का प्यार था।

हजारों गीतों की अमर विरासत

आशा भोसले जी ने अपने जीवन में 12,000 से अधिक गीत गाए। यह उपलब्धि अपने आप में इतिहास है। उन्होंने केवल हिंदी में ही नहीं, बल्कि कई भाषाओं में अपनी आवाज़ दी:

- हिंदी
- मराठी
- पंजाबी
- बंगाली
- गुजराती
- तमिल
- तेलुगु
- मलयालम
- अंग्रेज़ी

यह दिखाता है कि उनकी आवाज़ भाषा की सीमाओं से परे थी। उनकी आवाज़ केवल शब्द को नहीं गाते थे, वह भावनाएँ गाते थे। इसीलिए हर भाषा में लोग उन्हें उतना ही प्यार करते थे।

निजी जीवन – संघर्ष और साहस

किसी भी महान कलाकार का जीवन केवल मंच की चमक से नहीं बनता, बल्कि उसके पीछे कई व्यक्तिगत संघर्ष छिपे होते हैं। आशा जी का निजी जीवन भी आसान नहीं रहा। उन्होंने कई पारिवारिक और व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना किया। रिश्तों की जटिलताएँ, करियर का दबाव और लगातार मेहनत — इन सबके बीच उन्होंने खुद को मजबूत बनाए रखा।

यही बात उन्हें केवल महान गायिका ही नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक महिला भी बनाती है।

उनका जीवन यह सिखाता है कि कठिनाइयाँ हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं।

नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा

आज भी नई पीढ़ी के गायक और गायिकाएँ आशा भोसले जी को अपनी प्रेरणा मानते हैं। उनकी गायकी संगीत सीखने वालों के लिए एक पाठशाला है। मेरे जैसे संगीत प्रेमी के लिए वे केवल पुरानी पीढ़ी की गायिका नहीं, बल्कि हर पीढ़ी की प्रेरणा हैं।

एक संगीत प्रेमी की भावनात्मक दृष्टि

अगर मैं अपने दिल की बात कहूँ, तो आशा भोसले मेरे लिए केवल एक गायिका नहीं हैं।

वे मेरी यादों की आवाज़ हैं। बचपन में रेडियो पर बजते उनके गीत, घर के समारोहों में गूंजती उनकी धुनें, सफर में सुनाई देने वाले उनके रोमांटिक गीत — ये सब जीवन के खूबसूरत पलों से जुड़े हुए हैं।

उनकी आवाज़ सुनते ही एक अलग सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी याद फिर से ताज़ा हो गई हो। कुछ आवाज़ें सिर्फ संगीत नहीं होतीं, वे जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। आशा जी की आवाज़ भी वैसी ही थी।

भारतीय संस्कृति में उनका योगदान

आशा भोसले जी के गीत भारतीय समाज और संस्कृति का हिस्सा बन चुके हैं। शादी-ब्याह में उनके गीत बजते हैं। त्योहारों में उनके गीत गूंजते हैं। प्रेम के पलों में उनके गीत महसूस होते हैं। दर्द के समय उनके गीत सहारा बनते हैं।

यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी सफलता होती है — जब उसकी कला लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाए।

उनका निधन – एक युग का अंत

उनके निधन की खबर ने पूरे देश को भावुक कर दिया। हर जगह श्रद्धांजलियाँ दी गईं। कलाकारों, नेताओं और लाखों प्रशंसकों ने उन्हें याद किया। सोशल मीडिया पर उनके गीतों और यादों की बाढ़ आ गई। यह दिखाता है कि वे केवल एक कलाकार नहीं थीं, बल्कि करोड़ों दिलों का हिस्सा थीं। एक संगीत प्रेमी के रूप में मुझे उस दिन ऐसा लगा जैसे मेरी अपनी कोई पुरानी याद मुझसे दूर चली गई हो। लेकिन फिर यही एहसास हुआ कि वे कहीं गई नहीं हैं। वे अपने गीतों में आज भी जीवित हैं।

अंतिम श्रद्धांजलि

अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आशा भोसले जी का जीवन संघर्ष, प्रतिभा, मेहनत और अमर सफलता की कहानी है। उन्होंने भारतीय संगीत को केवल गीत नहीं दिए, बल्कि भावनाओं को भाषा दी।

उनकी आवाज़ आज भी हर पीढ़ी के दिलों में बसती है।

जब भी "चुरा लिया है तुमने", "दम मारो दम" या "दिल चीज़ क्या है" जैसे गीत बजेंगे, ऐसा लगेगा जैसे वे आज भी हमारे बीच मुस्कुरा रही हैं।

कुछ आवाज़ें कभी नहीं मरतीं।

वे समय से परे जाकर अमर हो जाती हैं।

आशा भोसले जी की आवाज़ भी हमेशा अमर रहेगी।

भारतीय संविधान के निर्माण में महिलाओं का योगदान

मुकुल व्यास, सहायक प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ

भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास केवल पुरुषों के साहस की ही नहीं, बल्कि महिलाओं के अदम्य साहस, त्याग और बलिदान की भी गाथा है। महिलाओं ने न केवल घर की चहारदीवारी से बाहर निकलकर अंग्रेजों का विरोध किया, बल्कि जेल गईं, लाठियां खाईं और हंसते-हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया। इसी वीर भावना का वर्णन सुभद्रा कुमारी चौहान ने निम्नलिखित पंक्तियों के माध्यम से किया है :

बरछी ढाल, कृपाण, कटारी उसकी यही सहेली थीं,
वीर शिवाजी की गाथाएँ उसकी याद ज़बानी थीं।
बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झाँसी वाली रानी थी।

स्वतंत्रता के बाद, भारतीय नेताओं के मन में कई विचार और मत प्रवाहित होने लगे कि, भारत में कौन सी राजनीतिक व्यवस्था महत्वपूर्ण होगी। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जैसे कई नेताओं द्वारा लोकतंत्र के माध्यम से भारत के भविष्य के विकास का सपना देखा गया। लोकतंत्र के ढांचे को परिभाषित करने के लिए तथा इस लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए और आम तत्वों को इससे लाभान्वित करने के लिए संविधान महत्वपूर्ण था।

9 दिसंबर, 1946 को 'कैबिनेट मिशन' योजना के तहत डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान समिति का गठन किया गया। संविधान समिति के 389 सदस्यों ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कार्य किया। भारत का संविधान, भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर, 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन (26 नवम्बर) भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है । भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। संविधान भारत के सर्वोत्तम दस्तावेजों में से एक है। इसमें नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य शामिल हैं। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लम्बा लिखित संविधान है। भारतीय राजनीतिक संस्कृति का परिचय संविधान से मिलता है। भारत की परम्परागत नागरिक संस्कृति की दृष्टि निर्माण का कार्य इस पुस्तक के माध्यम से देखा जाता है, जिसे संविधान सभा में महिला सदस्यों के साथ- साथ पुरुषों ने भी किया है। संविधान के माध्यम से पुरुषों के साथ इन महिला सदस्यों द्वारा देश में एक नई सामाजिक क्रांति का जन्म हुआ। जिससे देश में न्याय, समानता और भाईचारा जैसे मूल्यों का प्रसार हुआ।

संविधान समिति के 389 सदस्यों में 15 महिला सदस्य थीं। जिन्होंने संविधान निर्माण प्रक्रिया में कई मुद्दों पर चर्चा की और निर्भीकता से अपनी राय व्यक्त की। भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कई मुद्दों पर अपनी राय रखने वाली महिला सदस्यों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है।

भारतीय संविधान समिति ने संविधान बनाने की चुनौती को स्वीकार किया। संविधान के माध्यम से समाज की कल्पना करना और उस विशिष्ट आदर्श या लक्ष्य के प्रति समाज का निर्माण करना उनका प्रमुख उद्देश्य रहा । संविधान या संविधान समिति पर चर्चा करते हुए डॉ. अंबेडकर, पंडित नेहरू, डॉ. राजेंद्र प्रसाद आदि का उल्लेख मुख्य रूप से किया जाता है। घटनाओं के निर्माण में इन नेताओं की भूमिका अग्रणी और महत्वपूर्ण है। लेकिन भारतीय संविधान समिति की महिला सदस्यों के कार्यों और योगदान से आज भी अधिकांश लोग अपरिचित हैं।

डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर, पंडित नेहरू, डॉ. राजेंद्र प्रसाद उस समय के सभी नेता बहुत प्रभावशाली थे। भारतीय संविधान निर्माण में महिलाओं के योगदान की चर्चा करते हुए, महिलाओं के भाषण को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि चर्चा में उनकी भागीदारी केवल लैंगिक समानता या लैंगिक भेदभाव तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने अल्पसंख्यक अधिकार, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, न्यायिक व्यवस्था, राज्य के दिशा- निर्देश, धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकार, समान नागरिक कानून जैसे कठिन और रणनीतिक विषयों पर भी चर्चा की। महिला सदस्यों की भागीदारी ने प्रारूप समिति के विचार-विमर्श को गति और दिशा दी। भारत के संविधान का निर्माण केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह आधुनिक भारत के भविष्य की नींव थी। इस विशाल कार्य में 15 साहसी और विदुषी महिलाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिन्होंने संविधान सभा की सदस्य के रूप में लैंगिक समानता, आरक्षण और मौलिक अधिकारों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी।

1) दुर्गाबाई देशमुख	9) सरोजनी नायडू
2) बेगम रसूल	10) विजयलक्ष्मी पंडित
3) रेणुका रे	11) कमला चौधरी
4) राजकुमारी अमृत कौर	12) मालती चौधरी
5) हसम्बेन मेहता	13) सुचेता कृपलानी
6) पूर्णिमा बनर्जी	14) अम्मू स्वामीनाथन
7) लीला रॉय	15) एनी मस्करीन
8) दक्षिणायनी वेलायुदन	

संविधान निर्माण में कार्य करने वाली उन महिलाओं का संक्षिप्त परिचय निम्ननुसार है।

बेगम रसूल

बेगम रसूल को उत्तरी प्रांत के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था। वह संविधान समिति की पहली और एकमात्र मुस्लिम सदस्य थीं। वह मुस्लिम लीग की नेता थीं और संविधान समिति के अल्पसख्यकों के अधिकारों पर मसौदा समिति की सदस्य भी थीं। उन्होंने संविधान मसौदा समिति के समक्ष कहा कि, धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति की देशभक्ति का निर्धारण करना सही नहीं है। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि, मसौदे में लिंग के आधार पर भेदभाव को गैरकानूनी घोषित करने वाला खंड क्यों नहीं था। उन्होंने संसद शब्द के बजाय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सुझाव दिया। इसके पीछे का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि, अगर ऐसा किया जाता है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस पार्टी के योगदान को केवल भारतीय ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया याद रखेगी। संसद द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देने में राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति को सीमित करने के लिए एक संशोधन प्रस्तावित किया गया था और संशोधन को स्वीकार कर लिया गया था। वर्तमान में प्रावधान यह है कि, राष्ट्रपति संसद द्वारा पहली बार पारित किसी विधेयक को वीटो कर सकता है। लेकिन दूसरी बार जब संसद विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों के साथ या बिना सहमति के लिए वापस भेजती है, तो राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। संविधान में बेगम रसूल का काम बहुत महत्वपूर्ण है।

सरोजिनी नायडूः

सरोजिनी नायडू बिहार प्रांत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में शामिल हुईं। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थीं और उन्हें एक भारतीय राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। वह संविधान समिति में राष्ट्रीय ध्वज समिति की अध्यक्ष थीं। इस समिति द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति देने के बाद ध्वज को अपनाया गया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जाति, धर्म, महिला और पुरुष के आधार पर देश का नेतृत्व करना सही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि समिति में महिलाओं को अधिक से अधिक भाषण देना चाहिए। भारत के संविधान में इनका योगदान महत्वपूर्ण है।

विजयालक्ष्मी पंडितः

विजयालक्ष्मी पंडित ने संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधि के रूप में संवैधानिक समिति में प्रवेश किया। संविधान समिति में उनका कार्यकाल कुछ ही महीनों का था। क्योंकि उन्हें रूस में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया था। इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। संविधान समिति के समक्ष अपने भाषण में उन्होंने भारत को एक महत्वपूर्ण राष्ट्र बताया जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर विश्वास के साथ खड़ा है। कई राष्ट्रों में और देश की जनता के सामने उनका मानना था कि, भारतीय संविधान एक प्रेरणा और मार्गदर्शक होगा।

लीला रॉयः

लीला रॉय ने संविधान सभा में बंगाल प्रांत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन से सहानुभूति थी। उन्होंने 1921 में वेंटून कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और अखिल बंगाल महिला अत्याचार समिति की सहायक सचिव बनीं और महिलाओं के अधिकारों के लिए बैठकें आयोजित करती रही। भारत के विभाजन से व्यथित होकर उन्होंने इसके विरोध में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया।

रेणुका रेः

रेणुका रे इन्हें संविधान सभा में पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था। अनुच्छेद 28 की तत्कालीन चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए धार्मिक शिक्षा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, का सुझाव दिया गया जिसे स्वीकार किया गया। वर्तमान अनुच्छेद 23 में श्री दास द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था कि, देवदासी और वेश्यावृत्ति देश में गंभीर सामाजिक समस्याएँ हैं। इसे खत्म करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। लेकिन संविधान में इन मुद्दों का उल्लेख इतना एकीकृत नहीं है। उनका मत था कि भारत जैसे विविधता से भरे देश में देश की अखंडता और अविभाज्यता के लिए अमेरिका जैसी दोहरी नागरिकता के बजाय एकल नागरिकता स्वीकार की जानी चाहिए। वे द्विसदनीय विधायिका की विरोधी थीं, क्योंकि उनकी राय में, यह प्रणाली शक्ति और समय दोनों की बर्बादी होगी। उनका मानना था कि लोगों के कुछ समूहों के लिए आरक्षण असाधारण होना चाहिए। संविधान में रेणुका रे का योगदान अमूल्य है।

हसम्बेन मेहताः

हसम्बेन मेहता को मुंबई प्रांत के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था। वह भारत की संविधान समिति की एक सक्रिय, कट्टर नारीवादी सदस्य थीं। वह सलाहकार समिति, मौलिक अधिकार उप-समिति, प्रांतीय संविधान समिति और राष्ट्रीय ध्वज समिति की सदस्य थीं। 1948 में, उन्होंने भारतीय महिलाओं के अधिकारों और कर्तव्यों का मसौदा तैयार किया। यह मसौदा 1948 के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा से प्रभावित था। समय-समय पर उन्होंने संविधान समिति के समक्ष अपने भाषणों में महिला आरक्षण का स्पष्ट विरोध किया। उद्देश्य की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाएं विशेष रियायतों और आरक्षणों के बजाय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अपेक्षा करती हैं। किसी भी वर्ग के लिए आरक्षण की सुविधा लोकतंत्र नहीं है। पंडित नेहरू द्वारा सिफारिश किए जाने के बाद, उन्हें संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार समिति के लिए चुना गया। वहां भी, उन्होंने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में इतिहास रचा, यह तर्क देते हुए कि सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं।

पूर्णिमा बनर्जीः

पूर्णिमा बनर्जी को संविधान सभा में संयुक्त प्रांत द्वारा चुना गया था। उन्होंने अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि, शिक्षा और रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता पर परिचर्चा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यदि वर्तमान अनुच्छेद 28 शासन के तहत विद्यालयों के पाठ्यक्रम में सभी धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के मूल सिद्धांत को शामिल किया जाए तो छात्र सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत और धर्म की अवधारणा को आत्मसात करेंगे।

यह आमतौर पर राज्यसभा की भूमिका और उपयोगिता को लेकर आशंकित रहती थीं। उनका मत था कि राजनीतिक हितों या आय से अधिक संपत्ति के आधार पर इस सभा के सदस्यों की नियुक्ति पर रोक लगाने का प्रावधान होना चाहिए, अन्यथा ऐसे सदस्य देशहित में बने कानूनों के अनुमोदन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। उनका संदेह वर्तमान समय में सटीक प्रतीत होता नजर आता है। निवारक निरोध से संबधित प्रावधानों की चर्चा में उनकी भागीदारी उल्लेखनीय है। उनका स्पष्ट मत था कि सरकार को संदिग्ध व्यक्तियों या असामाजिक तत्वों को पूर्व-गिरफ्तार करने का अधिकार होना चाहिए। आज के अनुच्छेद 22 में उन्होंने यह तर्क सुझाया कि इस अनुच्छेद को लागू करते समय सरकार पर कुछ संयम होना चाहिए।

संविधान समिति के समय महिला सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अनुरोध किया था कि, यदि अचानक और किसी कारण से महिला सदस्यों की जगह खाली हो जाती है, तो उन जगहों पर केवल महिला सदस्यों की नियुक्ति की जानी चाहिए। संविधान की स्वीकृति के समय अपने भाषण में उन्होंने व्यक्त किया कि देश के मूल्यवान खनिजों और महत्वपूर्ण उद्योगों को सरकारी नियंत्रण में होना चाहिए और क्षेत्र में कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। संविधान समिति में महत्वपूर्ण कार्य के लिए पूर्णिमा बनर्जी को सदैव याद रखा जाएगा।

राजकुमारी अमृत कौरः

राजकुमारी अमृत कौर संविधान सभा में सी.पी. और बरार प्रान्त के प्रतिनिधि थी। वह संविधान समिति, स्थापित वित्त और कार्मिक और राष्ट्रीय ध्वज समिति की सदस्य थीं। संविधान समिति ने उनके आग्रह को स्वीकार किया कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज केवल खादी के कपड़े और हाथ से बुने हुए सूत से बना होना चाहिए। वह स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थीं। इस प्रकार उन्होंने संविधान निर्माण में अमूल्य योगदान दिया।

दुर्गाबाई देशमुखः

दुर्गाबाई देशमुख संविधान सभा में मद्रास प्रांत के प्रतिनिधि के रूप में चुनी गई थी। वह संविधान मसौदा समिति के प्रेसीडियम की एकमात्र महिला सदस्य थीं। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने उन्हें एक ऐसी महिला के रूप में सराहा, जिसने दृढ़ता और अथक प्रयास से उनका समर्थन किया, और गुमनाम कारणों से संविधान समिति में रिक्तियों को भरने के लिए नियमों में बदलाव का सुझाव दिया। मौजूदा अनुच्छेद 39एफ की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि, अगर बच्चों और युवाओं के शोषण से सुरक्षा और उसके अधिकारों के क्रियान्वयन की व्यवस्था कारगर नहीं होगी तो उसे केवल दिशा-निर्देशों के तहत ही आत्मसात करना प्रभावी नहीं होगा।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए न कि सीधे। संशोधन समिति ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर चर्चा करते समय इस बात पर सहमति व्यक्त की कि राज्यपाल को निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए और केंद्र और राज्य के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करना चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि न्यायाधीशों को भारतीय नागरिक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान अनुच्छेद 32 पर बहस करते हुए, उन्होंने सुझाव दिया कि भले ही उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका खारिज कर दी जाती है, यह उम्मीद करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है कि याचिका को अधिनियम की तकनीकीताओं पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। उनका मत था की, सभी समुदायों या वर्गों के लोगों को सार्वजनिक पूजा स्थलों और मंदिरों में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करना चाहिए । उन्होंने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया कि सभी राज्य व्यक्तिगत हित कि बजाए सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दें।

दक्षिणायनी वेलादुनः

यह मद्रास प्रांत से चुनी गई थी। वह संविधान समिति की एकमात्र दलित महिला सदस्य थीं। डॉ. अम्बेडकर और गांधीजी की सोच से प्रभावित दलितों को अस्पृश्यता और भेदभाव जैसी अमानवीय प्रथा से मुक्त करने की इच्छा उनकी प्रस्तुति में देखी जा सकती है। उनका स्पष्ट मत था कि, स्वतंत्र भारत में राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों में दलितों को आरक्षण देने से हम औपनिवेशिक विवाद की तरह जाति के आधार पर बंटे रहेंगे और दलित समाज गुलामी से मुक्त नहीं हो पाएगा।

संविधान, किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। भारतीय संविधान का निर्माण एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया है, और इस संविधान की अधिकांश बातें लिखित रूप में है। भारतीय संविधान के निर्माण में 15 महिला सदस्यों ने अपना अमूल्य योगदान दिया है। इन महिलाओं ने यह सुनिश्चित किया कि भारत का संविधान केवल पुरुषों के लिए नहीं, बल्कि हर नागरिक के लिए "समानता, स्वतंत्रता और न्याय" का दस्तावेज बने।

महिला सशक्तिकरण: समान अवसरों से उज्ज्वल भविष्य की ओर

पद्मा चंदवानी, प्रबंधक, केंद्रीय कार्यालय

नारी नहीं है अबला, यह जग की सर्जक शक्ति है। इसके चरणों से ही फूटी संघर्षों की दृढ़ भक्ति है।

रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित इन पंक्तियों में नारी की उस शक्ति का चित्रण है जो केवल जीवन को जन्म देने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर संघर्ष को दिशा देने और समाज को आगे बढ़ाने की क्षमता रखती है। नारी सहनशीलता और करुणा की मूर्ति होते हुए भी केवल भावनाओं की प्रतीक नहीं है, बल्कि वह सृजन की धुरी है—जिसके बिना सभ्यता का विकास अधूरा है। उसके चरणों से ही संघर्षों की दृढ़ भक्ति फूटती है, क्योंकि वह कठिनाइयों को सहने और उनसे जूझने की अदम्य शक्ति रखती है। चाहे परिवार का पोषण हो, समाज का निर्माण हो या राष्ट्र की प्रगति, हर क्षेत्र में नारी अपनी भूमिका निभाती है।

नारी आरंभ से ही अनंत गुणों का भंडार रही है । नारी ह्रदय में पृथ्वी जैसी क्षमता, सूर्य जैसा तेज़, समुद्र जैसी गंभीरता, चंद्रमा जैसी शीतलता देखने को मिलती है ।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस इसी शक्ति, संघर्ष और योगदान का प्रतीक है—यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्त्री केवल घर की चार दीवारों तक सीमित नहीं, बल्कि विश्व के हर क्षेत्र में अपनी एक मजबूत पहचान बना रही है।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है । इस दिन की शुरुआत वर्ष 1908 में हुई थी । इस दौरान अमेरिका में भारी संख्या में मजदूर महिलाओं ने एकजुट होकर समान वेतन, वोट का अधिकार, काम का समय कम करवाने के लिए आवाज़ उठाई थी । ऐसे में प्रतिवर्ष महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरुक कराने के उद्देश्य से प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है ।

संयुक्त राष्ट्र, प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए एक नई थीम लेकर आता है और इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का थीम है "Rights. Justice. Action. For ALL Women and Girls", अधिकार, न्याय, कार्रवाई, सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए ।

- **अधिकार (Rights):** यह इस बात पर ज़ोर देता है कि महिलाओं और लड़कियों को जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के समान कानूनी और सामाजिक अधिकार मिलने चाहिए — चाहे वह शिक्षा हो, काम, संपत्ति, सुरक्षा या परिवार।
- **न्याय (Justice):** केवल अधिकार देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन अधिकारों को लागू करने और सुरक्षित करने के लिए न्यायपूर्ण व्यवस्था भी होनी चाहिए। दुनिया के कई देशों में अभी भी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम कानूनी अधिकार प्राप्त हैं।
- **कार्रवाई (Action):** यह एक आह्वान है कि सरकारें, संस्थाएँ और समाज मिलकर ठोस कदम उठाएँ — भेदभावपूर्ण कानूनों को हटाएँ, कमजोर कानूनी सुरक्षा को मज़बूत करें और हानिकारक सामाजिक मान्यताओं को बदलें।
- **सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए :**

यह सुनिश्चित करने का संकल्प है कि कोई भी महिला या लड़की पीछे न छूटे — चाहे उसकी जाति, वर्ग, आयु, क्षेत्र या परिस्थिति कुछ भी हों।

21वीं सदी के दूसरे दशक में भी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में केवल लगभग 64% कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। इसलिए 2026 का यह अभियान दुनिया भर में समानता और न्याय की दिशा में ठोस कार्रवाई करने का आह्वान करता है ।

भारत में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के समान है एवं महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है । सवतंत्रता के समय से लेकर अब तक महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है । भारत सरकार ने भी महिलाओं की सुरक्षा और उनकी स्थिति सुधारने के लिए कई नियम और कानून बनाए गए हैं जो इस प्रकार है ।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 भारत में हिंदुओं के विवाह से संबंधित एक महत्वपूर्ण कानून है। इस अधिनियम का उद्देश्य विवाह को कानूनी रूप से व्यवस्थित करना और पति-पत्नी के अधिकारों व कर्तव्यों को स्पष्ट करना है। इस कानून के अनुसार यदि कोई महिला अपने पति से परेशान है तो वह तलाक ले सकती है ।

कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 66 कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 66 कामकाजी महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। इस धारा के अंतर्गत महिलाओं के कार्य समय और कार्य परिस्थितियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि महिलाओं को केवल सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ही काम करने की अनुमति दी जा सकती है। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस समय सीमा में कुछ बदलाव कर सकती है, लेकिन रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक महिलाओं को काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके अलावा, महिलाओं की शिफ्ट केवल साप्ताहिक अवकाश या छुट्टी के बाद ही बदली जा सकती है। इस धारा का उद्देश्य महिलाओं को असुरक्षित समय में काम करने से बचाना और उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा कल्याण को सुनिश्चित करना है। इस प्रकार, धारा 66 महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण प्रदान करने का प्रयास करती है।

प्रसूति सुविधा अधिनियम, 1961 का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम के तहत पात्र महिला कर्मचारी को प्रसूति अवकाश, प्रसूति लाभ, चिकित्सा बोनस तथा नौकरी की सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि मातृत्व के कारण महिला को रोजगार से वंचित न होना पड़े और वह बिना आर्थिक चिंता के अपने और शिशु के स्वास्थ्य की देखभाल कर सके। यह अधिनियम

कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों और गरिमा की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 भारत में दहेज जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने के उद्देश्य से बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। इस अधिनियम के अंतर्गत दहेज लेना, देना या इसकी मांग करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, जिसके लिए जुर्माना और कारावास का प्रावधान है। इसका मुख्य उद्देश्य विवाह को आर्थिक लेन-देन से मुक्त करना तथा महिलाओं को दहेज उत्पीड़न और हिंसा से सुरक्षा प्रदान करना है। यह अधिनियम समाज में महिलाओं के सम्मान, समानता और सुरक्षित जीवन की दिशा में एक सशक्त कानूनी कदम माना जाता है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 का उद्देश्य महिलाओं को घरेलू वातावरण में होने वाली शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक हिंसा से सुरक्षा प्रदान करना है। यह अधिनियम पत्नी, लिव-इन संबंध में रहने वाली महिला तथा परिवार की अन्य महिलाओं को संरक्षण देता है और उन्हें संरक्षण आदेश, निवास का अधिकार, भरण-पोषण तथा प्रतिकर प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है। इस कानून का मुख्य लक्ष्य महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना है ताकि वे बिना भय के सम्मानपूर्ण जीवन जी सकें।

बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं । जहां ऐसे किसी भी मामले की सुनवाई महिला जज द्वारा की जाएगी ।

इन सभी कानूनों के अलावा भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलायी जाती हैं ताकि महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान की सके । कुछ योजनाएं निम्नलिखित हैं :

1. बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं योजना
2. महिला हेल्पलाइन योजना
3. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
4. महिला शक्ति केंद्र
5. सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वमेन (स्ट्रेप)
6. सुकन्या समृद्धि योजना
7. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
8. महिला ई-हाट
9. वन स्टॉप सेंटर

केवल कानूनों और योजनाओं का निर्माण ही महिलाओं की स्थिति में सुधार का पर्याप्त उपाय नहीं है। भारत में रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने की दिशा में प्रगति हो रही है, किंतु वास्तविक समानता तब स्थापित होगी जब महिलाओं को केवल नौकरी करने का अधिकार ही नहीं, बल्कि अपनी योग्यता और क्षमता को बिना किसी भेदभाव के सिद्ध करने का अवसर भी मिले। हमें यह समझना होगा कि यदि महिलाओं को समान अवसर दिए जाएँ, तो वे हर ऊँचाई को छू सकती हैं।

हमारे इतिहास और वर्तमान में अनेक ऐसी महिलाएँ हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत से समाज को नई दिशा दी है। सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के अधिकारों की नींव रखी। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष विज्ञान में भारत का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया। मैरी कॉम ने खेल जगत में महिलाओं की शक्ति और दृढ़ता का परिचय दिया। वहीं किरण मजूमदार शॉ ने उद्योग जगत में महिला नेतृत्व की मिसाल पेश की और सुधा मूर्ति ने साहित्य और समाज सेवा के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। रानी लक्ष्मीबाई: स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना, जिन्होंने साहस और नेतृत्व का अद्भुत परिचय दिया। इंदिरा गांधी: भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, जिन्होंने राजनीति और शासन में महिलाओं की क्षमता को सिद्ध किया। लता मंगेशकर: स्वर कोकिला, जिनकी आवाज़ ने भारतीय संगीत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। पी.वी. सिंधु: बैडमिंटन खिलाड़ी, जिन्होंने ओलंपिक पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक महिला सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। बैंक ने महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएँ लागू की हैं। इसी क्रम में महिला उधारकर्ताओं के लिए विशेष रूप से तैयार की गई दोपहिया वाहन योजना " आइओबी पिंक व्हील्स" शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और महिलाओं को जीवन के हर क्षेत्र में गतिशीलता प्रदान करना है।

इसके अतिरिक्त, महिला उधारकर्ताओं को व्यक्तिगत वित्तीय स्वतंत्रता देने हेतु फरवरी 2026 में नई पर्सनल स्कीम "आइओबी सखी" प्रारंभ की गई है। यह योजना महिलाओं को न केवल आर्थिक सहयोग देती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने और अपने सपनों को साकार करने का अवसर भी प्रदान करती है।

इन पहलों के माध्यम से हमारा बैंक यह संदेश देता है कि महिला सशक्तिकरण केवल सामाजिक या कानूनी प्रावधानों तक सीमित नहीं है, बल्कि वित्तीय स्वतंत्रता और अवसरों की समानता से ही वास्तविक परिवर्तन संभव है।

आइए हम सब मिलकर ऐसा भविष्य गढ़ें, जहाँ महिलाओं का सम्मान हो, उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक सहज पहुँच मिले, कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित हो और वे निर्भय होकर अपनी बात रख सकें। हमें ऐसा समाज बनाना है जहाँ बेटी के जन्म पर दुख नहीं, बल्कि प्रसन्नता का वातावरण हो।

इस परिवर्तन के लिए आवश्यक है कि पुरुष समाज भी अपनी जिम्मेदारियों को समझे। जिस प्रकार महिलाएँ अपने करियर के साथ-साथ परिवार की जिम्मेदारियाँ निभाती हैं, उसी प्रकार पुरुष भी घरेलू जीवन में उनका सहयोग करें। तभी हमारा समाज वास्तविक परिवर्तन की ओर अग्रसर होगा और महिलाएँ अपनी दोनों भूमिकाओं को संतुलित रूप से निभा पाएँगी। यही वह स्थिति होगी जब अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का उद्देश्य सार्थक सिद्ध होगा।

अंत में, डॉ. भीमराव आंबेडकर जी के शब्दों को स्मरण करना उचित होगा - "किसी भी समुदाय की प्रगति को उस समाज की महिलाओं की प्रगति से मापा जा सकता है।"

शब्द-शब्दांतर

शब्द	उच्चारण	उद्भव	अर्थ
Bureau	Byoo-ROh	फ्रेंच	कार्यालय
Dossier	Dos-ee-AY	फ्रेंच	फ़ाइल
Landwirtschaft	LAHNT-virt-shaft	जर्मनी	कृषि
Advocatus	Ad-wo-KAH-tus	लैटिन	वकील / अधिवक्ता
Pecunia	Peh-KOO-nee-ah	लैटिन	धन
Avis Public	Ah-vee poo-BLEEK	फ्रेंच	सार्वजनिक नोटिस
Pro rata	Proh-RAH-tah	लैटिन	यथानुपात
Magistratus	Mag-is-TRAH-toos	लैटिन	न्यायाधीश
Subvention	Zoob-ven-TSYON	जर्मनी	सहायकी (आर्थिक)
Virement	vee-reh-mohnt	फ्रेंच	अंतरण (निधि)
Chancery	CHAN-suh-ree	मध्यकालीन अंग्रेजी	कानूनी प्रशासन कार्यालय
Autorite	Oh-toh-ree-TAY	फ्रेंच	अधिकार /प्राधिकार
Darlehen	DAR-lay-hen	जर्मनी	ऋण
Prima Facie	PREE-mah-FAH-kee-eh	लैटिन	प्रथम दृष्टया
Kontoinhaber	KON-toh-in-hah-ber	जर्मनी	खाताधारक
De Jure	Day-YOO-ray	लैटिन	क़ानूनन
Mandatum	Pah-ree pah-soo	लैटिन	अधिदेश
Pramie	PRAY-mee-uh	जर्मनी	अधिमूल्य
Releve de compte	Ruh-luh-VAY duh kont	फ्रेंच	खाता विवरण

संकलनकर्ता
पी राजशेखर
वरिष्ठ प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु

राजमाता अहिल्याबाई होळकर : 'दार्शनिक रानी'

रचना वंजारी, ग्राहक सेवा सहयोगी, रायपुर क्षेत्र

18 वीं सदी के पूर्वार्द्ध में 31 मई 1725 में महाराष्ट्र के अहमद नगर जिले (वर्तमान में अहिल्या नगर) के चोंडी नामक ग्राम में मानको जी शिंदे व पत्नी सुशीला बाई शिंदे के घर एक तेजस्वी कन्या रत्न का जन्म हुआ। मानको जी उन गाँव के पटेल थे। वह आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं थे लेकिन वह अच्छे नैतिक चरित्र, धर्मपरायण और सुसंस्कृत व्यवहार जैसे गुणों से समृद्ध थे। माता पिता ने बड़े चाव के साथ कन्या का नाम **अहिल्याबाई होळकर** रखा। अपने नाम के अनुरूप ही अहिल्या बाई समस्त तरह के दोष से रहित थीं। अहिल्या एक सामान्य-सी ग्रामीण लड़की थीं, सरल, सौम्य, सादगीपूर्ण जीवन जीने वाली एक सेवाभावी, जो अपने पिता के साथ मिलकर घर के कार्यों में हाथ बँटाती थीं। बचपन से ही अहिल्या भगवान शंकर की श्रद्धा भाव से पूजा-अर्चना करती थीं।

एक बार की बात है, इंदौर के राजा होलकर रियासत के संस्थापक मल्हारराव होलकर पुणे जाते समय मार्ग में उसी शिवालय में ठहरे, जहाँ प्रतिदिन अहिल्या भोले बाबा की पूजा करने आती थीं। इस दृश्य का वर्णन अपनी पुस्तक महारानी अहिल्या देवी में करते हुए पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य लिखते हैं "इंदौर के महाराज मल्हारराव होलकर पूना जाते समय मार्ग में पाथडरी गाँव के उसी शिवालय में ठहरे, जिसमें अहिल्या नित्य पूजन करने आती थीं। देवदूतों की प्रभात फेरी के समान अहिल्या पूजा करने आईं। मंदिर के चारों ओर बड़ी चहल-पहल थी। हाथी, घोड़े, रथ और आदमियों की भीड़ ही भीड़ थी। किंतु अहिल्या बिना किसी ओर देखे सत्पुरुषों के विचार की भाँति अपने लक्ष्य मूर्ति-मंदिर की ओर, उपराम भाव से चलती गईं। लोग मौन होते और मार्ग छोड़ते गए। कन्या ने नित्य की भाँति एकाग्र मन से यथावत पूजन किया और उसी अलिप्त भाव से वापस चली गईं।" भारतवर्ष में एक लोकोक्ति प्रचलित है, "पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं।" अहिल्याबाई में छिपी संभावनाओं को मल्हारराव ने उसी समय समझ लिया हो, इसमें अतिशयोक्ति नहीं थी।

इस समय अहिल्या बाई मात्र 8 वर्ष की थीं। प्रफुल्लित मन से महाराज इंदौर की ओर अहिल्या को लेकर चल दिए। पालकी सजी हुई थीं अहिल्या जैसी थीं वैसी ही उन पालकी में बिठा दी गईं। सामान्य से परिवेश की ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली, जिसने कभी राजमहलों को नहीं देखा था जो कभी अपने गाँव से भी बाहर नहीं निकली थी, वह इंदौर के राजघराने की युवरानी बन गईं थीं। बड़ी ही धूमधाम से मल्हारराव होलकर के पुत्र खांडेराव का विवाह अहिल्याबाई के साथ हुआ। नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए पेशवा स्वयं अपनी पत्नी के साथ उपस्थित थे। ऐसी गुणी पुत्रवधू पाकर मल्हारराव अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। अहिल्या का व्यक्तित्व उच्च प्रासाद में, भवनों में जाकर भी नहीं बदला। वह युवरानी बनने के बाद भी सादगी, शालीनता, विनम्रता, गंभीरता जैसे गुणों से अपने आप को नित्य निखारती हुई चली गईं, महल में पहुँचकर भी अहंकार उन्हें लेश मात्र भी छू नहीं पाया। तुलसीदास जी रामचरित मानस में लिखते हैं 'प्रभुता पाई, काहि मद नाहीं' अहिल्याबाई के संदर्भ में यह असत्य सिद्ध हुआ।

सेवा, सरलता, सादगी व निष्ठा से प्रभावित ससुर मल्हारराव होलकर ने अहिल्या को राजकाज की शिक्षा देनी भी प्रारंभ करवा दी। उनका अपनी पुत्रवधु के प्रति एक बहुत ही गहरा स्नेह और सम्मान था। जब कभी पति, श्वसुर बाहर जाते तो राजकाज का सारा कार्य उनको सौंप जाते, वह पूरी तन्मयता के साथ राजकाज के सारे काम संपन्न करतीं। अहिल्याबाई शासन-प्रशासन के सभी कार्यों में दक्ष होती चली गईं और मल्हारराव का विश्वास दिनों दिन उन पर बढ़ता चला गया। 24 मार्च सन् 1854 ई. कोउनके पति खांडेराव युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। अहिल्याबाई के जीवन में यह एक बड़ी त्रासदी थीं। उनके पति खांडेराव वीरगति को प्राप्त होने के बाद मात्र 29 वर्ष की अल्पायु में अहिल्याबाई विधवा हो गईं ,तत्कालीन प्रथा के अनुसार अहिल्याबाई अपने मृत पति की चिता के साथ सती होने की तैयारी करने लगीं। लोग उनकी योग्यता और कार्य कुशलता से बहुत प्रभावित थे। वह ऐसी योग्य रानी को खोना नहीं चाहते थे। उनके श्वसुर मल्हारराव उनको समझाने के लिए स्वयं आगे आए,

"अहिल्या मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना है, तुम सती होने की बात मत बोलो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। इतना कहकर मल्हार राव फूट-फूट कर रोने लगे"। इस स्थिति को देखकर आखिरकार अहिल्याबाई ने अपना निर्णय बदल दिया।

मल्हारराव के जीवनकाल में ही उनके पुत्र खांडेराव का निधन हो गया था। अतः मल्हारराव के निधन के बाद उनके पौत्र मालेराव होलकर को उत्तराधिकारी बनाया गया, उनकी कम उम्र होने के कारण रानी अहिल्याबाई उनकी संरक्षिका बनकर रहीं। लेकिन असमय पुत्र भी काल का ग्रास हो गया। मालेराव होलकर की मृत्यु के बाद देवी अहिल्याबाई ने सन् 1868 ई. में पेशवा की अनुमति से प्रशासन का कार्यभार संभाला और तुकोजीराव को सूबेदार नियुक्त किया। रानी अहिल्याबाई अपनी राजधानी को इंदौर से महेश्वर ले गईं । अहिल्याबाई को एक बुद्धिमान, तीक्ष्ण सोच और साहसी शासिका के रूप में याद किया जाता है। हर दिन वह अपनी प्रजा से बात करती थीं। उनकी समस्याएँ सुनती थीं। अपने प्रशासनिक कालखंड (सन् 1868 ई. से सन् 1895 ई.) में रानी अहिल्याबाई ने कई ऐसे कार्य किए जिनकी स्वर्णिम स्मृतियाँ आज भी लोगों के हृदय में जीवित हैं ।

न्याय व्यवस्था और लोक कल्याण

लोकमाता अहिल्याबाई को एक न्यायप्रिय और परोपकारी शासक के रूप में याद किया जाता है। वह अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए जानी जाती हैं चाहे प्रजा की पृष्ठभूमि कुछ भी हो। उनके शासनकाल में न्याय शीघ्र और निष्पक्ष रूप से दिया जाता था। अहिल्याबाई का दरबार सभी के लिए सुलभ था। उनकी कार्य प्रणाली बहुत सहज और प्रजा के लिए उत्साहवर्धक होती थीं । वह जन कल्याण और सामाजिक समरसता के लिए प्रतिबद्ध थीं। जनता को दैनिक आधार पर राहत प्रदान करने के लिए नियमित रूप से व्यवस्थाएँ की जाती थीं । सार्वजनिक कुओं, गौशालाओं के निर्माण, मंदिरों के जीर्णोद्धार, स्थानीय बाजारों के संचालन और रखरखाव के लिए और ब्राह्मणों, पुजारियों, शिल्पकारों, कवियों, संगीतकारों आदि के लिए नियमित रूप से धन वितरित किया जाता था।

लोकमाता के शासन में समानता ही नहीं, बल्कि समता भी बनी रही। सभी धर्मों को मानने वालों के अधिकारों और विश्वासों पर समान ध्यान दिया गया। इसे एक घटना से समझा जा सकता है; एक स्थानीय फकीर-तर्शन अवलिया ने रानी से अनुरोध किया कि उन्हें स्थानीय पीर-नाहर सैयद की इबादत के लिए लगभग 15 बीघा (2) हेक्टेयर) भूमि दी जाए। उन्होंने अनुरोध को स्वीकार किया और फकीर को इतनी भूमि ईनाम के रूप में प्रदान की। इसी तरह की एक अन्य मामले में, शाह सफी पीरजादा हैदराबादकर को दैनिक भरण-पोषण और रखरखाव के लिए एक हजार रुपये अनुदान के रूप में दिए गए।

कूटनीति एवं युद्धनीति

अहिल्याबाई का राज्याभिषेक भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में देखा जा सकता है। जिन विषम परिस्थितियों में उन्होंने सिंहासन ग्रहण किया और तत्पश्चात प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए मालवा की महारानी के रूप में उभरी, वह एक असाधारण उपलब्धि है जिसका पर्याय हमें भारतीय इतिहास में नहीं मिलता। उनका शासनकाल व्यापक रूप से शांति और समृद्धि का काल माना जाता है जो उनकी कुशल राजनीति और कूटनीति का प्रमाण है। उनके राजतिलक का विरोध एक महत्त्वपूर्ण घटना है जो हमें अहिल्याबाई की वीरता और दृढ़ता की पहचान कराता है। उनके शासन काल में उनकी नीतियों और कुशल शासन की वजह से यूँ तो प्रायः शांति रही किंतु जब-जब भीतर या बाहर के विद्रोहियों के द्वारा युद्ध की स्थिति पैदा की गई तो विद्रोहियों को उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया गया । उनके शासनकाल में दो युद्धों का जिक्र आता है जिनका सामना उन्होंने अत्यंत साहस और सूझबूझ से किया। अहिल्याबाई को गंगाधर पंत द्वारा राघोबा को गुप्त रूप से लिखे गए पत्र और राघोबा की पचास हजार की सेना के इंदौर की ओर कूच की जानकारी पहले से ही थी । इस अचानक आई विपत्ति से बिना घबराए रानी अहिल्याबाई ने साहस दिखाते हुए, उनकी कुत्सित योजनाओं को नष्ट करने का संकल्प लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह एक कमजोर विधवा नहीं हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पाँच सौ महिलाओं की सेना तैयार की, उन्हें कठोर प्रशिक्षण दिया, हथियारों से सुसज्जित किया और आवश्यक रसद जुटाई। राघोबा के क्षिप्रा नदी के तट पर शिविर स्थापित करने की खबर मिलने पर, उन्होंने अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में उतरने का निश्चय किया। इस बीच अहिल्याबाई

ने राघोबा को एक पत्र लिखा। जिसमें उन्होंने लिखा था, "तुम मेरे राज्य को हड़पने के बुरे इरादे से यहाँ आए हो। तुम सोचते हो कि मैं एक कमजोर महिला हूँ। लेकिन तुम्हें युद्ध के मैदान में मेरी ताकत का पता चल जाएगा। मैं अपनी नारी शक्ति से तुम्हारा मुकाबला करूंगी। यदि मैं हार गई तो कोई मेरा उपहास नहीं करेगा, लेकिन यदि तुम हार गए तो तुम कहीं भी मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगे। युद्ध के मैदान में उतरने से पहले इन सभी बातों पर विस्तार से विचार कर लेना"।

अहिल्याबाई के इस स्पष्ट और दृढ़ संदेश ने युद्ध के प्रति उत्साहित राघोबा की तीव्रता को कम कर दिया तब उन्होंने अपने सेनापति तुकोजीराव को स्थिति से अवगत कराया और उन्हें राज्य की सुरक्षा के लिए तुरंत इंदौर पहुँचने का निर्देश दिया। इसके बाद उन्होंने महादजी सिंधिया, भोंसले, गायकवाड़, दभरे और अन्य सेनापतियों को पत्र भेजकर अपने सामने आने वाली आपात स्थिति के बारे में बताया, उन्हें अपने श्वसुर स्वर्गीय मल्हारराव द्वारा की गईं सेवाओं और सहायता की याद दिलाई और उनसे उन कठिन समय में होलकर राज्य की मदद के लिए आगे आने का अनुरोध किया। जवाब में, सभी सेनापतियों ने स्वर्गीय मल्हारराव के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और उन्हें अपने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

धर्मार्थ कार्य

महारानी अहिल्याबाई का नाम समूचे भारतवर्ष में धर्मार्थ कार्यों का पर्याय है। उनके द्वारा किए गए विभिन्न मंदिरों, घाटों और धर्मशालाओं के निर्माण, जीर्णोद्धार और संरक्षण के कार्य आज भी राष्ट्रीय धरोहर हैं। इन में सबसे महत्त्वपूर्ण काशी विश्वनाथ का मंदिर है। अहिल्याबाई द्वारा निर्मित कराए गए मंदिर को 'पुराना सोमनाथ' या फिर 'अहिल्याबाई मंदिर' कहा जाता है जो मुख्य रूप से सोमनाथ मंदिर से 200 मीटर दूर स्थित है। ओंकारेश्वर में बावड़ियाँ बनवाई और महादेव के मंदिर में नित्य पूजन की व्यवस्था की उन्होंने मलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। अहिल्याबाई ने हंडिया, पैठण और कई अन्य तीर्थस्थलों पर सरायों (यात्रियों के रुकने हेतु) का निर्माण कराया। मध्य प्रदेश के धार स्थित चिकल्दा में नर्मदा परिक्रमा में आने वाले भक्तों के लिए भोजनालय की स्थापना की। सुलपेश्वर में उन्होंने महादेव के एक विशाल मंदिर और भोजनालय का निर्माण करवाया। मध्यप्रदेश के खरगोन स्थित मंडलेश्वर में उन्होंने मंदिर और विश्राम गृह बनवाए। मांडू में उन्होंने नीलकंठ महादेव मंदिर की स्थापना की।

अंतिम समय

सन् 1795 ई. में लोकमाता अहिल्याबाई 70 वसंत देख चुकी थीं। खरदा के युद्ध में होलकर सेना के पराक्रम के बाद रानी का कद मराठा संघ में और बढ़ गया था और राजकाज सकुशल चल रहा था। परन्तु प्रकृति के नियम के अनुसार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को पुण्यश्लोका लोकमाता अहिल्याबाई अपनी देह का त्याग कर पंचतत्व में विलीन हो गईं। परम शैव भक्त होने के नाते श्रावण के पवित्र माह में उनका देहत्याग उचित ही प्रतीत होता है। होलकर कैफियत में हमें इस घटना का विवरण मिलता है। संतजी होलकर जो सूबेदार के छोटे भाई थे वह लोकमाता के अंतिम क्षणों में उनके पास थे। लोकमाता अंतिम समय तक पूर्णतः चैतन्य थीं और किसी योगी की भांति बिना किसी व्यथा के उन्होंने अपना देहत्याग किया। वह अंत समय तक अपने इष्ट श्री शंकर का नाम जपती रहीं। लोकमाता की मृत्यु के उपरांत, महेश्वर का शासन सूबेदार तुकोजीराव के जिम्मे आ गया।

लोकमाता अहिल्याबाई के देहांत से उत्पन्न हुई रिक्तता को भरना असंभव था। उनके तीस वर्ष के लम्बे शासनकाल में सुख, शांति और समृद्धि देखने वाले मालवा ने उनके स्वर्गवास के बाद अराजकता और अनिश्चितताओं का काल भी देखा। राज्य में लूटपाट फिर एक बार प्रारंभ हो गई थीं और अंग्रेजों के संरक्षण में हैदराबाद भी अपनी हार का प्रतिशोध लेने की तैयारी में था। व्यापक तौर पर देखें तो यह एक ऐसा काल था जब शनैः शनैः मराठा शक्ति कई कारणों से क्षीण होती चली गयी। मालवा में उत्पन्न हुई यह परिस्थितियाँ, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के एक कुशल शासिका होने के महत्त्व पर प्रकाश डालती हैं। प्रायः उन्हें एक सादगी पसंद, धार्मिक कार्य करने वाली रानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, परन्तु उनका कुशल शासन और बुद्धिमत्ता न केवल मालवा परन्तु मराठा राजशाही के लिए अमूल्य थे।

राजभाषा प्रश्नोत्तरी के उत्तर

1. (ख)	2. (ख)	3. (ख)	4. (ग)	5. (ख)
6. (ख)	7. (ख)	8. (ख)	9. (क)	10. (ख)
11. (ख)	12. (ख)	13. (ग)	14. (ग)	

क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की झलकियाँ

अहमदाबाद

बड़ौदा

चेन्नै I

चेन्नै II

कोयंबत्तूर

दिंडुक्कल

एर्णाकुलम

ईरोड

जयपुर

केंद्रीय कार्यालय में आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की झलकियाँ

वीडियो देखने के लिए क्यूआर स्कैन करें

क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की झलकियाँ

लुधियाना

मदुरै

मंगलुरु

एनसीआर- दिल्ली

पुणे

सेलम

रायपुर

वेल्लूर

विशाखापट्टणम

डॉ. मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी : भारतीय समाज सुधार और महिला सशक्तीकरण की अग्रदूत

श्रीकुमारी वी, प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय तिरुवनन्तपुरम

भारत के इतिहास में अनेक ऐसी महान महिलाएँ हुई हैं जिन्होंने समाज में परिवर्तन लाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्हीं महान व्यक्तित्वों में से एक थीं डॉ. मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी। वे भारत की पहली महिला विधायक, प्रसिद्ध चिकित्सक, समाज सुधारक और महिला अधिकारों की प्रबल समर्थक थीं। उन्होंने ऐसे समय में शिक्षा और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया जब महिलाओं को शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में भाग लेने के अवसर बहुत कम मिलते थे । डॉ. मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने न केवल चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया, बल्कि महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। उनके प्रयासों से कई सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में मदद मिली और महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आया। उनका जीवन संघर्ष, साहस और सेवा का प्रेरणादायक उदाहरण है।

प्रारंभिक जीवन और परिवार

डॉ. मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी का जन्म 30 जुलाई 1886 को भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु (तब मद्रास) के पुतुक्कोट्टै में हुआ था। उनके पिता नारायणस्वामी अय्यर महाराजा कॉलेज में प्रोफेसर थे एवं उनकी माता चंद्रम्माळ, देवदासी परंपरा से जुड़ी थीं। उस समय समाज में देवदासी प्रथा प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत लड़कियों को मंदिरों में समर्पित कर दिया जाता था। जब मुत्तुलक्ष्मी केवल 11 वर्ष की थीं, तब समाज के कुछ लोगों ने उन्हें भी देवदासी बनाने का सुझाव दिया। लेकिन उनके पिता ने इस परंपरा का विरोध किया और अपनी बेटी को शिक्षा दिलाने का निर्णय लिया। यही निर्णय आगे चलकर उनके जीवन को नई दिशा देने वाला साबित हुआ। मुत्तुलक्ष्मी को भी बचपन से ही पढ़ने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैट्रिक तक उनके पिता और कुछ शिक्षकों ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया। वे परीक्षा में सर्वाधिक अंक अर्जित करके प्रथम स्थान पर रहीं। मुत्तुलक्ष्मी की मां चंद्रम्माळ ने समाज के तानों के बावजूद उन्हें पढ़ने के लिए भेजा। उन्होंने भी मां-बाप को निराश नहीं किया और देश की पहली महिला डॉक्टर बनीं। मुत्तुलक्ष्मी बचपन से ही अत्यंत मेधावी थीं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उत्कृष्ट अंकों के साथ पूरी की और आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन उस समय लड़कियों को कॉलेज में प्रवेश देना सामान्य बात नहीं थी। समाज के कई लोगों ने इसका विरोध किया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी।

शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में प्रवेश

मुत्तुलक्ष्मी ने अपने दृढ़ संकल्प और प्रतिभा के बल पर **पुरुषों के कॉलेज में प्रवेश पाने वाली पहली महिला** बनने का गौरव प्राप्त किया। उन्हें महाराजा कॉलेज, पुतुक्कोट्टै में प्रवेश मिला, जहाँ वे एकमात्र महिला छात्रा थीं। समाज की रूढ़िवादी सोच के कारण उन्हें पढ़ाई के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कॉलेज में पढ़ते समय उन्हें पुरुष छात्रों से अलग पर्दे के पीछे बैठकर पढ़ना पड़ता था। कई बार उनके आने-जाने के समय विशेष व्यवस्था की जाती थी ताकि वे अन्य छात्रों से अलग रहें। लेकिन इन सब बाधाओं के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 1907 में उन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। यह उस समय एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि उस कॉलेज में महिलाओं का प्रवेश लगभग असंभव माना जाता था। जिस दौर में मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी बड़ी हो रही थीं, उस समय बाल विवाह का चलन आम था, लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया और विवाह के लिए तय न्यूनतम आयु को बढ़ाने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने बच्चियों के साथ होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ भी आवाज बुलंद की।अपनी मेडिकल ट्रेनिंग के दौरान ही एक बार मुत्तुलक्ष्मी को कांग्रेस नेता और स्वतन्त्रता सेनानी सरोजिनी नायडू से मिलने का मौका मिला। बस यहीं से उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और देश की आजादी के लिए लड़ने की कसम खा ली। यहां तक कि उन्हें इंग्लैंड जाकर आगे पढ़ने का मौका भी मिला लेकिन उन्होंने इसे छोड़कर 'विमेंस इंडियन एसोसिएशन' के लिए काम करना ज्यादा जरूरी समझा। वह मद्रास विधान परिषद की पहली महिला सदस्य बनीं, जहां उन्होंने महिलाओं के शोषण के खिलाफ और लड़कियों की कम उम्र में शादी रोकने के लिए नियम बनाए। 1912 में उन्होंने अपनी मेडिकल शिक्षा पूरी की और सात स्वर्ण पदक प्राप्त किए। इसके बाद वे सरकारी अस्पताल में **पहली महिला हाउस सर्जन बनीं।** इस उपलब्धि ने भारतीय समाज में महिलाओं के लिए चिकित्सा क्षेत्र के नए द्वार खोल दिए।

सामाजिक जागरूकता और सुधार का संकल्प

डॉ. मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी केवल एक डॉक्टर ही नहीं थीं, बल्कि एक संवेदनशील समाज सुधारक भी थीं। चिकित्सा प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएँ बहुत कम मिलती हैं और कई महिलाएँ प्रसव के समय उचित इलाज के अभाव में अपनी जान गंवा देती हैं। इन अनुभवों ने उन्हें समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और अधिकारों के लिए कार्य करना शुरू किया। उन्होंने महिलाओं को जागरूक करने के लिए कई लेख

और पुस्तिकाएँ लिखीं। इन लेखों में उन्होंने प्रसव, शिशु देखभाल और मातृ स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी।

राजनीति में प्रवेश और ऐतिहासिक उपलब्धियाँ

डॉ. मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी का मानना था कि सामाजिक परिवर्तन के लिए केवल सेवा कार्य ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कानून और नीतियों में बदलाव भी आवश्यक है। इसी सोच के साथ उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया।1926 में उन्हें मद्रास विधान परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया। इस प्रकार वे ब्रिटिश भारत की पहली महिला विधायक बनीं। यह उस समय की एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, क्योंकि उस दौर में महिलाओं को राजनीति में भाग लेने का अवसर बहुत कम मिलते थे। बाद में वे इसी परिषद की उपाध्यक्ष भी बनीं, जो विश्व में किसी विधान परिषद की पहली महिला उपाध्यक्ष बनने का गौरव था। राजनीति में रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण सामाजिक सुधारों के लिए काम किया।

देवदासी प्रथा के खिलाफ संघर्ष

डॉ. मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने समाज में प्रचलित देवदासी प्रथा के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया। इस प्रथा के अंतर्गत लड़कियों को मंदिरों में समर्पित कर दिया जाता था और उनका जीवन अत्यंत कठिन हो जाता था। उन्होंने इस अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया और समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य किया। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप इस प्रथा को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।

महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष

डॉ. मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी महिलाओं के अधिकारों की प्रबल समर्थक थीं। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, संपत्ति के अधिकार और सामाजिक समानता के लिए संघर्ष किया। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई और विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने की सिफारिश की। साथ ही उन्होंने महिलाओं के लिए अलग अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएँ शुरू करने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं और बच्चों के लिए आश्रय गृह भी स्थापित किए, जहाँ अनाथ और परित्यक्त लड़कियों को शिक्षा और संरक्षण दिया जाता था।

अव्वै होम की स्थापना

डॉ. मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने जरूरतमंद लड़कियों और महिलाओं की सहायता के लिए अव्वै होम की स्थापना की। यह संस्था अनाथ लड़कियों, गरीब महिलाओं और समाज द्वारा त्यागी गई महिलाओं के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थान था । यहाँ उन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण और आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्रदान किए जाते थे। इस संस्था ने हजारों महिलाओं और लड़कियों के जीवन को नई दिशा दी।

कैंसर उपचार के क्षेत्र में योगदान

डॉ. मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी का एक और महान योगदान कैंसर उपचार के क्षेत्र में भी है। उन्होंने अडयार कैंसर संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी छोटी बहन को कैंसर से खोने के बाद, 1954 में उनके द्वारा स्थापित यह संस्थान भारत के प्रमुख कैंसर अस्पतालों में से एक है। इसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद मरीजों को सस्ती या निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना था।आज यह संस्थान हजारों कैंसर रोगियों का उपचार करता है और शोध कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान

डॉ. मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ी हुई थीं। वे कई राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में थीं और महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करती थीं। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक मंचों के माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया।

सम्मान और पुरस्कार

डॉ. मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी के महान कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। यह भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके अलावा उनके जन्मदिन 30 जुलाई को गूगल ने, डॉ. मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी की 133वीं जयंती पर उन्हें सम्मानित करते हुए विशेष गूगल डूडल बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जिसमें भारत एकी पहली महिला विधायक, अग्रणी सर्जन और समर्पित समाज सुधारक के रूप में उनकी विरासत का जश्न मनाया गया।

निधन और विरासत

डॉ. मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी का निधन 22 जुलाई 1968 को हुआ। लेकिन उनके द्वारा किए गए सामाजिक और चिकित्सीय कार्य आज भी समाज को प्रेरित करते हैं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ कोई भी व्यक्ति समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकता है।

निष्कर्ष

डॉ. मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी का जीवन साहस, शिक्षा और सामाजिक बदलाव के लिए समर्पण की एक मिसाल है। उन्होंने ऐसे समय में शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए जब महिलाओं को अवसर बहुत कम मिलते थे। उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के साथ-साथ महिलाओं के अधिकारों के लिए भी निरंतर संघर्ष किया। देवदासी प्रथा के विरोध से लेकर महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक, उनके प्रयासों ने भारतीय समाज को नई दिशा दी। आज भी उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि समाज में बदलाव लाने के लिए साहस, दृढ़ निश्चय और सेवा भाव की आवश्यकता होती है। डॉ. मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी वास्तव में भारत की महान महिलाओं में से एक थीं, जिनका योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।

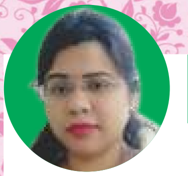

शक्ति स्वरूपा नारी और शक्ति पीठों के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक अंतर्संबंध

नेहा रंजन, प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल

भारतीय वास्तुकला, धर्मशास्त्र और दर्शन के इतिहास में 'शक्ति' की अवधारणा केवल एक धार्मिक आस्था मात्र नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की उस मौलिक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है जो सृजन, पालन और संहार के त्रिकाल चक्र को संचालित करती है। 'नारी शक्ति स्वरूपा' का सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि प्रत्येक स्त्री में वही आदि-शक्ति निहित है, जो ब्रह्मांड की आधारभूत ऊर्जा है । इसी दार्शनिक आधार को भौगोलिक और स्थूल रूप देने के लिए भारतवर्ष की भूमि पर 'शक्ति पीठों' की स्थापना की गई। ये पीठ केवल मंदिर नहीं हैं, बल्कि वे उस दिव्य ऊर्जा के भौगोलिक केंद्र हैं जहाँ सती के अंग गिरे थे, जो आज भी नारीत्व की विभिन्न शक्तियों—जैसे करुणा, ज्ञान, साहस और सृजन-के जीवंत केंद्रों के रूप में पूजे जाते हैं ।

शाक्त दर्शन के अनुसार, शक्ति ही परम ब्रह्म का क्रियाशील रूप है। जहाँ शिव निष्क्रिय चेतना हैं, वहीं शक्ति उनकी सक्रिय क्षमता है । ग्रंथों में यह स्पष्ट किया गया है कि चैतन्य तब तक प्रभावहीन है जब तक उसमें ऊर्जा का संचार न हो । 'नारी शक्ति स्वरूपा' होने का अर्थ यह है कि स्त्री उस आदि पराशक्ति की प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। वह प्रकृति का वह स्वरूप है जो सृष्टि का विस्तार करती है । शक्ति की यह व्यापकता केवल देवियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर उस प्राणी में व्याप्त है जो जीवन को धारण करता है। भागवत पुराण के अनुसार जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति होती है और सूर्य में प्रकाश की शक्ति, उसी प्रकार संसार के समस्त कार्यों के पीछे जो आधारभूत सामर्थ्य है, वही देवी है । जब हम किसी स्त्री को 'शक्ति स्वरूपा' कहते हैं, तो हम उसके भीतर निहित उसी अदम्य ऊर्जा को स्वीकार करते हैं जो एक साथ कोमल और कठोर, सृजनशील और विनाशक हो सकती है । नारी में शक्ति के तीन प्रमुख गुणों-सत्व, रज और तम-का अद्‌भुत संतुलन पाया जाता है। सत्व गुण के रूप में वह सरस्वती है जो ज्ञान और बुद्धि का संचार करती है, रज गुण के रूप में वह लक्ष्मी है जो ऐश्वर्य और पालन का दायित्व निभाती है और तम गुण के रूप में वह महाकाली है जो बुराइयों का अंत कर न्याय की स्थापना करती है । भारतीय ऋषि परंपरा ने नारी को प्रेम, दया, कोमलता और श्रद्धा का प्रतीक माना है, जो एक परिवार की धुरी के रूप में कार्य करती है।

शक्तिपीठों की अवधारणा नारी को 'ऊर्जा के स्रोत' के रूप में स्थापित करती है। यह नारीत्व के सम्मान और लैंगिक समानता की एक गहरी दार्शनिक नींव रखती है। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के समय ये शक्तिपीठ जीवंत हो उठते हैं। बंगाल की दुर्गा पूजा, मैसूर का दशहरा और गुजरात की नवरात्रि इन शक्तिपीठों की ऊर्जा से ही अनुप्राणित हैं । इन अवसरों पर होने वाले शास्त्रीय संगीत और लोक नृत्य कार्यक्रम (जैसे कामाख्या में मानसा पूजा के दौरान होने वाले नृत्य) भारत की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध करते हैं। आधुनिक आध्यात्मिक गुरुओं के अनुसार, शक्तिपीठ पृथ्वी के वे 'चक्र' हैं जहाँ ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह सर्वाधिक तीव्र है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के अनुसार, वे ये स्थान हैं जहाँ ऋषियों ने हजारों वर्षों तक ध्यान किया, जिससे वहां के कण-कण में सकारात्मक स्पंदन व्याप्त हो गए । साधना की दृष्टि से, 51 शक्तिपीठों को संस्कृत वर्णमाला के 51 अक्षरों के साथ जोड़ा गया है। प्रत्येक अक्षर एक ध्वनि ऊर्जा है और प्रत्येक पीठ उस ध्वनि का भौतिक केंद्र । यह दर्शाता है कि शक्ति साधना केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि आंतरिक रूपांतरण की प्रक्रिया है । साधक इन पीठों पर जाकर अपने भीतर की 'कुंडलिनी शक्ति' को जाग्रत करने का प्रयास करते हैं । शक्तिपीठ भारतीय उपमहाद्वीप की उस शाश्वत चेतना के प्रतीक हैं जो जीवन को 'शक्ति' और 'शिव' के समन्वय के रूप में देखती है।

भारतीय आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक भूगोल में शक्तिपीठों का स्थान अत्यंत विशिष्ट एवं अद्वितीय है। ये केवल भौतिक स्थल या ईंट-पत्थरों से निर्मित मंदिर मात्र नहीं हैं, बल्कि वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संकेंद्रित केंद्र माने जाते हैं, जहाँ 'शक्ति' अपने सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में प्रवाहित होती है । 'शक्तिपीठ' शब्द स्वयं में उस महाशक्ति के आधार या आसन का प्रतीक है, जो इस सृष्टि के सृजन, संरक्षण और संहार की अधिष्ठात्री है। इन पवित्र स्थलों का प्रादुर्भाव देवी सती के आत्मोसर्ग, भगवान शिव के शोक और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के संचालन की एक ऐसी त्रिकोणीय और मार्मिक पौराणिक कथा से जुड़ा है, जो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को एक आध्यात्मिक सूत्र में पिरोती है । ऐतिहासिक रूप से ये स्थल तंत्र साधना, भक्ति, आंदोलन और क्षेत्रीय स्थापत्य शैलियों के विकास के साक्षी रहे हैं। शक्तिपीठों के निर्माण की पृष्ठभूमि उस कालखंड की है जिसे पुराणों में 'सृष्टि का प्रारंभिक चरण' माना गया है।

शक्ति पीठों का उदय देवी सती के आत्मदाह और भगवान शिव के वैराग्य की उस ऐतिहासिक-पौराणिक घटना से हुआ है, जो दक्ष यज्ञ के नाम से विख्यात है। सती, जो आदि शक्ति का ही अवतार थीं, उन्होंने अपने पिता दक्ष द्वारा पति (शिव) के अपमान को सहन न कर पाने के कारण यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया । सती का यह कृत्य केवल आत्मदाह नहीं था, बल्कि

यह अहंकार और अन्याय के विरुद्ध एक सर्वोच्च 'विरोध' का प्रतीक था। शिव ने सती के पार्थिव शरीर को उठाकर जब 'रुद्र तांडव' किया, तो संपूर्ण ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा। इस विनाशकारी शोक को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 (या कुछ ग्रंथों के अनुसार 108) टुकड़ों में विभाजित कर दिया। ये अंग जहाँ-जहाँ गिरे, वहाँ 'शक्ति पीठों' का निर्माण हुआ। यहाँ ध्यान देने योग्य दार्शनिक तथ्य यह है कि देवी की देह का विखंडन वास्तव में ऊर्जा का विखंडन नहीं, बल्कि ऊर्जा का भौगोलिक 'वितरण' था, जिससे पूरी पृथ्वी को पावन बनाया जा सके। विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में इन पीठों की संख्या और श्रेणी में अंतर मिलता है। तंत्रचूड़ामणि और शिव पुराण में प्रायः 51 या 52 पीठों की चर्चा है, जबकि देवी भागवत पुराण में 108 स्थानों का उल्लेख मिलता है। इनमें से कुछ को 'आदि शक्ति पीठ' और कुछ को 'महा शक्ति पीठ' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। शक्ति पीठों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रत्येक पीठ देवी के एक विशिष्ट अंग या आभूषण से जुड़ा है।

सुदर्शन चक्र के आघात से सती के शरीर के अंग और आभूषण जिन-जिन 51 या उससे अधिक स्थानों पर गिरे, वे स्थान 'शक्तिपीठ' कहलाए। शक्तिपीठों की कुल संख्या को लेकर विभिन्न धार्मिक संप्रदायों और ग्रंथों में विविधता पाई जाती है। यह विविधता केवल संख्यात्मक नहीं है, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि किन अंगों, वस्त्रों या आभूषणों को पीठ की श्रेणी में रखा गया है।शास्त्रीय संख्यात्मक मतभेद विभिन्न पुराणों और तंत्र ग्रंथों में शक्तिपीठों की संख्या को लेकर निम्नलिखित प्रमुख विवरण प्राप्त होते हैं:

ग्रंथ / स्रोत	वर्णित संख्या	विवरण की प्रकृति
देवी पुराण / शिव चरित	51	सर्वाधिक प्रामाणिक मानी जाने वाली सूची जिसमें अंगों का स्पष्ट विवरण है
तंत्र चूड़ामणि / दुर्गा सप्तशती	52	आभूषणों और वस्त्रों के गिरने के स्थानों को भी समाहित करता है
कालिका पुराण	26	क्षेत्रीय महत्व और तांत्रिक अनुष्ठानों पर विशेष ध्यान
देवी भागवत पुराण	108	देवी के सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों और अष्टोत्तरशत नामों के आधार पर
अष्टादश महाशक्तिपीठ (शंकराचार्य)	18	वे प्रमुख केंद्र जिन्हें आध्यात्मिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली माना गया है
आदि शक्तिपीठ	4	वे मूल चार स्थान जो सृष्टि के चार स्तंभ माने जाते हैं

चार आदि शक्तिपीठ, जो कि क्रमशः विमला देवी (पुरी, उड़िसा), तारा तारिणी (ब्रह्मपुर, उड़िसा), कामाख्या (गुवाहाटी, असम) एवं दक्षिण कालिका (कोलकाता, पश्चिम बंगाल) में स्थित है, को धार्मिक दृष्टि से 'महापीठ' या 'आदि पीठ' माना जाता है।

आदि शंकराचार्य द्वारा रचित 'अष्टादश महाशक्तिपीठ स्तोत्र' में वर्णित 18 प्रमुख शक्तिपीठ निम्नलिखित हैं, जो संपूर्ण उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक भूगोल का निर्माण करती हैं:

मंदिर / स्थान	राज्य / देश	शक्ति का नाम
शंकरी देवी (त्रिंकोमाली)	श्रीलंका	शंकरी
कामाक्षी अम्मन (कांचीपुरम)	तमिलनाडु	कामाक्षी
श्रृंखला देवी (पांडुआ)	पश्चिम बंगाल	श्रृंखला
चामुंडेश्वरी (मैसूर)	कर्नाटक	चामुंडा
जोगुलम्बा (अलमपुर)	तेलंगाना	जोगुलम्बा
भ्रामराम्बा (श्रीशैलम)	आंध्र प्रदेश	भ्रामराम्बिका
महालक्ष्मी (कोल्हापुर)	महाराष्ट्र	महालक्ष्मी

रेणुका देवी (माहुर)	महाराष्ट्र	रेणुका
महाकाली (उज्जैन)	मध्य प्रदेश	महाकाली
पुरुहुतिका (पीठापुरम)	आंध्र प्रदेश	पुरुहुतिका
बिरजा देवी (जाजपुर)	ओडिशा	बिरजा
माणिक्याम्बा (द्राक्षारामम)	आंध्र प्रदेश	माणिक्याम्बा
कामाख्या (गुवाहाटी)	असम	कामाख्या
माधवेश्वरी (प्रयागराज)	उत्तर प्रदेश	ललिता / माधवी
ज्वाला देवी (कांगड़ा)	हिमाचल प्रदेश	ज्वाला
सर्वमंगला (गया)	बिहार	मंगला गौरी
विशालाक्षी (वाराणसी)	उत्तर प्रदेश	विशालाक्षी
शारदा पीठ (कश्मीर)	कश्मीर	शारदा

संस्कृत और क्षेत्रीय साहित्य में देवी-शक्ति को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। पुराणों में (मार्कण्डेय पुराण, देवी पुराण, कालिका पुराण, देवी भागवत आदि) नारी शक्ति का विशेष वर्णन मिलता है। महाकाव्य रामायण एवं महाभारत में भी देवी-स्तुतियाँ हैं। इसके अतिरिक्त भागवतों, उपनिषतों (जैसे अथर्ववेद, देवीसूक्त, अथर्वशीर्ष) में शक्ति की स्तुति और कथा का विस्तार है। यह केवल एक पौराणिक विवरण नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि नारी पवित्रता और दिव्य शक्ति का केंद्र है । ये पीठ हमारे इतिहास, वास्तुकला, कला और सामाजिक मान्यताओं के आधार स्तंभ हैं। चाहे वह कामाख्या में प्रजनन शक्ति का सम्मान हो, उज्जैन में विक्रमादित्य की वीरता और भक्ति हो या हिंगलाज की दुर्गम पहाड़ियों में आस्था की परीक्षा; प्रत्येक पीठ भक्त को अपनी जड़ों से जोड़ता है। वर्तमान युग में, जब समाज और संस्कृति तेजी से बदल रहे हैं, ये शक्तिपीठ श्रद्धा और शांति के द्वीप के रूप में अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। इन स्थलों का संरक्षण और इनकी पवित्रता को बनाए रखना केवल एक धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि अपनी महान सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने का संकल्प है । शास्त्रों में यह माना जाता है कि जो ब्रह्मांड में है, वही मानव शरीर में भी व्याप्त है। अतः, शक्ति पीठों की भौगोलिक स्थिति वास्तव में नारीत्व के विभिन्न गुणों का ही विस्तार है ।

शक्ति स्वरूपा नारी और शक्ति पीठों के बीच का अंतर्संबंध केवल श्रद्धा का विषय नहीं है, बल्कि यह एक जीवन-दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। शक्ति पीठ उस महान बलिदान (सती के त्याग) के स्मारक हैं जो हमें अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना सिखाते हैं । नारी को 'शक्ति स्वरूपा' मानने का वास्तविक अर्थ उसे पूजा की वस्तु बनाना नहीं, बल्कि उसे वह 'सम्मान', 'सुरक्षा' और 'स्वतंत्रता' देना है जो उसकी गरिमा के लिए आवश्यक है । जब तक समाज में कन्याओं को शिक्षा और विकास के समान अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक शक्ति पीठों की पूजा अधूरी रहेगी । भविष्य का मार्ग इसी 'शक्ति' के विचार को हृदयंगम करने में है। यदि हम अपने भीतर की संवेदना, करुणा और साहस को जागृत करते हैं, तो हम वास्तव में उस आदि पराशक्ति की आराधना कर रहे होते हैं । शक्ति पीठों की यात्रा हमें 'अपूर्णता' से 'पूर्णता' की ओर ले जाने वाली एक आध्यात्मिक यात्रा है, जो हमें यह सिखाती है कि हर स्त्री के भीतर एक ज्वाला है, एक माँ है और एक योद्धा है—वह बेचारी नहीं है, वह स्वयं ब्रह्मांड की नियंता है । शक्ति की इस अवधारणा को अपनाकर ही हम एक ऐसे संतुलित समाज का निर्माण कर सकते हैं जहाँ 'शिव' (चेतना) और 'शक्ति' (ऊर्जा) का सामंजस्य हो और जहाँ हर नारी अपनी पूरी क्षमता के साथ खिल सके। यही इन पावन शक्ति पीठों का वास्तविक संदेश और नारी शक्ति स्वरूपा होने का चरम सत्य है।

सूचना प्रौद्योगिकी में राजभाषा हिंदी

आशीष कुमार कर, प्रबन्धक, रायपुर क्षेत्र

सूचना प्रौद्योगिकी, आज किसी भी राष्ट्र के विकास का इंजन है। एक अरब से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की ओर अग्रसर भारत के लिए यह अनिवार्य है कि उसका डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र अपनी जनसंख्या की भाषाई विविधता को समाहित करे। इसी संदर्भ में, राजभाषा हिंदी की भूमिका केवल एक औपचारिकता न होकर, एक आर्थिक अनिवार्यता, सामाजिक समावेश की उत्प्रेरक और तकनीकी नवाचार की केंद्र बन गई है। यह लेख नवीनतम डेटा के आधार पर आइटी क्षेत्र में हिंदी की व्यापक भूमिका, अतुलनीय लाभ और मूलभूत तकनीकी चुनौतियों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण प्रस्तुत करता है। हिंदी न केवल संवाद का माध्यम है, बल्कि यह करोड़ों भारतीयों के लिए डिजिटल साक्षरता, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण की कुंजी है।

1. डिजिटल समावेशन में हिंदी की अपरिहार्य भूमिका

हिंदी, भारत के सबसे बड़े भाषाई समूह का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए डिजिटल पहुँच तथा ई-शासन की सफलता सीधे तौर पर इसकी डिजिटल उपस्थिति पर निर्भर करती है। भारत की एक बड़ी आबादी अंग्रेजी में सहज नहीं है। इंटरनेट को केवल अंग्रेजी तक सीमित रखने से करोड़ों लोग सूचनाओं से वंचित रह सकते हैं। हिंदी में डिजिटल सामग्री की उपलब्धता ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाती है।

क. डिजिटल बाज़ार का विस्तार: सांख्यिकीय प्रमाण

इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 'भारत में इंटरनेट रिपोर्ट 2024' के अनुसार, भारत में सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 886 मिलियन (88.6 करोड़) तक पहुँच चुकी है, और यह संख्या 2025 तक 900 मिलियन पार करने की ओर अग्रसर है। इस विशाल बाज़ार में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या सीमित है।

भाषा वरीयता: रिपोर्ट दर्शाती है कि लगभग 98% इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने इंडिक भाषाओं (Indic Languages) में सामग्री का उपयोग किया है। शहरी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से भी 57% क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट देखना/ पढ़ना पसंद करते हैं।

ग्रामीण नेतृत्व: ग्रामीण भारत, 488 मिलियन उपयोगकर्ताओं के साथ, कुल इंटरनेट आबादी का 55% हिस्सा है। ये उपयोगकर्ता मुख्य रूप से हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में ही डिजिटल सेवाओं का उपयोग करते हैं।

यह डेटा स्पष्ट करता है कि आइटी उत्पादों, ई-कॉमर्स , और फ़िनटेक सेवाओं के लिए हिंदी एकमात्र सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। कंपनियों के लिए, हिंदी में निवेश करना अब ग्राहक अधिग्रहण और बाज़ार के विस्तार की एक महत्वपूर्ण रणनीति है। टियर-2 और टियर-3 शहर अब नए ऑनलाइन ख़रीदारों में से लगभग 60% छोटे शहरों में रहते, जो यह दर्शाता है कि डिजिटल बाज़ार अब केवल महानगरों तक सीमित नहीं है।

ख. ई-गवर्नेंस और पारदर्शिता का आधार

ई- गवर्नेंस परियोजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सेवाएँ अंतिम नागरिक तक कितनी सहजता से पहुँचती हैं। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएँ, जैसे पीएम-किसान, जन-धन, और डिजिटल भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) तभी व्यापक रूप से सफल होते हैं, जब उनका इंटरफ़ेस और दिशानिर्देश हिंदी में उपलब्ध हो। हिंदी में दस्तावेज़ीकरण और डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा, सरकारी प्रक्रियाओं में गति और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।

2. हिंदी अपनाने के आर्थिक, तकनीकी और वित्तीय लाभ

आइटी क्षेत्र में हिंदी का समावेश न केवल उपयोगकर्ता संख्या बढ़ाता है, बल्कि यह आर्थिक विकास, स्वदेशी तकनीकी नवाचार और वित्तीय सेवाओं के लोकतंत्रीकरण को भी प्रेरित करता है। हिंदी कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, और अनुवाद उद्योगों में भारी उछाल आया है। विज्ञापन कंपनियां अब अपना 50% से अधिक डिजिटल बजट हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं पर खर्च कर रही हैं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गजों ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोडक्टिविटी टूल्स को हिंदी में पूर्णतः अनुकूलित किया है, जिससे तकनीकी साक्षरता के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त हो गई है। वर्तमान में 60% से अधिक भारतीय उपयोगकर्ता वॉयस सर्च का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें हिंदी सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा है।

क. डिजिटल कंटेंट की खपत में तेज़ वृद्धि

डिजिटल कंटेंट बाज़ार में हिंदी कंटेन्ट की खपत की दर अंग्रेजी से कहीं अधिक रही है। वर्ष 2015 के एक विश्लेषण के अनुसार, वेब पर हिंदी कंटेंट की खपत में 94% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई थी, जबकि अंग्रेजी कंटेंट की वृद्धि दर 19% थी।

बाज़ार अनुमान: भारत का डिजिटल मीडिया उद्योग 2027 तक 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। इस वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से आता है, जहाँ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, न्यूज़ पोर्टल्स और यूजीसी (उपयोगकर्ता जनित सामग्री) में हिंदी का वर्चस्व स्थापित हो रहा है।

ख. एनएलपी और एआई नवाचार का केंद्र

हिंदी का विशाल डेटाबेस कृत्रिम मेधा और प्राकृतिक भाषा संसाधन के विकास के लिए एक आवश्यक 'ईंधन' है। हिंदी में वॉयस कमांड को समझने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता का विकास ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को दरकिनार कर सीधा पहुँच प्रदान करता है।

ग. वित्तीय समावेशन और बैंकिंग इंटरफ़ेस

वित्तीय सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुँचाने के लिए हिंदी की भूमिका निर्णायक है। भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार की नीतियों के तहत, बैंकों को ग्राहकों के साथ उनकी स्थानीय भाषा में संवाद करना आवश्यक है।

यू.पी.आई. और डिजिटल भुगतान: आज दुनिया की सबसे सफल भुगतान प्रणालियों में से एक है, जिसमें मासिक लेनदेन 10 बिलियन (एक हज़ार करोड़) से अधिक हो गया है। इस वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा टियर-2, टियर-3 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से आता है, जहाँ उपयोगकर्ता ऐप और भुगतान की पुष्टि हिंदी में प्राप्त करना पसंद करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि लेनदेन सुरक्षित और विश्वसनीय हो।

डिजिटल ऋण: छोटे ऋण और डिजिटल बीमा जैसे उत्पाद हिंदी में उपलब्ध कराए जाने पर ही उस आबादी तक पहुँच सकते हैं, जो अन्यथा औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर रह जाती है।

बैंकों द्वारा हिंदी का उपयोग: अधिकांश प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों ने अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप्स, एसएमएस अलर्ट, ग्राहक सेवा चैटबॉट्स और इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस प्रणालियों में हिंदी को डिफ़ॉल्ट भाषा के रूप में प्राथमिकता दी है। हिंदी में एसएमएस/ ओटीपी भेजने से वित्तीय धोखाधड़ी की संभावना कम होती है, क्योंकि उपयोगकर्ता संदेश को तुरंत समझकर प्रतिक्रिया दे सकता है।

3. राजभाषा हिंदी के मार्ग की जटिल चुनौतियाँ:

राजभाषा हिंदी को आई. टी. और विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र में पूरी तरह से एकीकृत करने के लिए संरचनात्मक और तकनीकी चुनौतियों का समाधान किया जाना आवश्यक है।

क. भाषाई जटिलता और एनपीएल में बाधाएँ

हिंदी एक विषयानुसार-वस्तु-क्रिया क्रम वाली भाषा है, जबकि अंग्रेजी विषयानुसार-क्रिया-वस्तु क्रम का पालन करती है। हिंदी की जटिल व्याकरणिक संरचना और लिपि के कारण, मशीन अनुवाद, भावना विश्लेषण और डेटा सारांशीकरण में उच्च सटीकता प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है।

डेटा चुनौतियाँ: हिंदी के लिए उच्च गुणवत्ता वाले, एनोटेटेड कॉर्पोरा की उपलब्धता सीमित है। मशीन अनुवाद में, हिंदी के बहुअर्थी शब्द और लिंग-वचन के नियमों के कारण अक्सर सटीकता 70-80% के आस-पास तक सीमित हो कर रह जाती है।

ख. तकनीकी मानकीकरण और शब्दावली का प्रसार

राजभाषा की तकनीकी शब्दावली को उपयोगकर्ता और उद्योग के स्तर पर स्वीकार्य बनाना एक महत्वपूर्ण कार्य है।

वित्तीय शब्दावली का मानकीकरण: बैंकिंग और बीमा जैसे क्षेत्रों में कानूनी दस्तावेज़ों, के.वाई.सी.(अपने ग्राहक को जानो) फॉर्मों और ऋण समझौतों का त्रुटिरहित हिंदी अनुवाद अत्यंत आवश्यक है। 'बंधक' या 'दृष्टि-बंधक' जैसे जटिल कानूनी और वित्तीय शब्दों के लिए मानकीकृत और व्यापक रूप से स्वीकृत हिंदी शब्द सुनिश्चित करना राजभाषा विभाग की प्रमुख चुनौती है। अस्पष्ट शब्दावली से कानूनी जोखिम बढ़ सकते हैं।

ग. सुरक्षा और डेटा प्रबंधन में चुनौतियाँ

डिजिटल बैंकिंग में, सुरक्षा संबंधी अलर्ट और सूचनाओं को हिंदी में तेज़ी से और सटीकता से प्रसारित करना महत्वपूर्ण है।

प्रणाली एकीकरण: कई पुराने बैंकिंग आई. टी. सिस्टम को इंडिक भाषाओं के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। हिंदी डेटा को कोर बैंकिंग सिस्टम और डेटा वेयरहाउस में सही ढंग से संग्रहीत, संसाधित, और पुनर्प्राप्त करने के लिए बड़े तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता होती है, जिसमें समय और निवेश दोनों की ज़रूरत पड़ती है।

निष्कर्ष

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राजभाषा हिंदी का भविष्य अपार संभावनाओं से भरा है। यह न केवल भारतीय बाज़ार की कुंजी है, बल्कि यह वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को साकार करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम भी है। हिंदी में सुरक्षित, सरल और सहज बैंकिंग इंटरफ़ेस उपलब्ध कराकर ही हम देश के हर नागरिक को डिजिटल अर्थव्यवस्था का सक्रिय भागीदार बना सकते हैं। सांख्यिकीय रुझान स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि ग्रामीण और गैर-अंग्रेजी भाषी आबादी डिजिटल क्रांति का नेतृत्व कर रही है, और हिंदी ही उन्हें इस क्रांति से जोड़ने वाली प्राथमिक भाषा है। ऐसी स्थिति में हिंदी अधिकारी की भूमिका इन जटिल बैंकिंग और तकनीकी चुनौतियों का समाधान करने, शब्दावली के मानकीकरण में सहयोग देने, और हिंदी को ज्ञान, नवाचार और सुरक्षित वित्त की डिजिटल भाषा बनाने में निर्णायक होगी। हिंदी को अपनाना अब केवल भावनात्मक विषय नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक व्यावसायिक अनिवार्यता है। यह भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को समावेशी और टिकाऊ बनाने का सबसे प्रभावी साधन है।

ज्ञान के मोती

- शांतिपूर्ण क्रांति तब तक असंभव नहीं होती, जब तक हम खुद को और अपने आस-पास को बदलने की शुरुआत न करें।
- पुरानी व्यवस्था को लड़कर नहीं बदलते, नई व्यवस्था बनाकर पुरानी को अप्रासंगिक बना दो।
- घर में शिष्टाचार बनाए रखें, बच्चे संस्कारी बनेंगे।
- बड़ा आदमी वही है, जो अपने पास बैठे व्यक्ति को कभी छोटा महसूस न होने दे।
- समझदार व्यक्ति कभी सही होने की जिद नहीं करता, वह सिर्फ समझाने की कोशिश करता है।
- समझ की रोशनी में सबसे कठिन रिश्ते भी सरल हो जाते हैं।
- जीवन की समस्याएँ हमें तोड़ने नहीं, बल्कि नई ताकत और समझ देने के लिए आती हैं।
- समस्याएँ अस्थायी हैं, लेकिन उनसे मिली सीख जीवन भर की सबसे बड़ी पूँजी बन जाती है।
- रिश्ते टूटते नहीं, समझ की कमी से बिखर जाते हैं। समझ बनाओ, रिश्ता अपने आप मजबूत हो जाएगा।
- धैर्य रखने वाला कभी हार नहीं मानता, वह सिर्फ इंतजार करता है।
- धैर्य इंसान को चट्टान बना देता है, जबकि बेसब्री उसे रेत बना देती है।
- सच्चा संतोष वो नहीं जो कुछ न चाहे, बल्कि वो जो जो मिला है उसमें आनंदित रहें।
- सच्ची सुंदरता मुस्कान में नहीं, बल्कि उस मुस्कान के पीछे छिपे अच्छे दिल में होती है।
- सुंदरता अक्सर फूल की तरह होती है - बाहर से नाजुक, लेकिन अंदर से मजबूत जड़ों वाली।
- डर के आगे नहीं, हिम्मत के आगे जीत होती है।
- हिम्मत शोर नहीं करती, ये खामोशी में लिए गए फैसलों में दिखती है।
- पढ़ाई आज की मेहनत है, जो कल की सफलता बनती है।
- अगर सीखने की चाह है, तो हर मुश्किल आसान है।
- समय के साथ चलना ही समझदारी है।
- जब शब्द कम पड़ जाएँ, तो खामोशी ही सबसे बड़ा सहारा बनती है।

डिफेंस में महिलाओं का योगदान

राגिनी श्रीवास्तव, प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी

भारत की संस्कृति में नारी को केवल कोमलता का प्रतीक नहीं माना गया, बल्कि उसे शक्ति, साहस और धैर्य की प्रतिमूर्ति के रूप में भी सम्मानित किया गया है। भारतीय परंपरा में यह कहा जाता है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। नारी जीवन की सृजनकर्ता ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की भी शक्ति है। जब देश पर संकट आता है, तब वही नारी अपने साहस, त्याग और कर्तव्यनिष्ठा से इतिहास के पन्नों में अमर हो जाती है।

इतिहास में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ महिलाओं ने अपने अदम्य साहस और नेतृत्व क्षमता से समाज और राष्ट्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । हालांकि लंबे समय तक रक्षा क्षेत्र को पुरुषों का क्षेत्र माना जाता रहा, लेकिन समय के साथ यह धारणा बदल रही है। आज महिलाएँ भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाते हुए देश की सुरक्षा में अपना अमूल्य योगदान दे रही हैं। रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी न केवल उनकी क्षमता और साहस को दर्शाती है, बल्कि समाज में उनके बढ़ते सम्मान और समानता के अधिकार को भी स्थापित करती है।

नारी केवल प्रेम की, कोमल सी पहचान ।
वक्त पड़े तो बन गई, साहस का तूफान ।।

इतिहास के पन्नों में झाँककर देखें तो स्पष्ट होता है कि महिलाओं ने केवल घर की जिम्मेदारियाँ ही नहीं निभाईं, बल्कि समय आने पर देश और समाज की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के मध्यकालीन इतिहास में अनेक वीरांगनाएँ हुईं जिन्होंने युद्धभूमि में अदम्य साहस का परिचय दिया।

इन वीरांगनाओं में रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबसे अधिक मुखर रूप से लिया जाता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जिस वीरता और नेतृत्व का परिचय दिया, वह आज भी भारतीयों के हृदय में साहस और स्वाभिमान की ज्योति जलाता है।

झाँसी की रानी जब रण में उतरी शौर्य अपार,
दुश्मन भी कांप उठे देख उनका तेज अपार।

इसी प्रकार इतिहास में रानी दुर्गावती और किट्टुर चेन्नम्मा जैसी वीरांगनाओं ने भी अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए। उन्होंने यह सिद्ध किया कि साहस और वीरता किसी एक लिंग विशेष की संपत्ति नहीं होती ।

वीरत्व नारी रूप में, जब जग में प्रकटाय।
अन्यायों के सामने, पर्वत सा अड़ जाय।।

हालाँकि स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका सीमित रही । प्रारंभिक वर्षों में महिलाओं को मुख्यतः नर्सिंग सेवाओं और चिकित्सा विभाग तक ही सीमित रखा गया। समाज की पारंपरिक सोच के कारण यह माना जाता था कि सेना का कठिन और जोखिम भरा कार्य केवल पुरुषों के लिए ही उपयुक्त है।

परंतु समय के साथ समाज में जागरूकता बढ़ी और महिलाओं को शिक्षा तथा अवसर मिलने लगे। परिणामस्वरूप महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी क्षमता सिद्ध करनी शुरू कर दी। रक्षा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। धीरे-धीरे महिलाओं को प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य सेवाओं में शामिल किया जाने लगा।

बदल रही है सोच अब, बदल रहा संसार।
नारी अब सीमाओं में, न रहने को तैयार।।

आज भारत की तीनों सेनाओं—थल सेना, वायु सेना और नौसेना—में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। वे न केवल प्रशासनिक और तकनीकी भूमिकाओं में कार्य कर रही हैं, बल्कि कई महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण पदों पर भी अपनी सेवाएँ दे रही हैं।

भारतीय वायु सेना में महिलाओं को फाइटर पायलट बनने का अवसर मिलना एक ऐतिहासिक कदम था । अवनि चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलटों में शामिल हैं। इन महिलाओं ने अपने साहस और मेहनत से यह सिद्ध कर दिया कि महिलाएँ भी आकाश की ऊँचाइयों को छू सकती हैं।

पंखों में अब दम है उनके, नभ भी झुकने लगता है,
भारत की बेटी जब उड़ती, इतिहास नया बनता है।

भारतीय थल सेना में भी महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का निर्णय लिया गया, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे महिलाओं को लंबे समय तक सेना में सेवा करने और नेतृत्व की जिम्मेदारियाँ निभाने का अवसर प्राप्त हुआ है।

भारतीय रक्षा सेवाओं में कई महिलाएँ ऐसी हैं जिन्होंने अपनी उपलब्धियों से पूरे देश को प्रेरित किया है। उदाहरण के लिए, गुंजन सक्सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान अपनी बहादुरी और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया। उनकी कहानी यह दर्शाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी महिलाएँ साहस और धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर सकती हैं।

सीमा की हर चौकियों पर, नारी आज खड़ी।
देश रक्षा के संग में, नई कहानी गढ़ी।।

भारतीय नौसेना में भी महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। वे युद्धपोतों और तकनीकी इकाइयों में कार्य कर रही हैं तथा समुद्री सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। हाल के वर्षों में महिलाओं को युद्धपोतों पर तैनाती देने का निर्णय भी लिया गया, जो लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है।

हालाँकि रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के बावजूद उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कठोर प्रशिक्षण, लंबी ड्यूटी, परिवार और कार्य के बीच संतुलन तथा समाज की पारंपरिक सोच जैसी कई बाधाएँ अभी भी मौजूद हैं। लेकिन इन सबके बावजूद महिलाएँ अपने साहस और दृढ़ संकल्प से इन चुनौतियों को पार कर रही हैं।

राह कठिन हो चाहे कितनी, नारी पीछे हटती कब।
धैर्य और संकल्प से वह, पार करती बाधाएँ सब।।

आज का समाज पहले की तुलना में अधिक जागरूक और प्रगतिशील हो गया है। शिक्षा और अवसरों की उपलब्धता ने महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मार्ग प्रदान किया है। रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की सफलता ने समाज की सोच को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

आज युवा लड़कियाँ भी सेना में जाकर देश सेवा करने का सपना देख रही हैं। वे यह समझने लगी हैं कि देश की रक्षा करना केवल पुरुषों का ही नहीं, बल्कि महिलाओं का भी कर्तव्य है।

नारी अब निर्बल नहीं, यह जग ने पहचाना।
सीमा पर जब डट गई, दुश्मन भी घबराना।।

आज महिलाएँ न केवल अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ निभा रही हैं, बल्कि देश की सीमाओं की रक्षा भी कर रही हैं। इससे समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और विश्वास बढ़ा है। युवा लड़कियाँ अब सेना में जाने का सपना देख रही हैं और इसे अपने करियर के रूप में चुन रही हैं।

महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से रक्षा व्यवस्था और भी मजबूत हो रही है। उनके साहस, संवेदनशीलता और नेतृत्व क्षमता से सेना को एक नया दृष्टिकोण मिला है।

जब बेटी सीमा पर डटती, गर्वित होता देश।
नारी शक्ति की गाथा से, बढ़ता प्रगति का वेग।।

भविष्य की दृष्टि से देखें तो रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होने वाली है। सरकार और सशस्त्र बलों द्वारा महिलाओं के लिए अधिक अवसर और सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। आने वाले वर्षों में हम और अधिक महिलाओं को सेना के उच्च पदों पर देख सकेंगे। डिफेंस में महिलाओं का योगदान भारत के लिए गर्व का विषय है। इतिहास से लेकर वर्तमान समय तक महिलाओं ने अपने साहस, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा से यह साबित किया है कि वे किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। पहले जहाँ रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका सीमित थी, वहीं आज वे सेना के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रही हैं।

साहस, सेवा, त्याग से, नारी रचे इतिहास।
भारत की सीमा रहे, उसके दृढ़ विश्वास।।

अंततः यह कहा जा सकता है कि रक्षा क्षेत्र में महिलाओं का योगदान केवल देश की सुरक्षा को ही मजबूत नहीं करता, बल्कि समाज में समानता और सशक्तिकरण का संदेश भी देता है।

नारी के साहस, समर्पण और देशभक्ति ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि अवसर और विश्वास दिया जाए, तो वह किसी भी क्षेत्र में असाधारण सफलता प्राप्त कर सकती है।

नारी शक्ति का दीपक जब, सीमा पर जल जाता है।
भारत का हर एक नागरिक, गर्व से भर जाता है।।

इस प्रकार रक्षा क्षेत्र में महिलाओं का योगदान हमारे राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका साहस और कर्तव्यनिष्ठा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्ज्वल मार्गदर्शन प्रदान करती है।

पलक मुच्छल : दिल से दिल तक

निकिता चावला, प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर

पलक मुच्छल एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायिका हैं, जो मुख्य रूप से बॉलीवुड फिल्मों में पार्श्व गीत गायन और दिल की बीमारी से ग्रस्त गरीब बच्चों की मदद के लिए जानी जाती हैं। 30 मार्च 1992 को इंदौर में जन्मीं पलक जिन्होंने महज़ 4 साल की उम्र में गाना शुरू किया और 'आशिकी 2', 'प्रेम रतन धन पायो' जैसी फिल्मों से प्रसिद्धि पाई। उन्होंने 3,800 से अधिक बच्चों की सफल हृदय सर्जरी में आर्थिक सहायता की है।

वे और उनके छोटे भाई पलाश मुच्छल भारत तथा विदेशों में सार्वजनिक मंच पर गाने गाकर हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित छोटे बच्चों के इलाज के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। उन्होंने मई 2013 तक ढ़ाई करोड रूपयों का चंदा इकट्ठा कर 572 बच्चों की जान बचाने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की है। पलक के इस समाज सेवा में योगदान के लिये उनका नाम गिनीज़ बुक ऑफ अवार्ड तथा लिम्का बुक में भी दर्ज़ है। भारत सरकार और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया है। सन 2011 में पलक ने हिन्दी फिल्मों में पार्श्व गायिका के रूप में गाना शुरु किया और वे भारत की 17 विभिन्न भाषाओं में गा सकती हैं।

जीवनी

पलक मुच्छल का जन्म 30 मार्च 1992 के दिन भारत के मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर में एक मध्यम वर्गीय माहेश्वरी मारवाड़ी परिवार में हुआ। उनके परिवार में उनकी माता अमिता मुच्छल, पिता राजकुमार मुच्छल और छोटे भाई पलाश मुच्छल हैं। उनके पिता एक निजी संस्था में लेखाकार के रूप में कार्यरत हैं। पलक ने इंदौर के क्वींस कॉलेज से वाणिज्य विषय के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की है । पलक मुच्छल ने 6 नवंबर 2022 को संगीतकार मिथुन शर्मा से शादी की। पार्श्व गायकी की दुनिया में यह जोड़ी "आशिक़ी 2" के संगीत पर साथ काम कर चुकी है और "तुम ही हो" जैसे लोकप्रिय गानों के लिए जानी जाती है।

सामाजिक योगदान (1997-2010)

पलक चार साल की उम्र में "कल्याणजी-आनंदजी लिटल स्टार", जो कि नवोदित गायकों का इंदौर शहर में एक समूह था, की सदस्य बनीं। जब 1999 में भारत का पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध छिड़ा और भारतीय सैनिक अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे तब मात्र सात साल की पलक ने शहीद सैनिकों के परिवारों की मदद के लिए इंदौर शहर के बाज़ारों में दुकानों के सामने गाने गाकर चंदा जमा करना शुरु किया। उनके इस प्रयास की भारतीय मीडिया में काफी चर्चा हुई। पलक ने उस वक्त पच्चीस हजार रुपयों का चंदा एकत्र किया और उसी साल जब उड़ीसा राज्य चक्रवात के चपेट में आया तब उन्होंने पीड़ितों की सहायता के लिए चंदा भी एकत्र किया।

जब पलक ने गरीब और असहाय छोटे बच्चों को अपने बदन के कपड़ों से रेलगाडी के डिब्बे साफ करते हुए देखा, तब उन्होंने गरीब बच्चों की मदद करने का मन बनाया। तकरीबन उसी वक्त इंदौर के निधि बाल विनय मंदिर के शिक्षकों ने अपने छात्र लोकेश की मदद हेतु पलक से संपर्क किया। लोकेश हृदय की बीमारी से पीड़ित था। एक दिन में महज 50 रुपये कमाने वाले लोकेश के पिता बहुत गरीब थे और लोकेश के दिल के ऑपरेशन का 80,000 रुपये का खर्चा उठाने में असमर्थ थे। शिक्षकों ने पलक से अपने गानों के जरिये चंदा जमा करने की विनती की। अनुरोध का सम्मान रखते हुए पलक ने मार्च 2000 में अपनी गायिकी के माध्यम से चंदा जुटाने का निर्णय लिया और सड़क के एक ठेले को ही रंगमंच बना लिया, उन्होंने अपने गानों से लोगों को लुभाया। एक ही आयोजन में पलक ने लोकेश के ऑपरेशन के लिए 51,000 रुपयों का चंदा इकट्ठा कर लिया। पलक के इस प्रयास की टेलीविजन पर काफी चर्चा हुई और बेंगलुरु के एक डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी ने लोकेश का ऑपरेशन मुफ्त कराने की पेशकश की। बचे चंदे का सदुपयोग करने हेतु पलक के माता-पिता ने अखबारों में विज्ञापन दिया ताकि लोकेश जैसे किसी बच्चे के दिल के ऑपरेशन हेतु चंदे का उपयोग हो सके। 33 बच्चों के पालकों ने पलक के माता-पिता से संपर्क किया।

इसके चलते पलक ने उस साल कई सार्वजनिक कार्यक्रमों का

आयोजन किया और 2.25 लाख रुपयों का चंदा इकठ्ठा किया जो बेंगलुरु और इंदौर के अस्पतालों में 5 बच्चों के दिल के ऑपरेशन के लिए खर्च किया गया। इस प्रयास में इंदौर के टी चोईथराम अस्पताल ने सहयोग करते हुए ऑपरेशन की फीस 80,000 रुपयों से घटाकर 40,000 रुपये कर दी और एक शल्यचिकित्सक धीरज गांधी ने ऑपरेशन की फीस न लेने का फैसला किया।

वर्ष 2000 से पलक ने अपने भाई पलाश के साथ चंदा इकट्ठा करने हेतु देश-विदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है। अपने अभियान से तारतम्यता बनाते हुए उन्होंने अपने कार्यक्रम का नाम "दिल से दिल तक" रखा है। पलक अपने कार्यक्रम में औसतन 40 गाने गाती हैं जिनमें हिन्दी फिल्मों के प्रसिद्ध गाने, भजन तथा ग़ज़लें शामिल होती हैं।

सन 2001 में पलक ने गुज़रात के भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए 10 लाख रुपयों का चंदा इकट्ठा किया। पलक की विभिन्न बीमारियों से पीड़ित बच्चों के प्रति सहानुभूती सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। जुलाई 2003 में पलक ने पाकिस्तान की नागरिक बच्ची, जो हृदय रोग से पीड़ित थी और भारत में इलाज के लिए आयी थी, के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश की थी। दिसम्बर 2006 तक पलक ने अपने धर्मार्थ संगठन पलक मुच्छल हार्ट फाऊंडेशन के लिए कुल 1.2 करोड़ रुपयों की राशि एकत्र की, जिससे 234 बच्चों का ऑपरेशन किया गया। पैसों की कमी की वजह से किसी बच्चे का ऑपरेशन न रुके, यह सुनिश्चित करने के लिए पलक मुच्छल हार्ट फाऊंडेशन को दस लाख रुपये ओवरड्राफ्ट की अनुमती भी दी गई है।

जून 2009 तक पलक ने कुल 1.71 करोड रुपयों की राशि इकट्ठा की जिससे 338 बच्चों की जान बचायी जा सकी। इस धर्मार्थ संगठन के पैसों से पलक या उनके परिवारवालों को कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होता। लाभार्थी बच्चों से पलक एक गुड़िया प्रतीक के रूप में स्वीकार करती हैं।

2011-अब तक

सन 2011 में पलक ने हिन्दी फिल्मों में पार्श्व गायिका के रूप में कदम रखा मगर उनका हृदय रोग पीड़ित बच्चों की मदद करने का अभियान अब भी जारी है। मई 2013 तक उन्होंने पलक मुच्छल हार्ट फाऊंडेशन के लिए तकरीबन ढाई करोड़ रुपयों की राशि जमा की जिससे 572 बच्चों का ऑपरेशन हो सका और उनकी जान बचाई गई। अगस्त 2015 में, उनके द्वारा जुटाए गए धन से 800 बच्चों, अक्टूबर 2020 तक, उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर 2,200 बच्चों की जान बचाई । 8 मार्च 2024 तक, पलक और उनके भाई पलाश ने कुल 2986 बच्चों की जान बचाई है।

621 हृदय रोग पीड़ित बच्चे अब भी उनकी प्रतीक्षा सूची में है जिनकी मदद के लिए पलक के प्रयास जारी है। पलक मुच्छल के अविश्वसनीय महान सामाजिक कार्यों में उनके योगदान की प्रशंसा करने और समाज में प्रेरणा देने के लिए पलक मुच्छल के जीवन पर एक अध्याय पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया गया है।

2024 के बाद, पलक ने अपने सामाजिक कार्यों को जारी रखते हुए नवंबर 2025 तक 3,800 से अधिक गरीब बच्चों की जान बचाने के लिए उनके हृदय (हार्ट) ऑपरेशन का वित्तपोषण किया है। उन्होंने अपने 'पलक-पलाश चैरिटेबल फाउंडेशन' के माध्यम से बच्चों के इलाज के लिए फंड जुटाया, जिसके लिए उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला। 2026 में उन्हें 'जी संवाद ग्लोबल फिलैंथ्रॉपी अवार्ड' से भी सम्मानित किया गया।

व्यावसायिक जीवन

पलक बचपन से ही बॉलीवुड में पार्श्वगायिका बनाना चाहती थीं। उन्होंने अपने बचपन और किशोरावस्था के दिनों में छह गैर-फ़िल्मी संगीत एल्बम भी रिलीज़ कीं। 2001 में जब वे नौ साल की थीं, तब उनकी पहली एल्बम "चाइल्ड फॉर चिल्ड्रन" टिप्स म्यूजिक द्वारा रिलीज़ की गयी थी। 2003 में उनकी दूसरी एल्बम “पलकें” भी रिलीज़ हुई। बाद के वर्षों में उन्होंने अपनी बाकी एल्बम "आओ तुम्हे चाँद पर ले जाएँ", "बेटी हूँ महाकाल की", "दिल के लिए" भी रिलीज़ की। 2006 में अपने गायन व्यवसाय के लिए बॉलीवुड में अवसर प्राप्त करने के लिए वे इंदौर से मुम्बई चली गयीं। सन 2011 में पलक ने हिन्दी फिल्मों की दुनिया में पार्श्व गायिका के रूप में कदम रखा। उन्होंने अपने व्यावसायिक जीवन का पहला गाना सन 2011 की फिल्म दमादम के लिए गाया। उसके बाद उन्होंने ना जाने कबसे, एक था टाइगर, फ्रॉम सिडनी विद लव, आशिक़ी 2 और बांग्ला फिल्म रॉकी के लिए गाने गाये। एक था टाइगर का गाना "लापता" हिट हुआ और वे बॉलीवुड में सफल गायिका के तौर पर स्थापित हो गयीं। आशिक़ी 2 में उनके गाये गानों से वे सनसनी बन गयीं। बॉलीवुड में अपने प्रवेश के बाद, उन्होंने हिमेश रेशमिया द्वारा संगीतबद्ध लगभग हर फिल्म में गाने गाये। 2014 में हिमेश के संगीत निर्देशन में उन्होंने मीका सिंह के साथ किक फ़िल्म के लिए "जुम्मे की रात" गाना गाया जो साल का सबसे बड़ा हिट गाना साबित हुआ । बाद में उन्होंने कई हिट गाने गाये। वे बॉलीवुड में अपनी सफलता का श्रेय सलमान खान को देती हैं। पलक 2015 में सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो में मुख्य गायिका थीं । 2016 में, **उन्होंने एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी में अमाल मलिक के गीत " कौन तुझे "** को अपनी आवाज़ दी , जो उस वर्ष के शीर्ष महिला गीतों में से एक था। अब तक उनके अधिकांश गीत रेशमिया , गांगुली, मिथुन और अमाल मलिक की रचनाएँ हैं।विजय प्रकाश के साथ उनका कन्नड़ गीत "एनम्मी एनम्मी" 2018 में एक बड़ा चार्टबस्टर था।

2023 में फिल्म किसी का भाई किसी की जान का गाना “नाइयो लगदा” भी साल का बड़ा हिट गाना साबित हुआ ।

पुरस्कार

- राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (2000)

- सोनी टीवी शो कैडबरी बॉर्नविटा कॉन्फिडेंस चैंपियंस (2006) की विजेता
- 19 वां लायन्स गोल्ड पुरस्कार (2012)
- 10 वां वार्षिक केल्वीनेटर ग्रेट वुमन अचीवर (2011)
- ज़ी सिने अवार्ड्स 2014 में सा रे गा मा पा फ्रेश सिंगिंग टैलेंट का पुरस्कार उन्हें फिल्म 'आशिकी 2' के गाने "मेरी आशिकी" के लिए दिया गया और इसी गाने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका श्रेणी में भी नामांकित किया गया।
- 2015 में प्रेम रतन धन पायो के टाइटल ट्रैक के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का स्टारडस्ट पुरस्कार ।
- उन्हें 2016 में 61वें फिल्मफेयर पुरस्कारों के माध्यम से उसी गीत और श्रेणी के लिए एक पार्श्व गायिका के रूप में फिल्मफेयर पुरस्कारों में अपना पहला नामांकन मिला ।
- दिसंबर 2016 में "कौन तुझे यूं प्यार करेगा", एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी के लिए अपना पहला स्क्रीन अवार्ड प्राप्त किया।
- 62वें फिल्मफेयर पुरस्कार 2017 के माध्यम से "कौन तुझे" को एक बार फिर फिल्मफेयर में दूसरा नामांकन मिला है ।
- वैश्विक शांति के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मानद डॉक्टरेट प्राप्त किया (2021)
- दादा साहेब फाल्के पुरस्कार (2022): सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका श्रेणी में।
- गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (2025): 3,800 से अधिक जरूरतमंद बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए धन जुटाने के लिए।
- ज़ी संवाद रीयल हीरोज़ अवार्ड (2026): 'सेवा थ्रू सुर- ग्लोबल फिलैंथ्रोपी अवार्ड'

स्वास्थ्य सेवा में अपने काम के साथ-साथ पलक ने शिक्षा से वंचित बच्चों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी पहल की है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों और कक्षाओं के निर्माण में योगदान दिया है और वित्तीय बाधाओं का सामना करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति और शैक्षिक सामग्री प्रदान की । शिक्षा के महत्व पर जोर देकर उनका लक्ष्य बच्चों को सशक्त बनाना और उन्हें भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान करना है। पलक युवा पीढ़ी विशेषकर महत्वाकांक्षी गायकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का काम करती हैं। उनकी यात्रा एक सार्थक प्रभाव पैदा करने के लिए जुनून, प्रतिभा और करुणा को संयोजित करने की क्षमता दिखाती है। पलक युवाओं के साथ जुड़ती हैं अपने अनुभव साझा करती हैं । पलक मुच्छल की सामाजिक कार्य यात्रा एक सतत प्रयास है। एक प्लेबैक सिंगर के रूप में प्रसिद्धि और सफलता हासिल करने के बावजूद वह अपने परोपकारी प्रयासों के लिए समर्पित हैं।

ऑफिस रोजनामचा

रोज मैं कुछ न कुछ ढूंढ़ता रहता हूँ ।
कंप्यूटर के क्लिक से ब्राउज़र की
ब्राऊज़िंग तक मैं उलझा सा रहता हूँ ॥

ऑफिस के कमरे की खिड़की से लोग
गुज़रते देखता रहता हूँ ।
कोई बुला ले तो बोल पड़ता हूँ वरना मूक
बधिर की मूकता को ओढ़े रहता हूँ ॥

रोज सुबह उठकर दफ्तर को चल पड़ता हूँ ।
घर आने का पता नहीं फिर भी अनजानी-अनछुई
फाइलों में ख़ुद को छुपाये रखता हूँ ॥

कोई ख़ुद को श्रेष्ठ बताता है कोई मुझमे खोट
निकलता है ।
मैं बरगद की छाल सा झुका सबकी सुन
ऑफिस से निकल आता हूँ ॥

होड़ नहीं यहाँ किसी से मेरी ये मैं ख़ुद को
बार-बार समझाता हूँ ।
गर ख़ुद पे आ जाये बात तो ऑफिस के हर
काम को पहले कर के बतलाता हूँ॥

गौरव भट्टाचार्या
ग्राहक सेवा सहयोगी
रायपुर क्षेत्र

हंसी की फुलझड़ियाँ

पत्नी – सुनो जी, अगर आपके बाल इसी रफ्तार से झड़ते रहे, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगी...!
पति – हे भगवान! मैं पागल इन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था...!

एक सज्जन बता रहे थे कि वो पिछले 20 सालों से गीता के उपदेश सुनते आ रहे हैं...!
पता करने पर पता चला कि गीता उनकी पत्नी का नाम है।

यमराज (औरत से) – चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ...!
औरत – बस दो मिनट दे दो...!
यमराज – दो मिनट में ऐसा क्या कर लोगी...?
औरत – फेसबुक पर स्टेटस डालना है, "Traveling to Yamlok"!
यह सुनकर यमराज ही बेहोश हो गए...!

पुलिस – मैडम, दरवाजा खोलो,
आपके पति ट्रक के नीचे आकर पापड़ बन गए हैं...!
पत्नी – दरवाजा खोलने की क्या जरूरत है...
नीचे से सरका दो...!

राजू: पापा जी मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा....
पापा : क्यों बेटा जी?
राजू: पापा आज हमारे स्कूल में वजन किया गया था.....
पापा : तो क्या हुआ बेटा....
राजू: आज वजन किया है, कल कहीं बेच दिया तो!!!

इंसान बुखार आने पर इतनी जल्दी दवाई नहीं ढूँढ़ता,
जितनी जल्दी...
वह अपने फ़ोन की बैटरी कम होने पर चार्जर ढूँढ़ने लगता है!

एक आदमी कुंभ मेले में प्रार्थना कर रहा था...
हे प्रभु, न्याय करो... हे प्रभु, न्याय करो।
हमेशा भाई-भाई को बिछड़ते देखा है,
कुंभ में कभी पति-पत्नी पर भी ट्राई करो!!

चाय की दुकान पर इतने छोटे कप हो गए हैं कि लगता है चाय नहीं, पोलियो की ड्रॉप पिला रहे हैं।

पिता (बेटे पर गुस्सा करते हुए) – एक काम ढंग से नहीं होता तुझसे। तुम्हें पुदीना लाने के लिए कहा था और तुम धनिया ले आए...
तुझ जैसे बेवकूफ़ को तो घर से निकाल देना चाहिए...!
बेटा – पापा, चलो इकट्ठे ही चलते हैं...
पिता – क्यों...?
बेटा – क्योंकि मम्मी कह रही थीं कि ये मेथी है...!!!

पप्पू - जी कुत्ते ने काट लिया है...
डॉक्टर - तुमने बाहर बोर्ड पर लिखा नहीं पढ़ा,
मरीज देखने का समय केवल सुबह आठ से 11 बजे तक है और तुम एक बजे आए हो...
.पप्पू - जी मैंने तो पढ़ लिया था, पर कुत्ते ने नहीं पढ़ा था...!!!

रमेश ने शौक-शौक में व्रत रख लिया।
रमेश (पत्नी से) – देखो, सूरज डूब चुका है, अब खाना खाते हैं।
पत्नी – नहीं जी।
रमेश – देखो, डूबा या नहीं?
पत्नी – नहीं जी...
रमेश – लगता है, ये मुझे साथ लेकर ही डूबेगा!

बेटा – मुबारक हो माँ, आज मेरी सात जन्म के लिए नौकरी लग गई है।
माँ – अच्छा बेटा, वह कैसे?
बेटा – क्योंकि माँ, मुझे एक टीवी सीरियल में काम मिल गया है।

डॉक्टर – आपकी परेशानी और बीमारी का कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
असल में, मैं समझता हूँ कि यह नशे की वजह से है।
मरीज – कोई बात नहीं, जब आपका नशा उतरेगा, तब आ जाऊँगा।

रमेश (बीवी से) – ये कैसी फोटो ली है तुमने, पीछे बंदर आ गया।
मुझे इंस्टाग्राम पर डालनी थी।
बीवी (कॉफी पीते हुए) – अरे, तो इसमें क्या दिक्कत है?
तुम लिख दो कि मैं आगे वाला हूँ।

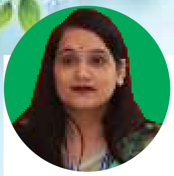

हिंदी साहित्य में महिला साहित्यकारों का योगदान

रेणु सरोज, सहायक प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर

हिंदी साहित्य में महिला साहित्यकारों का योगदान अभूतपूर्व रहा है, इस योगदान में महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी जैसी लेखिकाओं ने नारी विमर्श, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार, स्त्री-शक्ति और मानवीय संवेदनाओं को सशक्त आवाज़ दी । उनकी रचनाएँ समाज को जागरूक कर साहित्य को समृद्ध करती हैं और नई पीढ़ी की लेखिकाओं को प्रेरणा देती हैं।

प्रमुख योगदान और पहलू:

सामाजिक यथार्थ का चित्रण: महिला लेखिकाओं ने अपनी रचनाओं में भारतीय समाज की रूढ़ियों, नारी उत्पीड़न और लैंगिक असमानता को गहराई से चित्रित किया, जिससे समाज में जागरूकता बढ़ी। नारी विमर्श (स्त्री-विमर्श): महादेवी वर्मा की 'श्रृंखला की कड़ियाँ' से शुरू होकर, उनके द्वारा स्त्री के अधिकारों, स्वतंत्रता और आत्म-सम्मान के मुद्दों को उठाने तक प्रासंगिक हैं।

विभिन्न विधाओं में योगदान: कविता (महादेवी वर्मा), उपन्यास (कृष्णा सोबती), कहानी (मन्नू भंडारी), नाटक और संपादन जैसे क्षेत्रों में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

साहसिक और निडर लेखन: कृष्णा सोबती जैसी लेखिकाओं ने अपनी साहसिक भाषा और आवाज़ से पारंपरिक मानदंडों को चुनौती दी, जैसा कि उनके उपन्यास 'ज़िंदगीनामा' से दिखता है।

आधुनिक नारी का चित्रण: मंजुला भगत और अन्य लेखिकाओं ने आधुनिक नारी के मन-चिंतन, उसकी आकांक्षाओं और संघर्षों को चित्रित किया,'लेडीज़ क्लब' इसका जीता जागता उदाहरण है ।

प्रेरणा का स्रोत: उनकी रचनाएँ केवल समस्याओं को उजागर नहीं करतीं, बल्कि समाधान भी प्रस्तुत करती हैं और महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनती हैं।

प्रमुख महिला साहित्यकार और उनके योगदान:

- महादेवी वर्मा
- सुभद्रा कुमारी चौहान
- मन्नू भंडारी
- अमृता प्रीतम

संक्षेप में, महिला साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य को नया आयाम दिया है और अपनी लेखनी से समाज को बदला है, जिससे यह क्षेत्र और भी समृद्ध और जीवंत बना है।

महादेवी वर्मा (1907-1987)

महादेवी वर्मा हिन्दी साहित्य की एक महान कवयित्री, निबंधकार और शिक्षाविद् थीं। वे छायावाद युग की चार प्रमुख स्तंभों—जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा—में एकमात्र प्रमुख नारी स्वर थीं। उनका साहित्य करुणा, वेदना, सौंदर्य, रहस्यवाद और नारी चेतना का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करता है। उन्होंने हिन्दी कविता को भावनात्मक गहराई और आध्यात्मिक ऊँचाई प्रदान की। उन्होंने कविता को आत्मा की अभिव्यक्ति बनाया और गद्य को संवेदना से समृद्ध किया। उनका साहित्य नारी चेतना, करुणा और आध्यात्मिक सौंदर्य का अमर दस्तावेज है। हिन्दी साहित्य में वे सदैव एक प्रेरणास्रोत और युगप्रवर्तक साहित्यकार के रूप में स्मरण की जाएँगी।

1. छायावाद आंदोलन में योगदान

महादेवी वर्मा छायावाद की प्रतिनिधि कवयित्री मानी जाती हैं। उनकी कविताओं में आत्मानुभूति, रहस्यवाद, प्रकृति-चित्रण और सूक्ष्म भावनाओं की प्रधानता है। उन्होंने कविता को बाह्य वर्णन से हटाकर अंतर्मन की अनुभूति का माध्यम बनाया।

उनके काव्य-संग्रह जैसे "नीहार", "रश्मि", "नीरजा" और "सांध्यगीत" छायावादी कविता की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं।

2. करुणा और वेदना का स्वर

महादेवी वर्मा को "वेदना की कवयित्री" कहा जाता है। उनकी रचनाओं में विरह, पीड़ा और करुणा अत्यंत कोमल और संवेदनशील रूप में व्यक्त हुई है। यह वेदना केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि समस्त मानवता की पीड़ा से जुड़ी हुई है। उनके काव्य में दुःख भी सौंदर्य और साधना में परिवर्तित हो जाता है।

3. नारी चेतना और स्त्री विमर्श

महादेवी वर्मा ने नारी को सहनशील और मौन रूप में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और चेतना से युक्त व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया। उनके निबंधों और लेखों में नारी स्वतंत्रता, शिक्षा और सम्मान की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

उनकी प्रसिद्ध निबंध कृति "श्रृंखला की कड़ियाँ" नारी विमर्श की महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है।

4. गद्य साहित्य में योगदान

महादेवी वर्मा केवल कवयित्री ही नहीं, बल्कि उत्कृष्ट गद्य लेखिका भी थीं। उनकी रचनाएँ "अतीत के चलचित्र", "स्मृति की रेखाएँ", और "मेरा परिवार" संस्मरण साहित्य की श्रेष्ठ कृतियों में से एक है ।

इन रचनाओं में मानवीय संवेदना, करुणा और जीव-जंतुओं के प्रति प्रेम भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत हुआ है।

5. भाषा और शैली

महादेवी वर्मा की भाषा संस्कृतनिष्ठ, मधुर और संगीतात्मक है। उनकी शैली ललित, भावप्रधान और चित्रात्मक है। शब्दों के माध्यम से वे भावनाओं के सूक्ष्मतम स्तर तक पहुँचने में सक्षम थीं।

सुभद्रा कुमारी चौहान (1904-1948)

सुभद्रा कुमारी चौहान हिन्दी साहित्य की उन विरल कवयित्रियों में हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रप्रेम, नारी चेतना और सामाजिक जागरण को सशक्त स्वर दिया। उनका जन्म 16 अगस्त 1904 को प्रयागराज (इलाहाबाद) के निकट निहालपुर गाँव में हुआ। वे न केवल साहित्यकार थीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने वाली साहसी महिला भी थीं। उनका साहित्य उनके जीवन-संघर्ष, देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं का सजीव प्रतिबिंब है। उन्होंने कविता को जनसाधारण की आवाज़ बनाया और उसमें राष्ट्रप्रेम, नारी शक्ति तथा मानवीय संवेदना का अद्भुत समन्वय किया। उनकी रचनाएँ आज भी पाठकों को प्रेरित करती हैं और हिन्दी साहित्य में आज भी उन्हें सम्मानपूर्वक याद किया जाएगा।

1. राष्ट्रप्रेम और वीर रस का योगदान

सुभद्रा कुमारी चौहान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान राष्ट्रप्रेम से ओत-प्रोत काव्य रचनाएँ हैं। उनकी प्रसिद्ध कविता "झाँसी की रानी" हिन्दी साहित्य में वीर रस की अमर कृति मानी जाती है।

"खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी"

यह पंक्ति आज भी जन-जन के हृदय में उत्साह और गर्व का संचार करती है। इस कविता ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनमानस को प्रेरित किया और आज भी विद्यालयों तथा सार्वजनिक मंचों पर देशभक्ति का प्रतीक बनी हुई है।

2. नारी चेतना और स्त्री सशक्तिकरण

सुभद्रा कुमारी चौहान ने नारी को केवल कोमल और सहनशील रूप में नहीं, बल्कि साहसी, आत्मनिर्भर और संघर्षशील व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी रचनाओं में नारी सम्मान, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की भावना स्पष्ट रूप से झलकती है। वे स्वयं भी सामाजिक बंधनों को तोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ीं, जिससे उनका साहित्य जीवन से जुड़ा और प्रेरणादायी बना।

3. सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदना

उनकी कविताओं और कहानियों में समाज की वास्तविक समस्याओं, गरीबी, शोषण और मानवीय पीड़ा का सजीव चित्रण मिलता है। उन्होंने सरल भाषा में गहरी भावनाएँ व्यक्त कीं, जिससे उनकी रचनाएँ आम जनता तक सहजता से पहुँचीं। उनकी भाषा प्रवाहमयी, भावप्रधान और प्रभावशाली है।

4. गद्य साहित्य में योगदान

यद्यपि वे मुख्यतः कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हैं, फिर भी उन्होंने कहानियाँ और संस्मरण भी लिखे। उनकी कहानियों में नैतिक मूल्य, सामाजिक चेतना और मानवीय रिश्तों की सूक्ष्मता दिखाई देती है। इससे हिन्दी गद्य साहित्य को भी समृद्धि मिली।

5. साहित्य और स्वतंत्रता आंदोलन का समन्वय

सुभद्रा कुमारी चौहान का साहित्य केवल कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं था, बल्कि वह स्वतंत्रता संग्राम का एक सशक्त माध्यम भी था। उन्होंने अपने लेखन को जन-जागरण का साधन बनाया और स्वयं भी कई बार जेल गईं। इस प्रकार उनका साहित्य और जीवन एक-दूसरे के पूरक बन गए।

मन्नू भंडारी (1931-2021)

मनु भण्डारी हिन्दी साहित्य की आधुनिक चेतना की प्रतिनिधि लेखिका हैं। वे विशेष रूप से नई कहानी आंदोलन से जुड़ी रचनाकार के रूप में जानी जाती हैं। उनका जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ। उन्होंने कहानी और उपन्यास को आधुनिक जीवन की जटिलताओं से जोड़ा और स्त्री-पुरुष संबंधों, सामाजिक यथार्थ तथा मनोवैज्ञानिक द्वंद्व को नई दृष्टि प्रदान की। उनकी रचनाएँ आज भी प्रासंगिक हैं और हिन्दी कथा साहित्य में उन्हें एक सशक्त, संवेदनशील और यथार्थवादी लेखिका के रूप में याद किया जाता है।

हिन्दी कथा साहित्य को यथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

1. नई कहानी आंदोलन में योगदान

मनु भण्डारी नई कहानी आंदोलन की प्रमुख हस्ताक्षर मानी जाती हैं। उनकी कहानियों में घटनाओं से अधिक मनःस्थितियों का चित्रण मिलता है। उन्होंने कहानी को आदर्शवाद से निकालकर जीवन के यथार्थ के निकट पहुँचाया। उनकी रचनाएँ व्यक्ति की मानसिक उलझनों, संबंधों में बढ़ती दूरी और टूटते मूल्यों को उजागर करती हैं।

2. स्त्री-जीवन और नारी चेतना

मनु भण्डारी के साहित्य का केंद्रीय विषय स्त्री है, परंतु उनके स्त्री पात्र विद्रोही नारे नहीं लगाते, बल्कि चुपचाप जीवन की सच्चाइयों से जूझती हैं। उनकी कहानियों में स्त्री का मानसिक संघर्ष, आत्मसम्मान, दांपत्य जीवन की जटिलताएँ और सामाजिक बंधन सशक्त रूप में उभरते हैं। "यही सच है", "त्रिशंकु" और "अकेली" जैसी कहानियाँ स्त्री मन की गहराई को उजागर करती हैं।

3. मध्यवर्गीय जीवन का यथार्थ चित्रण

मनु भण्डारी ने शहरी मध्यवर्ग के जीवन को अपनी रचनाओं का केंद्र बनाया। आर्थिक दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, वैवाहिक तनाव और भावनात्मक रिक्तता उनके साहित्य में प्रमुखता से दिखाई देती है। उनका लेखन पाठक को अपने ही जीवन का प्रतिबिंब प्रतीत होता है, जिससे उनकी रचनाएँ अत्यंत प्रभावशाली बन जाती हैं।

4. उपन्यास साहित्य में योगदान

मनु भण्डारी का उपन्यास "आपका बंटी" हिन्दी साहित्य का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें तलाक के बाद बच्चे के मानसिक संघर्ष को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यह उपन्यास सामाजिक समस्या के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके अतिरिक्त "महाभोज" उपन्यास राजनीति, सत्ता और नैतिक पतन का सशक्त चित्र प्रस्तुत करता है।

5. भाषा और शिल्प

मनु भण्डारी की भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है। वे अनावश्यक अलंकारों से दूर रहकर भावों को सीधे पाठक तक पहुँचाती हैं। उनका शिल्प आधुनिक, संवादात्मक और मनोवैज्ञानिक गहराई लिए हुए है, जिससे उनकी रचनाएँ स्वाभाविक और विश्वसनीय बनती हैं।

अमृता प्रीतम (1919-2005)

अमृता प्रीतम भारतीय साहित्य की एक अत्यंत सशक्त, संवेदनशील और विद्रोही रचनाकार थीं। वे मूलतः पंजाबी भाषा की लेखिका थीं, परन्तु उनके साहित्य का हिन्दी पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। उन्होंने कविता, उपन्यास, कहानी और आत्मकथा के माध्यम से स्त्री-जीवन, प्रेम, पीड़ा, विभाजन और मानवीय संवेदना को नई दृष्टि दी। उनके विचारों और रचनाओं ने हिन्दी साहित्य को अधिक मानवीय, साहसी और संवेदनशील बनाया। वे हिन्दी साहित्य में एक ऐसी लेखिका के रूप में याद की जाती हैं, जिन्होंने स्त्री स्वर को निर्भीक और वैश्विक पहचान दिलाई। हिन्दी साहित्य में उनका योगदान विषय-वैविध्य, भावनात्मक गहराई और नारी चेतना के कारण विशेष महत्व रखता है।

1. आधुनिक कविता को नई संवेदना

अमृता प्रीतम की कविताएँ भावनात्मक, प्रतीकात्मक और आत्मानुभूति से भरी हैं। उन्होंने प्रेम, विरह, अकेलेपन और आत्मसंघर्ष को बेबाकी से व्यक्त किया। उनकी प्रसिद्ध कविता "आज आखाँ वारिस शाह नूँ" ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई। यद्यपि यह कविता पंजाबी में है, पर इसके हिन्दी अनुवाद और प्रभाव ने हिन्दी कविता को भी मानवीय करुणा और स्त्री स्वर से समृद्ध किया।

2. स्त्री चेतना और नारी स्वतंत्रता

अमृता प्रीतम हिन्दी साहित्य में नारी चेतना की अग्रणी आवाज़ मानी जाती हैं। उन्होंने स्त्री को प्रेम करने, निर्णय लेने और अपने जीवन की राह चुनने का अधिकार दिया। उनके साहित्य में स्त्री न तो आदर्श की मूर्ति है और न ही केवल पीड़िता, बल्कि एक सजग, संवेदनशील और आत्मनिर्भर व्यक्तित्व है। इस दृष्टि से उन्होंने हिन्दी नारी लेखन को नई दिशा दी।

3. उपन्यास साहित्य में योगदान

अमृता प्रीतम का उपन्यास "पिंजर" हिन्दी साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति है। इसमें भारत-पाक विभाजन के दौरान स्त्री की त्रासदी को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यह उपन्यास न केवल ऐतिहासिक यथार्थ को उजागर करता है, बल्कि मानवीय संवेदना और स्त्री पीड़ा का गहन चित्रण भी करता है।

इसके अतिरिक्त "धरती सागर ते सीपियाँ", "कोरे काग़ज़" जैसे उपन्यासों के हिन्दी अनुवादों ने हिन्दी पाठकों को गहराई से प्रभावित किया।

4. आत्मकथात्मक लेखन

उनकी आत्मकथा "रसीदी टिकट" (हिन्दी में अत्यंत लोकप्रिय) ने हिन्दी साहित्य में आत्मकथात्मक लेखन को नई ऊँचाई दी। इसमें उन्होंने अपने निजी जीवन, प्रेम, संघर्ष और सामाजिक अनुभवों को निर्भीकता से प्रस्तुत किया। यह कृति स्त्री आत्म-अभिव्यक्ति का सशक्त दस्तावेज मानी जाती है।

5. भाषा और अभिव्यक्ति शैली

अमृता प्रीतम की भाषा सरल, भावप्रधान और प्रतीकात्मक है। उनकी रचनाओं के हिन्दी अनुवादों में भी भावों की तीव्रता और संवेदनशीलता बनी रहती है। उन्होंने साहित्य को केवल सौंदर्य तक सीमित न रखकर उसे सामाजिक चेतना और मानवीय करुणा से जोड़ा।

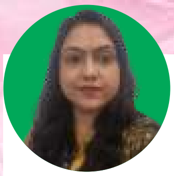

नारी शक्ति वंदन अधिनियम

सोनू जोशी, प्रबंधक, भोपाल क्षेत्र

भारत के संसदीय इतिहास में लैंगिक समानता की दिशा में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (संविधान 106वां संशोधन अधिनियम, 2023) एक युगांतरकारी कदम के रूप में उभर कर आया है। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य लोक सभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना है, जो दशकों से लंबित राजनीतिक सुधारों की परिणति है । हालांकि, 2023 में इसके पारित होने के बाद से कार्यान्वयन की जटिलताओं, विशेष रूप से 2026 के विशेष सत्र के दौरान उत्पन्न हुए संवैधानिक संकट ने इस मुद्दे को एक नए और गहन विमर्श के केंद्र में ला खड़ा किया है। 17 अप्रैल 2026 को लोक सभा में 131वें संवैधानिक संशोधन विधेयक की हार ने न केवल कार्यान्वयन की तात्कालिक योजनाओं को बाधित किया है, बल्कि भारतीय संघवाद, जनगणना की राजनीति और निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण (परिसीमन) के जटिल अंतर्संबंधों को भी उजागर किया है ।

लैंगिक प्रतिनिधित्व का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और विधायी संघर्ष

भारतीय लोकतंत्र की नींव समानता के सिद्धांतों पर रखी गई थी, लेकिन विधायी निकायों में महिलाओं की संख्या हमेशा से ही चिंता का विषय रही है। 1952 की पहली लोक सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 4.41 प्रतिशत था । दशकों के बाद भी यह आंकड़ा संतोषजनक गति से नहीं बढ़ा। 18वीं लोक सभा (2024) में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 13.6 प्रतिशत दर्ज किया गया, जो 2019 के 14.36 प्रतिशत से मामूली गिरावट दर्शाता है । यह वैश्विक औसत 26.1 प्रतिशत की तुलना में काफी कम है और भारत को रवांडा (61.3 प्रतिशत) और नेपाल (33 प्रतिशत) जैसे देशों से पीछे खड़ा करता है । महिलाओं के लिए विधायी आरक्षण का संघर्ष औपचारिक रूप से 1990 के दशक में शुरू हुआ, जब 1993 के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों ने स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगर पालिकाओं) में 33 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य कर दिया । इस जमीनी प्रयोग ने लाखों महिलाओं को शासन की मुख्यधारा में लाया, जिससे राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भी इसी तरह के आरक्षण की मांग बलवती हुई। इसके बाद, 1996, 1998, 1999 और 2008 में कई बार विधेयक पेश किए गए, लेकिन गठबंधन की राजनीति, आम सहमति की कमी और वैचारिक मतभेदों के कारण ये प्रयास विफल रहे ।

2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पारित होना एक ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि इसे लगभग सभी दलों का समर्थन प्राप्त हुआ। लोक सभा में 454 सदस्यों ने इसके पक्ष में और केवल 2 ने विरोध में मतदान किया, जबकि राज्य सभा में यह सर्वसम्मति से पारित हुआ ।106वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2023 ,जिसे लोकप्रिय रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में जाना जाता है, भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन करता है। यह लोक सभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सीटों में से एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है ।

प्रमुख तकनीकी प्रावधान

1. आरक्षण का दायरा: अधिनियम के अनुसार, आरक्षित सीटों का एक-तिहाई हिस्सा उन महिलाओं के लिए होगा जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं । यह सुनिश्चित करता है कि आरक्षण का लाभ समाज के सबसे वंचित वर्गों की महिलाओं तक पहुंचे।

2. रोटेशन प्रणाली: आरक्षित सीटों को प्रत्येक परिसीमन अभ्यास के बाद रोटेशन के आधार पर बदला जाएगा, ताकि प्रतिनिधित्व का प्रसार सुनिश्चित हो सके ।

3. समय सीमा (सनसेट क्लॉज): यह आरक्षण अधिनियम के लागू होने से 15 वर्षों की अवधि तक प्रभावी रहेगा, जिसे संसद भविष्य में कानून बनाकर बढ़ा सकती है ।

4. कार्यान्वयन की शर्त (अनुच्छेद 334ए): इस अधिनियम की सबसे चर्चित विशेषता अनुच्छेद 334ए है। यह निर्धारित करता है कि आरक्षण तभी प्रभावी होगा जब अधिनियम के लागू होने के बाद पहली जनगणना की जाएगी और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होगी । 2023 में अधिनियम पारित करते समय यह स्पष्ट था कि कोविड-19 महामारी के कारण 2021 की जनगणना में देरी हुई है। इस "टाइम-लॉक" प्रावधान ने कार्यान्वयन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया, जिससे ऐसी स्थिति बनी कि यह सुधार संभवतः 2034 से पहले लागू नहीं हो पाएगा । इसी देरी को दूर करने के लिए 2026 में सरकार ने नए विधायी प्रस्ताव पेश किए।

2026 का विधायी पैकेज और 131वां संशोधन विधेयक:

अप्रैल 2026 में, केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के कार्यान्वयन को 2029 के आम चुनावों के लिए गति देने के उद्देश्य से एक व्यापक विधायी पैकेज पेश किया। इस पैकेज का मुख्य आकर्षण संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 था। इस विधेयक ने अधिनियम को आगामी जनगणना की शर्त से मुक्त करने और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन करने का प्रस्ताव रखा।

2026 के विधायी प्रस्तावों का सबसे कड़ा विरोध दक्षिण भारतीय राज्यों—तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश—से हुआ। विरोध का मूल कारण "परिसीमन" की वह पद्धति थी जिसे सरकार ने अपनाने का प्रयास किया।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 यह अनिवार्य करता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुन: आवंटन होना चाहिए ताकि "एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य" का सिद्धांत बना रहे। हालांकि, 1971 के बाद से सीटों की संख्या को स्थिर कर दिया गया था ताकि उन राज्यों को दंडित न किया जाए जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को सफलतापूर्वक लागू किया है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर यदि लोक सभा का विस्तार किया जाता है, तो उत्तर भारतीय राज्यों (जहां जनसंख्या वृद्धि दर उच्च रही है) की सीटों में भारी उछाल आएगा, जबकि दक्षिण भारतीय राज्यों का सापेक्ष प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। 17 अप्रैल 2026 का दिन भारतीय संसदीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। लोक सभा में 131वें संवैधानिक संशोधन विधेयक पर मतदान हुआ। एक संवैधानिक संशोधन होने के नाते, इसे पारित करने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता थी। मतदान के समय सदन में 528 सदस्य उपस्थित थे। विधेयक के पक्ष में 298 मत पड़े, जबकि 230 सदस्यों ने इसके विरोध में मतदान किया। सरकार साधारण बहुमत तो प्राप्त कर सकी, लेकिन दो-तिहाई के जादुई आंकड़े (352 मत) से 54 वोट पीछे रह गई।

इस अधिनियम के पारित न होने की वजह से 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के कार्यान्वयन में भी अनिश्चितता आ गई है। वर्ष 2023 का मूल अधिनियम अभी भी प्रभावी है (जिसे 16 अप्रैल 2026 को अधिसूचित किया गया था), लेकिन यह जनगणना और परिसीमन की अपनी मूल शर्तों से बंधा हुआ है। इसका मतलब है कि 2029 के चुनावों में महिला आरक्षण लागू होने की संभावना अब धूमिल हो गई है। विधायी आरक्षण केवल सीटों की संख्या के बारे में नहीं है, बल्कि यह शासन की प्राथमिकताओं और सामाजिक न्याय के बारे में भी है। भारत में पंचायतों में महिलाओं के 30 साल के अनुभव से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि महिला नेतृत्व नीति निर्माण में गुणात्मक परिवर्तन लाता है। अर्थशास्त्री एस्थर डुफ्लो और चट्टोपाध्याय के शोध ने राजस्थान और पश्चिम बंगाल की ग्राम पंचायतों में महिला आरक्षण के प्रभाव का विश्लेषण किया। उनके निष्कर्षों ने यह स्पष्ट किया कि निर्णय लेने वाले की पहचान (लिंग) सीधे तौर पर सार्वजनिक निवेश को प्रभावित करती है:

- नीतिगत प्राथमिकताओं में बदलाव: महिला प्रधानों ने उन बुनियादी ढांचों में अधिक निवेश किया जो महिलाओं की जरूरतों से सीधे जुड़े थे, जैसे कि स्वच्छ पेयजल और ईंधन। इसके विपरीत, पुरुष प्रधानों ने शिक्षा और अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जहां पुरुषों की पहुंच अधिक थी।
- राजनीतिक लामबंदी: महिला नेतृत्व वाले निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं की ग्राम सभाओं में भागीदारी बढ़ी और उन्होंने अधिक प्रश्न पूछे।
- सामाजिक धारणाओं में परिवर्तन: भले ही शुरुआत में "प्रधान पति" जैसी चुनौतियां देखी गईं, लेकिन समय के साथ महिलाओं ने अपनी स्वायत्तता स्थापित की और वे केवल प्रतीकात्मक नेता नहीं रहीं।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी सफल मॉडल को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ले जाने का प्रयास करता है। यह माना जाता है कि लोक सभा में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ने से स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर विधायी ध्यान बढ़ेगा।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय लोकतंत्र के विकास में एक अपरिहार्य कदम है। अधिनियम की अधिसूचना 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो चुकी है, लेकिन इसकी आत्मा—यानी वास्तविक कार्यान्वयन—अभी भी राजनीतिक आम सहमति की प्रतीक्षा कर रही है। आने वाले वर्षों में, चुनौती यह होगी कि "नारी शक्ति" के सशक्तिकरण को "राज्यों की शक्ति" के क्षरण के रूप में न देखा जाए। भारत को एक ऐसे समावेशी समाधान की आवश्यकता है जहां महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनी उचित भागीदारी पा सकें, और साथ ही देश की संघीय विविधता और लोकतांत्रिक अखंडता भी अक्षुण्ण रहे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम की वास्तविक सफलता केवल इसके पारित होने में नहीं, बल्कि इसके न्यायसंगत और समयबद्ध कार्यान्वयन में निहित है, जो अंततः भारत को 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की ओर ले जाएगा।

रानी लक्ष्मी सा है नारी का अवतार !!

में हूँ अलग, मैं हूँ कुछ खास,
दुनिया से जुदा है मेरा अंदाज !
हूँ कभी शर्मीली सी..... कभी बन जाऊँ एकदम बिंदास ...
एक बूंद नहीं, पूरा समंदर है मेरी प्यास !!

अब उड़ने दो मुझे, छूने दो पूरा आसमान,
लगाओ नहीं मुझ पर बंदिशे बार-बार,
साथ दो या ना दो, पर न करो मेरे वेशभूषा पर वार !

पतंग नहीं हूँ, जो कट जाऊँगी,
मैं वो बहती हवा हूँ.....
जो बुराई के कंकड़ भी अपने साथ समेट ले जाऊँगी !

हाँ अब मैं पहचान चुकी हूँ,
इस दुनिया के रीत रिवाज़..
जो केवल बेड़ियाँ डाले,
नहीं पहनना है मुझे, ऐसे चुभते काँटों का ताज !

शिक्षा पाऊँ मैं, कुछ कर दिखाऊँ मैं, बस इतना सा ही तो.. मौका दुनिया से मांगा है,
नहीं किसी लक्ष्मण रेखा को मैंने लांघा है।

तोलो न मुझे संस्कारों के तराजू पर बोलो न अब तीखे बोल,
सोच-समझ कर करना... मुझ पर कोई भी प्रहार, अबला नहीं...
अब रानी लक्ष्मी सा है नारी का अवतार !!

शबनम बानो
सहायक प्रबन्धक
रायपुर क्षेत्र

समावेशी भविष्य की अग्रदूत 'दि रॉकेट वूमन' रितु करिधल

देवेश नितिन, ग्राहक सेवा सहयोगी, लखनऊ क्षेत्र

महिला सशक्तिकरण की शुरुआत 8 मार्च 1975 ई. को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस' मनाकर की गई, किन्तु वैश्विक स्तर पर इसका महत्व वर्ष 1985 ई. के नैरोबी सम्मेलन में स्वीकारा गया । भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक आत्मनिर्भरता को मानक बनाकर वर्ष 2001 ई. को 'महिला सशक्तिकरण वर्ष के रुप में' मनाया गया । देश के प्रयास से गत वर्षों में जिन महिलाओं ने अपनी एक मिसाल कायम की उनमें पूर्णिया, बिहार की लिली झा, भागलपुर की निर्मला देवी, मध्य प्रदेश की लखपति दीदी, स्वर्णपदक विजेता मुक्केबाज मैरी कॉम आदि उल्लेखनीय नाम हैं । इनके अतिरिक्त अन्य अनेक महिलाओं ने भी उद्यमिता और आत्मनिर्भरता ,अधिकार और सामाजिक सुधार,नेतृत्व और प्रशासनिक क्षेत्र, खेल और युद्ध आदि क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है ।

इस शृंखला में वर्ष 2024 में, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की जिस महिला ने देश का झण्डा बुलंद किया, उनका नाम रितु करिधल है । 'दि रॉकेट वूमन ऑफ इंडिया' (The rocket woman of India) के नाम से प्रसिद्ध रितु करिधल एक भारतीय वैज्ञानिक और एयरोस्पेस इंजीनियर हैं, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में कार्यरत हैं। वह भारत के मंगल कक्षीय मिशन, मंगलयान की उप संचालन निदेशक रह चुकी हैं । इस पद पर रहते हुए उन्होंने जो उल्लेखनीय कार्य किये उनको स्मरणीय बनाने हेतु बॉलीवुड मे एक फिल्म 'मिशन मंगल' बनी, भी जिसमें भारतीय वैज्ञानिक की भूमिका अभिनेत्री विद्या बालन ने निभाई।

करिधल का जन्म लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह एक मध्यमवर्गीय परिवार में पली-बढ़ीं । उन्होंने लखनऊ के सेंट अंजनी पब्लिक स्कूल से पढ़ाई आरंभ की । आर्थिक कारणों से उनके पास पढ़ाई हेतु आवश्यक संसाधनों की हमेशा कमी रही पर उनका आत्मविश्वास सदैव अडिग रहा । अंतरिक्ष विज्ञान में उनकी रुचि बचपन से ही थी । अपने शिक्षा के दिनो आ में वह रात में आकाश को घंटों निहारती और अंतरिक्ष चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के बारे में सोचती । वह उन रहस्यों को जानना चाहती कि चंद्रमा सुनहला क्यों है और यह बढ़ता घटता क्यों है ? वह जानना चाहती कि अंधेरे स्थानों के पीछे क्या छिपा होता है ? यह तमाम बातें उन्होने अपने बहुतेरे साक्षात्कार में लोगों से साझा कीं । किशोरावस्था में अंतरिक्ष से संबंधित समाचार पत्रों की कटिंग एकत्रित करना और इसरो / नासा की गतिविधियों पर नज़र रखना उनका शगल था ।

रितु ने लखनऊ विश्वविद्यालय में छह महीने तक शोध-कार्य भी किया फिर एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए वह आइआइएससी, बेंगलुरु चली गईं। वार्षिक दीक्षांत समारोह वर्ष 2019 ई. में लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्हें डी.एससी. की मानद उपाधि मिली । अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रकाशनों में उनके 20 से अधिक शोध-पत्र प्रकाशित हुए ।

अपनी शिक्षा-दीक्षा के बीच रितु इसरो के लिए वर्ष 1997 ई. से काम करती रहीं । उन्होंने भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान के विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें यान की आगे की स्वायत्तता प्रणाली का विवरण और निष्पादन शामिल था। वह इस मिशन की उप संचालन निदेशक थीं। अपनी आरंभिक कठिनाइयों को याद करते हुये वे कहती हैं - 'कार्य-जीवन में संतुलन बनाए रखना आसान नहीं था, लेकिन मुझे अपने परिवार, अपने पति और अपने भाई-बहनों से वह समर्थन मिला जिसकी मुझे ज़रूरत थी । उस समय मेरा बेटा 11 साल का था और मेरी बेटी पाँच साल की । हमें कई काम करने पड़ते थे । समय का बेहतर प्रबंधन करना पड़ता था, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं काम पर थक जाती थी, तब भी मैं घर आती थी और अपने बच्चों को देखती थी और उनके साथ आनंद लेती थी । मुझे बेहतर महसूस होता था और बच्चे भी इसे पसंद करते थे।"

मंगलयान इसरो की बड़ी उपलब्धियों में से एक है ।इसने भारत को मंगल ग्रह पर पहुँचने वाला दुनिया का चौथा देश बना दिया। यह कार्य करदाताओं के धन से बहुत ही कम लागत पर मात्र 18 महीने में किया गया । रितु का योगदान यान के आगे की स्वायत्तता प्रणाली की अवधारणा तय करना और उसे

क्रियान्वित करना था । जिसका कार्य अंतरिक्ष में उपग्रह के कार्यों को स्वतंत्र रूप से संचालित करना और तकनीकी खराबी पर प्रतिक्रियात्मक संदेश देना था ।

इसरो में अपने आरंभिक दिनों को याद करते हुये रितु कहती हैं - 'मैं तब कुंवारी थी और पेइंग गेस्ट के तौर पर रहती थी । मैं सुबह से लेकर शाम तक लगातार काम करती थी , लेकिन मुझे इसमें मजा आता था क्योंकि मुझे अपना काम पसंद था। उस समय इसरो में ज्यादा लड़कियाँ काम नहीं करती थीं और जब मैं लैब में रुकती थी, तो आसपास बहुत कम लोग होते थे। यहाँ तक कि यूआरएससी परिसर में एक प्रयोगशाला से दूसरी प्रयोगशाला तक, या एक इमारत से दूसरी इमारत तक लंबे गलियारों में काफी अकेले पैदल चलना होता था, लेकिन मुझे कभी कोई डर महसूस नहीं हुआ। '

मिशन निदेशक के रूप में रितु करिधल ने चंद्रयान-2 मिशन का पर्यवेक्षण किया । यूनाइटेड किंगडम ने वर्ष 2021 ई. में जब जी7 की अध्यक्षता संभाली, तो करिधल को देश की महिला और समानता मंत्री लिज़ट्रस द्वारा सारा सैंड्स की अध्यक्षता में नवगठित लैंगिक समानता सलाहकार परिषद (जीईएसी) में नियुक्त किया गया । वर्ष 2023 ई. में भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए चंद्रयान-3 मिशन शुरू किया और यह अभियान इतना सफल हुआ कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया। इस मिशन में रितु करिधल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को सफलता के शिखर तक पहुंचाया। अपने लंबे कैरियर में अभूतपूर्व सेवा एवं उपलब्धियों के लिए उन्हें बहुत से पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, जिनमें से कुछ खास इस प्रकार हैं –

1. वर्ष 2007 ई. में भारत के राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम से इसरो युवा वैज्ञानिक पुरस्कार ।
2. वर्ष 2019 ई. में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से डी.एससी. की मानद उपाधि
3. वर्ष 24 जनवरी 2024 ई. को यू पी दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यू पी गौरव सम्मान पुरस्कार ।

इसके अतिरिक्त रितु ने वर्ष 2015 ई में 'इसरो टीम अवार्ड फॉर एओएम' "ए एस आई टीम अवार्ड', वर्ष 2017 में एसआइएटी (सोसाइटी ऑफ इंडियन एयरोस्पेस टेक्नोलॉजीज एंड इंडस्ट्रीज) द्वारा प्रदत्त महिला एयरोस्पेस उपलब्धि पुरस्कार" और "बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रदत्त बिरला सन अचीवमेंट अवार्ड" भी उन्हें प्राप्त हुए ।

रितु करिधल ने अपने एक साक्षात्कार में बड़ी रोचक बात कही । उनका कहना था -' यह अक्सर कहा जाता है कि "पुरुष मंगल ग्रह से हैं जबकि महिलाएं शुक्र ग्रह से हैं, लेकिन मंगल मिशन की सफलता के बाद कई लोगों ने भारत की महिला वैज्ञानिकों को 'मंगल ग्रह से आई महिलाएँ' करार दिया। लेकिन मैं धरती से आई एक महिला हूं । एक भारतीय महिला जिसे एक अद्भुत अवसर मिला। मंगल मिशन एक उपलब्धि थी, लेकिन हमें और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। देश को हमसे बहुत कुछ चाहिए ताकि लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। मेरी समझ में ऐसा करने के लिए महिला वैज्ञानिकों से बेहतर और कौन हो सकता है?

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि रितु करिधल भारत की उन गिनी-चुनी महिलाओं में से एक हैं, जिन्होंने महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत का नाम उज्ज्वल किया है। व्यवसायों के नेतृत्व से लेकर सामाजिक सरोकारों में अग्रणी भूमिका निभाने तक, भारतीय महिलाएं लगातार सफलता के नए प्रतिमान गढ़ रही हैं । नारी सशक्तिकरण की ये उपलब्धियां निश्चित रूप से एक समावेशी भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती हैं।

क्षेत्रीय भाषाएं एवं उसके प्रभाव

स्वाती गोयल, वरिष्ठ प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ

भारत की पहचान उसकी विविधता से है, और इस विविधता की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति यहाँ की भाषाओं में देखने को मिलती है। भारत एक ऐसा विशाल उपमहाद्वीप है जहाँ हज़ारों बोलियाँ और दर्जनों समृद्ध साहित्य वाली भाषाएँ फल-फूल रही हैं। भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं का इतिहास केवल व्याकरण या शब्दों के परिवर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारतीय सभ्यता के उदय, सामाजिक आंदोलनों, धार्मिक क्रांतियों और राजनीतिक परिवर्तनों का जीवंत दस्तावेज़ है। इन भाषाओं ने हज़ारों वर्षों के सफर में एक-दूसरे को प्रभावित किया और अंततः उस "साझी संस्कृति" को जन्म दिया, जिसे हम भारतीयता कहते हैं।

भारतीय भाषाओं को मुख्य रूप से चार भाषा परिवारों में बाँटा जा सकता है, जिनमें से दो का प्रभाव सबसे अधिक है:

- इंडो-आर्यन परिवार - इसमें उत्तर भारत की अधिकांश भाषाएँ जैसे हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, मराठी, गुजराती, ओडिया, असमिया, सिंधी और कश्मीरी शामिल हैं। इनका मूल स्रोत प्राचीन संस्कृत और वैदिक संस्कृत को माना जाता है।
- द्रविड़ परिवार - इसमें दक्षिण भारत की प्रमुख भाषाएँ - तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम आती हैं। तमिल इनमें सबसे प्राचीन है और इसकी परंपरा संस्कृत के समानांतर मानी जाती है।
- आस्ट्रो-एशियाटिक और तिब्बती-बर्मी परिवार आते हैं। ये मुख्य रूप से मध्य भारत की जनजातीय बोलियों और उत्तर-पूर्वी राज्यों में बोली जाती हैं।

प्राचीन काल : संस्कृत, पाली और प्राकृत

प्राचीन भारत में संस्कृत ज्ञान, विज्ञान और धर्म की मुख्य भाषा थी। हालाँकि, यह उच्च वर्ग और विद्वानों तक सीमित रही। आम जनता जिस भाषा में संवाद करती थी, उसे 'प्राकृत' (प्राकृतिक या सहज) कहा गया।

- **पाली :** भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए ताकि वे जन-जन तक पहुँच सकें। यह भारत की पहली महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संपर्क भाषा बनी।
- **प्राकृत :** जैन तीर्थंकरों ने 'अर्धमागधी' (प्राकृत का एक रूप) में उपदेश दिए। समय के साथ प्राकृत के क्षेत्रीय रूप विकसित हुए, जैसे शौरसेनी (मथुरा के आसपास), मागधी (बिहार), और महाराष्ट्री (महाराष्ट्र)।

मध्यकाल : अपभ्रंश से आधुनिक भाषाओं का उदय (500 ई. - 1500 ई.) छठी शताब्दी से दसवीं शताब्दी के बीच प्राकृत भाषाओं का रूपांतरण 'अपभ्रंश' में हुआ। 'अपभ्रंश' का अर्थ है 'गिरा हुआ' या 'बिगड़ा हुआ' रूप, लेकिन साहित्य की दृष्टि से यह अत्यंत समृद्ध काल था। इसी काल में आधुनिक क्षेत्रीय भाषाओं की नींव पड़ी:

- ·शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का विकास हुआ।
- मागधी अपभ्रंश से बांग्ला, असमिया, ओडिया और पूर्वांचल व बिहार की भाषाओं का जन्म हुआ।
- महाराष्ट्री अपभ्रंश ने मराठी को जन्म दिया।

भक्ति आंदोलन : क्षेत्रीय भाषाओं का स्वर्ण काल

12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच पूरे भारत में 'भक्ति आंदोलन' की लहर चली। इस आंदोलन ने क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में सबसे निर्णायक भूमिका निभाई। संतों और कवियों ने ईश्वर की भक्ति के लिए 'लोकभाषा' को चुना और जटिल संस्कृत के बंधनों को तोड़ दिया।

- **उत्तर भारत :** तुलसीदास ने 'अवधी' में रामचरितमानस लिखकर और सूरदास ने 'ब्रजभाषा' में सूरसागर रचकर इन बोलियों को साहित्यिक भाषा का दर्जा दिलाया।
- **पूर्वी भारत :** चैतन्य महाप्रभु के पदों ने बांग्ला को और शंकरदेव ने असमिया भाषा को समृद्ध किया।
- **पश्चिम भारत :** संत ज्ञानेश्वर और तुकाराम ने मराठी साहित्य की नींव रखी, जबकि नरसी मेहता ने गुजराती को ऊँचाइयों पर पहुँचाया।
- **दक्षिण भारत :** यहाँ भक्ति की धारा सबसे पहले बही। नयनार और आलवार संतों ने तमिल साहित्य को 'तिरुवाचकम' जैसे ग्रंथों से सजाया। बसवन्ना ने कन्नड़ में 'वचन' साहित्य के माध्यम से सामाजिक सुधार की बात की।

इसी काल में मुस्लिम शासकों के आगमन से फारसी और अरबी का प्रभाव बढ़ा। फारसी और स्थानीय बोलियों (विशेषकर खड़ी बोली) के मेल से 'उर्दू' का जन्म हुआ, जो अपनी नज़ाकत और शायरी के लिए प्रसिद्ध हुई।

औपनिवेशिक काल और पुनर्जागरण

अंग्रेजों के आगमन के बाद भारतीय भाषाओं के इतिहास में एक नया मोड़ आया। 19वीं शताब्दी में छापेखाने के आविष्कार ने क्षेत्रीय भाषाओं के प्रसार में क्रांति ला दी।

1. गद्य का विकास : इससे पहले भारतीय भाषाएँ मुख्य रूप से पद्य (कविता) तक सीमित थीं। फोर्ट विलियम कॉलेज जैसे संस्थानों और मिशनरियों के प्रयास से बांग्ला, हिंदी और अन्य भाषाओं में गद्य, उपन्यास और पत्रकारिता का विकास हुआ।

2. राष्ट्रीय चेतना : स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने 'केसरी' (मराठी), बंकिम चंद्र चटर्जी ने 'आनंदमठ' (बंगाली) और सुब्रमण्यम भारती ने तमिल कविताओं के माध्यम से आजादी की अलख जगाई। हिंदी को 'राष्ट्रभाषा' के रूप में पहचान मिलने लगी ताकि पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया जा सके।

स्वतंत्रता के बाद का परिदृश्य

1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद, भारत के सामने भाषाई चुनौती थी। 1956 में 'राज्य पुनर्गठन अधिनियम' के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया (जैसे आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र)। इससे क्षेत्रीय भाषाओं को प्रशासनिक संरक्षण मिला।

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, जिनकी संख्या अब बढ़कर 22 हो गई है। इनमें कश्मीरी, डोगरी, मैथिली और संथाली जैसी भाषाओं को भी स्थान मिला है। सरकार ने तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया को 'शास्त्रीय भाषा' का दर्जा देकर उनकी प्राचीनता को स्वीकार किया है।

भारत जैसे भाषाई विविधता वाले देश में, जहाँ हज़ारों बोलियाँ अस्तित्व में रही हैं, आज कई भाषाएँ विलुप्ति की कगार पर हैं। यूनेस्को की

रिपोर्ट के अनुसार, भारत की लगभग 197 भाषाएँ संकटग्रस्त हैं। क्षेत्रीय भाषाओं के इस क्रमिक पतन के पीछे कई गहरे सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारण उत्तरदायी हैं।

विलुप्ति के प्रमुख कारण

1. वैश्वीकरण और अंग्रेजी का प्रभुत्व : आधुनिक दौर में अंग्रेजी को केवल एक भाषा नहीं, बल्कि 'सामाजिक प्रतिष्ठा' और 'बौद्धिक श्रेष्ठता' का प्रतीक मान लिया गया है। वैश्वीकरण के कारण विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा और वैश्विक व्यापार की मुख्य भाषा अंग्रेजी बन गई है। इस होड़ में माता-पिता अपने बच्चों को क्षेत्रीय भाषाओं के बजाय अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भेजना गौरव की बात समझते हैं, जिससे नई पीढ़ी अपनी जड़ों से कटती जा रही है।

2. आर्थिक अवसर और रोजगार का अभाव : किसी भी भाषा का जीवित रहना उसकी आर्थिक उपयोगिता पर निर्भर करता है। वर्तमान बाजार व्यवस्था में हिंदी या अंग्रेजी जानने वाले युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुले हैं, जबकि क्षेत्रीय भाषाओं या जनजातीय बोलियों (जैसे-कुड़ुख, गोंडी या मैथिली की सूक्ष्म बोलियाँ) में करियर के अवसर नगण्य हैं। जब किसी भाषा को बोलने से आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलती, तो लोग व्यावहारिक रूप से उसे छोड़कर लाभप्रद भाषाओं को अपना लेते हैं।

3. पलायन और शहरीकरण : ग्रामीण आबादी का शहरों की ओर बढ़ता पलायन भाषाओं के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा है। शहर एक 'मेल्टिंग पॉट' की तरह होते हैं जहाँ जीवित रहने के लिए व्यक्ति को अपनी विशिष्ट क्षेत्रीय बोली छोड़कर एक 'साझा संपर्क भाषा' अपनानी पड़ती है। दूसरी और तीसरी पीढ़ी तक आते-आते अपनी मातृभाषा का ज्ञान केवल कुछ शब्दों तक सीमित रह जाता है।

4. सरकारी नीतियों और शिक्षा प्रणाली में उपेक्षा : स्वतंत्रता के बाद राज्यों का गठन भाषाई आधार पर तो हुआ, लेकिन ध्यान केवल बड़ी आधिकारिक भाषाओं पर रहा। इसके परिणामस्वरूप, उन राज्यों के भीतर बोली जाने वाली छोटी बोलियों को न तो स्कूलों में जगह मिली और न ही सरकारी दस्तावेज़ों में। जब किसी भाषा को आधिकारिक संरक्षण और लिपि का समर्थन नहीं मिलता, तो वह मौखिक परंपरा तक सीमित रहकर धीरे-धीरे दम तोड़ देती है।

5. हीन भावना और सामाजिक दबाव : यह एक कड़वा सच है कि समाज में अक्सर क्षेत्रीय बोली बोलने वाले को 'कम पढ़ा-लिखा' या 'पिछड़ा' समझा जाता है। इस मनोवैज्ञानिक दबाव और 'आधुनिक' दिखने की चाह में युवा अपनी मातृभाषा बोलने से बचते हैं। यह 'भाषाई हीनता' ही भाषा की सबसे बड़ी दुश्मन है।

जब एक भाषा मरती है, तो उसके साथ सदियों पुराना लोक-साहित्य, औषधियों का पारंपरिक ज्ञान, लोकगीत और एक अद्वितीय विश्व-दृष्टि भी समाप्त हो जाती है। भाषा का विलुप्त होना एक सांस्कृतिक प्रजाति के विलुप्त होने जैसा है, जिसे दोबारा कभी जीवित नहीं किया जा सकता। भारत एक ऐसा देश है जहाँ की मिट्टी में सैंकड़ों भाषाएं रची-बसी हैं। लेकिन पिछले दो दशकों में परिदृश्य तेज़ी से बदला है। आज भारतीय समाज में अंग्रेज़ी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा, सफलता और आधुनिकता का सबसे बड़ा पैमाना बन गई है। इस वैश्विक भाषा की चमक के पीछे हमारी समृद्ध क्षेत्रीय भाषाएं निरंतर पिछड़ती जा रही हैं। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे गहरे ऐतिहासिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारण हैं।

भारतीय भाषाओं के पिछड़ने की नींव औपनिवेशिक काल में ही रख दी गई थी। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का उद्देश्य ऐसे 'कलर्कों' की फौज तैयार करना था जो शरीर से भारतीय हों लेकिन विचारों और भाषा से अंग्रेज़। आज़ादी के बाद भी हमारा प्रशासनिक और न्यायिक ढांचा उसी ढर्रे पर चलता रहा। देश की सर्वोच्च अदालतों से लेकर कॉर्पोरेट जगत तक, अंग्रेज़ी ही काम-काज की मुख्य भाषा बनी रही। जब न्याय, प्रशासन और कानून की भाषा जनभाषा से अलग हो जाती है, तो क्षेत्रीय भाषाएं स्वतः हाशिए पर चली जाती हैं।

क्षेत्रीय भाषाओं के पिछड़ने का सबसे बड़ा व्यावहारिक कारण 'अर्थ' (पैसा) है। वैश्वीकरण के बाद भारत विश्व का 'सर्विस हब' बना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर कॉल सेंटर कर्मचारी तक, हर अच्छी नौकरी के लिए अंग्रेज़ी अनिवार्य शर्त बन गई। बाज़ार की मांग ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहाँ क्षेत्रीय भाषा बोलना 'सांस्कृतिक' तो माना गया, लेकिन 'व्यावसायिक' नहीं। जब किसी भाषा को बोलने से रोज़गार की गारंटी नहीं मिलती, तो नई पीढ़ी स्वाभाविक रूप से उस भाषा की ओर मुड़ जाती है जो उनके भविष्य को सुरक्षित करती है।

आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है। 'अंग्रेज़ी माध्यम' के स्कूल एक उद्योग की तरह फैल गए हैं। माता-पिता के बीच यह धारणा घर कर गई है कि यदि बच्चा अंग्रेज़ी नहीं बोलेगा, तो वह समाज में पिछड़ जाएगा। स्कूलों में भी मातृभाषा बोलने पर दंड देने जैसी कुरीतियां देखी गई हैं। यह मनोवैज्ञानिक दबाव बच्चों के मन में अपनी ही भाषा के प्रति हीन भावना पैदा करता है। वे अपनी दादी-नानी की कहानियों और लोकगीतों से कटकर एक ऐसी भाषा को ओढ़ लेते हैं, जिसमें उनका भाव तो होता है पर गहराई नहीं।

इंटरनेट और शुरुआती डिजिटल युग में अंग्रेज़ी का एकाधिकार था। हालाँकि अब क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट बढ़ रहा है, लेकिन उच्च स्तरीय शोध, विज्ञान और तकनीक का 80% से अधिक ज्ञान आज भी अंग्रेज़ी में ही उपलब्ध है। लोकप्रिय संस्कृति, सिनेमा और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर 'हिंग्लिश' का बोलबाला बढ़ रहा है, जिससे शुद्ध क्षेत्रीय बोलियों का स्वरूप बिगड़ रहा है।

भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं का इतिहास हमारे देश की उस आत्मा का इतिहास है जो कभी नहीं मरती। ये भाषाएँ केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि हमारे संस्कार, त्यौहार, लोकगीत और हमारी पहचान हैं। संस्कृत की भव्यता, तमिल की प्राचीनता, हिंदी की व्यापकता और बांग्ला की मिठास—ये सब मिलकर भारत को एक "भाषाई गुलदस्ता" बनाती हैं। यदि हमें अपनी संस्कृति को जीवित रखना है, तो हमें अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान करना होगा और उन्हें शिक्षा व रोजगार की मुख्यधारा से जोड़ना होगा। क्षेत्रीय भाषाओं का संरक्षण केवल भावनात्मक मुद्दा नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विविधता को बचाने की अनिवार्य आवश्यकता है। इसके लिए नई शिक्षा नीति (NEP) में मातृभाषा में शिक्षा पर जोर देना एक सराहनीय कदम है। हमें तकनीक और डिजिटल मीडिया का उपयोग इन भाषाओं के प्रलेखन के लिए करना चाहिए। अंततः, कोई भी भाषा तभी बच सकती है जब उसके बोलने वाले उसे बोलने में गर्व का अनुभव करें। यदि हम अपनी बोलियों को अपनी पहचान मानेंगे, तभी ये आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रह सकेंगी। अंग्रेज़ी ने भारतीय भाषाओं को ज्ञान के स्तर पर नहीं, बल्कि 'अवसर' और 'अहंकार' के स्तर पर पीछे किया है। अंग्रेज़ी सीखना समय की मांग है और यह हमें विश्व से जोड़ती है, लेकिन यह अपनी मातृभाषा की कीमत पर नहीं होना चाहिए। यदि हम अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को केवल घरों तक सीमित कर देंगे और उन्हें विज्ञान, व्यापार और तकनीक की भाषा नहीं बनाएंगे, तो वे धीरे-धीरे केवल 'बोलियां' बनकर रह जाएंगी। अपनी जड़ों को सुरक्षित रखते हुए आकाश को छूना ही सच्ची प्रगति है।

अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसे यूनेस्को ने 2000 में घोषित किया था और इसका मुख्य उद्देश्य भाषाई विविधता का संरक्षण करना और मातृभाषा में शिक्षा के अधिकार को बढ़ावा देना है। मातृभाषा किसी भी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान, इतिहास और शिक्षा का आधार होती है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के संदर्भ में, 1952 में तत्कालीन पाकिस्तान के ढाका (अब बांग्लादेश) में छात्रों ने अपनी मातृभाषा बांग्ला के अधिकार के लिए आंदोलन किया और इस आंदोलन में कई छात्रों ने अपनी जान दी, जिसे भाषा आन्दोलन या शोहीद दिबोस(Shohid Dikosh) कहा जाता है। इस घटना ने वैश्विक स्तर पर भाषाई अधिकारों और मातृभाषा की महत्वता को उजागर किया। भारत जैसे बहुभाषीय देश में मातृभाषा दिवस का विशेष महत्व है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 350–350ए भाषाई अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों तथा मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा को सुनिश्चित करते हैं। अनुच्छेद 350 राज्यों को निर्देश देता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी कामकाज और शिक्षण में उनकी मातृभाषा का प्रयोग संभव बनाया जाए, जबकि अनुच्छेद 350ए के तहत प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। भारत की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है और मातृभाषा का संरक्षण केंद्रीय और राज्य स्तर पर शिक्षा परियोजनाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और बहुभाषीय शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा को प्राथमिक माध्यम बनाने की सिफारिश की गई है और कुछ राज्यों ने इसे मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा में भी लागू करना शुरू किया है।

1. अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है?
   क) 1 जनवरी ख) 21 फरवरी
   ग) 8 मार्च घ) 14 अप्रैल
2. अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था?
   क) 1995 ख) 2000
   ग) 2005 घ) 2010
3. बांग्लादेश में मातृभाषा दिवस को क्या कहा जाता है?
   क) मातृभाषा दिवस ख) शहीद दिवस
   ग) मातृ दिवस घ) शिक्षा दिवस
4. 1952 के ढाका आंदोलन में कितने छात्रों ने मातृभाषा के लिए अपने प्राण गंवाएँ ?
   क) 3 ख) 4 ग) 5 घ) 6
5. भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएँ शामिल हैं?
   क) 18 ख) 22 ग) 25 घ) 30
6. अनुच्छेद 29 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
   क) राज्य कर्मचारियों को अंग्रेज़ी में काम करना
   ख) भाषाई अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का संरक्षण
   ग) खेल आयोजन का प्रावधान घ) केवल छुट्टी का अधिकार
7. अनुच्छेद 350 किसके अधिकारों को सुनिश्चित करता है?
   क) खेलकूद
   ख) भाषाई अल्पसंख्यकों के सरकारी कामकाज में मातृभाषा के प्रयोग
   ग) केवल कॉलेज छात्रों घ) केवल उच्च न्यायालय
8. अनुच्छेद 350ए का मुख्य उद्देश्य क्या है?
   क) सरकारी कामकाज में मातृभाषा का प्रयोग
   ख) प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा में शिक्षा देना
   ग) केवल खेल कार्यक्रम घ) केवल सांस्कृतिक गतिविधियाँ
9. भारत में मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा किस स्तर पर अनिवार्य है?
   क) प्राथमिक शिक्षा ख) माध्यमिक शिक्षा
   ग) उच्च शिक्षा घ) विश्वविद्यालय
10. 21 फरवरी 1952 के ढाका आंदोलन के बाद मातृभाषा दिवस पहली बार कब मनाया गया?
   क) 1952 ख) 1954
   ग) 1956 घ) 1960
11. भारत में भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है?
   क) अनुच्छेद 15 ख) अनुच्छेद 29
   ग) अनुच्छेद 19 घ) अनुच्छेद 32
12. भारत का कौन-सा राज्य नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मातृभाषा (हिंदी/स्थानीय भाषा) में मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा शुरू करने वाला पहला राज्य बना?
   क) महाराष्ट्र ख) मध्य प्रदेश
   ग) उत्तर प्रदेश घ) कर्नाटक
13. नई शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा को प्राथमिक माध्यम बनाने का सिफ़ारिश किस कक्षा तक की गई है?
   क) कक्षा 1-3 ख) कक्षा 6-8
   ग) कक्षा 1-5 (जहाँ संभव हो कक्षा 8 तक)
   घ) केवल कक्षा 1
14. विश्व में मातृभाषा दिवस किस स्तर पर मनाया जाता है?
   क) केवल दक्षिण एशिया ख) केवल बांग्लादेश
   ग) पूरे विश्व में घ) केवल भारत

नोट : राजभाषा प्रश्नोत्तरी के उत्तर के लिए पृष्ठ संख्या 28 देखें

संकलनकर्ता:
आदर्श गुप्ता
प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली

प्रतिस्पन्दन

आपके कार्यालय की तिमाही गृह पत्रिका 'वाणी' का 147वाँ अंक (दिसंबर 2025) पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रस्तुत अंक विषयवस्तु की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध, संतुलित एवं ज्ञानवर्धक है। प्रबंधकीय संदेशों के साथ-साथ राष्ट्र गौरव, वैश्विक परिदृश्य, तकनीकी नवाचार एवं बैंकिंग सुधारों से संबंधित लेख पत्रिका को व्यापक आयाम प्रदान करते हैं।

डिजिटल बैंकिंग, साइबर सुरक्षा, एनपीए प्रबंधन, ऋण जोखिम एवं ईएसजी जेसे विषय बैंकिंग कर्मियों के लिए अत्यंत प्रासंगिक एवं उपयोगी हैं। वहीं महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सरोकार एवं ग्रामीण विकास से जुड़े आलेख मानवीय संवेदना और संस्थागत मूल्यों को सुदृढ़ करते हैं। साहित्यिक रचनाएँ एवं विचारप्रधान लेख पत्रिका को भावनात्मक गहराई प्रदान करते हैं।

इस उत्कृष्ट प्रकाशन हेतु संपादकीय टीम को हार्दिक बधाई एवं आगामी अंकों के लिए शुभकामनाएँ।

विकास कुमार, महा प्रबंधक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय मुंबई

आपके बैंक की तिमाही गृह पत्रिका 'वाणी' का नवीनतम विशेषांक पढ़ते हुए अत्यंत प्रसन्नता हुई। सर्वप्रथम हमारी ओर से आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं!

देश की संस्कृति एवं इतिहास को उजागर करती, आपकी पत्रिका अत्यंत महत्वपूर्ण संवाहिका का कार्य कर रही है। 'संस्कृति जड़ नहीं होती, बल्कि यह एक बहती हुई नदी के समान होती है।' इसी प्रकार किसी भी संस्था द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं को केवल निश्चित विषयों तक सीमित कर दिया जाए तो, वे बोझिल प्रतीत होने लगती हैं। किंतु वाणी पत्रिका समसामयिक विषयों के साथ-साथ देश की सांस्कृति विरासत तथा हिंदी साहित्य को भी अपने में समाहित किए हुए है जोकि, अत्यंत प्रशसंनीय है। पत्रिका के कुछ लेख विशेषकर वंदे मातरम राष्ट्र जागरण का गीत, गांव गंवार, मोबाइल फोनः सुविधा की चमक और चेतना की कीमत तथा पत्रिका में प्रकाशित साहित्य का सफ़रनामा कॉलम अत्यंत प्रभावशाली हैं। किसी भी पत्रिका के लिए पाठकों को भावानात्मक रुप से जोड़ना अत्यंत आवश्यक होता है और आपकी पत्रिका इस दिशा में सक्रिया भूमिक का निर्वाह कर रही है।

पत्रिका के सफल संपादन हेतु संपूर्ण संपादकीय समूह को बहुत-बहुत बधाई एवं आगामी अंक हेतु शुभकामनाएं!

गजराज देवी सिंह ठाकुर
महा प्रबंधक सह मुख्य राजभाषा अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय नई दिल्ली

बैंक की गृह पत्रिका वाणी का 147वाँ अंक (दिसंबर 2025) प्राप्त हुआ, तदर्थ धन्यवाद। पत्रिका का आवरण पृष्ठ और साज-सज्जा अत्यंत आकर्षक है। इसमें प्रकाशित सभी लेख ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी हैं। इस अंक में वंदेमातरम राष्ट्रगीत पर प्रस्तुत आलेख सराहनीय है। बैंकिंग पर लिखे गए लेख विशेषकर "संख्याओं का साहित्य: ब्याज दरों की आत्मकथा" की रचनात्मकता प्रशंसनीय है जिसमें भारतीय दर्शन एवं साहित्य के उदाहरणों द्वारा अत्यंत आसान शब्दों में व रुचिकर ढंग से ब्याज दरों के संतुलन के महत्व को समझाया गया है। अन्य बैंकिंग लेख "अपडेट करिये और सुरक्षित रहिये","क्वांटम कंप्युटरिंग और बैंकिंग क्षेत्र: अवसर व खतरे","बैंकिंग में जोखिम प्रबंधन", "साइबर अपराध: चुनौतियाँ व सुरक्षा" भी अत्यंत उपयोगी व प्रासंगिक है। प्रसिद्ध रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल जी पर प्रस्तुत लेख उल्लेखनीय है। पत्रिका के अन्य सभी लेख और विविधा रोचक है। इस सूचनात्मक,पठनीय एवं उपयोगी अंक के प्रकाशन में योगदान देने वाले सभी लेखकों और संपादक मंडल को बधाई।

रंजय कुमार मिश्रा
महा प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई

हमारे बैंक की गृह पत्रिका 'वाणी' का 147वाँ अंक प्राप्त हुआ, धन्यवाद। विशेष रूप से इसके आवरण पृष्ठ की सुंदरता मन को आकर्षित करती है। "वंदे मातरम्" के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिस कलात्मक और भावनात्मक रूप से इसे प्रस्तुत किया गया है, वह हमारी राष्ट्रीय भावना और सांस्कृतिक गौरव को सजीव कर देता है। पत्रिका का आवरण पृष्ठ देशभक्ति और इतिहास के प्रति सम्मान को दर्शाता है। पत्रिका की सामग्री भी उतनी ही प्रभावशाली है। इसमें बैंकिंग विषयों पर प्रकाशित लेख जैसे ब्याज दरों की रामकथा, क्वांटम कंप्यूटरिंग, जोखिम प्रबंधन - आदि अत्यंत ज्ञानवर्धक हैं, जो स्टाफ़ सदस्यों और पाठकों को वित्तीय क्षेत्र की नई जानकारियों से अवगत करवाते हैं। इसके अतिरिक्त, बढ़ती साइबर शिकायतों पर केंद्रित लेख आज के डिजिटल युग में अत्यंत प्रासंगिक हैं। ये न केवल जागरूकता बढ़ाते हैं, बल्कि सुरक्षित बैंकिंग के महत्व को भी स्पष्ट करते हैं। ये लेख हमें अपनी परंपराओं, मूल्यों और विरासत से जुड़े रहने की प्रेरणा देते हैं। कुल मिलाकर, यह हिंदी पत्रिका ज्ञान, संस्कृति और समसामयिक विषयों का सुंदर संगम है। इसके लिए संपादक मण्डल और सभी लेखकों को हार्दिक बधाई।

जी वी दयाल प्रसाद
महा प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय तिरुवनन्तपुरम

प्रतिस्पन्दन

बैंक की गृह-पत्रिका 'वाणी' का 147वाँ अंक (दिसम्बर 2025) प्राप्त हुआ। इस उत्कृष्ट एवं ज्ञानवर्धक अंक हेतु हार्दिक धन्यवाद। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय का संदेश सदैव की भाँति प्रेरणादायी, दूरदर्शी तथा बैंक की समग्र कार्य-संस्कृति एवं विकास-यात्रा को नई दिशा प्रदान करने वाला है। इसी प्रकार कार्यपालक निदेशक श्री जयदीप दत्ता राय एवं श्री धनराज टी. जी. के संदेश बैंक की वर्तमान दशा एवं भावी दिशा के सशक्त मार्गदर्शक प्रतीत होते हैं। श्री प्रवीण कुमार, सहायक महाप्रबंधक द्वारा "बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो की तरलता प्रबंधन में भूमिका" विषय पर प्रस्तुत आलेख अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं समसामयिक है। वहीं श्री जितेंद्र सिंह, सहायक महा प्रबंधक द्वारा लिखित "संख्याओं का साहित्य : ब्याज दरों की रामकथा" आलेख में ब्याज दरों के निर्धारण तथा उसके सामान्य जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को अत्यंत रोचक, सहज एवं साहित्यिक शैली में प्रस्तुत किया गया है। 'विविधा' स्तम्भ के अंतर्गत "विश्व हिंदी दिवस : संक्षिप्त परिचय" पाठकों को हिंदी के वैश्विक स्वरूप एवं उसके महत्व से परिचित कराता है। श्री नगेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा लिखित "मैं धीरे चलता हूँ, ताकि जिंदगी पीछे न छूट जाए" लेख के माध्यम से सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री विनोद कुमार शुक्ल जी के व्यक्तित्व एवं साहित्य-संसार को जानने का सुअवसर प्राप्त हुआ।पत्रिका में संकलित सभी आलेख, रचनाएँ एवं साहित्यिक प्रस्तुतियाँ सारगर्भित, पठनीय तथा अत्यंत रुचिकर हैं। समग्र रूप से यह अंक विषय-वस्तु, भाषा-शैली एवं प्रस्तुति—सभी दृष्टियों से अपनी उत्कृष्टता एवं पूर्णता को प्राप्त करता प्रतीत होता है। इस उत्कृष्ट प्रकाशन हेतु सभी लेखकों, रचनाकारों, संपादक मंडल एवं प्रकाशन से जुड़े समस्त सहयोगियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।

बिनोद कुमार रजक
महा प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय पटना

नवोन्मेषी अभिकल्पन, सुंदर साज-सज्जा एवं उत्तम एवं कलात्मक प्रस्तुति के साथ बहुआयामी संगम वाला, "वाणी" का नवीनतम अंक 147 दिसम्बर 2025 प्राप्त हुआ, इसके लिए धन्यवाद ।

पत्रिका की शुरुआत हमारे अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक महोदय, द्वय कार्यपालक महोदय तथा महा प्रबंधक महोदय के संदेशों के साथ हुई है । हमारे अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक महोदय ने अपने संदेश में डिजिटल बैंकिंग के विभिन्न उत्पादों के प्रसार, प्रयोग तथा इससे बैंक को शुल्क आधारित होने वाली आय के महत्व पर विशेष जोर दिया है । अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा प्रस्तुत यह संदेश, निश्चय ही बैंकिंग कारोबार को बढ़ाते रहने के लिए हम सबको अभिप्रेरित करता है । दोनो कार्यपालक निदेशक महोदय का संदेश बैंक में गतिमान बने रहने एवं नए कीर्तिमान स्थापित करने की इच्छा शक्ति के साथ काम करने को प्रेरित करता है । महा प्रबंधक महोदय का संदेश एनपीए की प्रभावी रिकवरी के साथ गुणवत्तापूर्ण व्यवसाय अर्जित करने के लिए सजेत एवं प्रोत्साहित करता है ।

"वन्दे मातरम् राष्ट्र जागरण का गीत" , "भारतीय संस्कृति और विरासत" , "मैं धीरे चलता हूं, ताकि जिंदगी पीछे न छूट जाए", "साइबर अपराध : चुनौतियां व सुरक्षा" आदि जैसे लेखों ने पत्रिका को संग्रहणीय रुप दे दिया है । संपादकीय सहित पत्रिका में शामिल सभी रचनाएं समसामयिकता का प्रतिनिधित्व करती है । बैंकिंग विषयक लेख काफी महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक है । पत्रिका का अभिकल्पन अत्यंत सुंदर है । उत्कृष्ट पत्रिका प्रकाशन के लिए "संपादक मंडल" को हर्दिक बधाई । "वाणी" के भावी अंक और भी पुष्पित-पल्लवित हो इसी कामना के साथ ।

कुणाल कुमार सिंह
वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय गोवा

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की तिमाही गृह पत्रिका 'वाणी' का 147 वाँ अंक प्राप्त हुआ। इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की तिमाही गृह पत्रिका "वाणी" का अवलोकन करते हुए अत्यंत प्रसन्नता एवं गर्व की अनुभूति हुई ।

यह अंक बैंक की उपलब्धियों, नवाचारों तथा सांस्कृतिक समृद्धि का उत्कृष्ट प्रतिबिंब है। प्रबंध निदेशक एवं शीर्ष प्रबंधन द्वारा दिए गए प्रेरणादायक संदेशों में बैंक की उल्लेखनीय वित्तीय प्रगति, बढ़ती लाभप्रदता, घटते एनपीए तथा डिजिटल बैंकिंग के विस्तार की स्पष्ट झलक दिखाई देती है।

पत्रिका में समाहित विविध विषय — राष्ट्र निर्माण में बैंकों की भूमिका, ईएसजी की महत्ता, जोखिम प्रबंधन, उभरती प्रौद्योगिकियाँ तथा साइबर सुरक्षा—हमारे बैंकिंग कार्यों की व्यापकता एवं भविष्य की दिशा को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करते हैं। साथ ही, हिंदी के प्रचार-प्रसार, साहित्यिक आलेखों एवं सांस्कृतिक विषयों के समावेश से यह पत्रिका सिर्फ प्रकाशन न होकर ज्ञान, विचार एवं प्रेरणा का माध्यम बन गयी है ।

इस उत्कृष्ट अंक के प्रकाशन हेतु संपादकीय टीम एवं सभी योगदानकर्ताओं को हार्दिक बधाई। यह पत्रिका हम सभी को उत्कृष्ट प्रदर्शन, टीम भावना तथा नवाचार के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी।

रवि कुमार गुप्ता
वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय विशाखापटणम

वाणी के 144वें अंक का आवरण पृष्ठ

क्यूआर कोड

इस अंक को मोबाइल पर पढ़ने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें

वाणी के 145वें अंक का आवरण पृष्ठ

क्यूआर कोड

इस अंक को मोबाइल पर पढ़ने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें

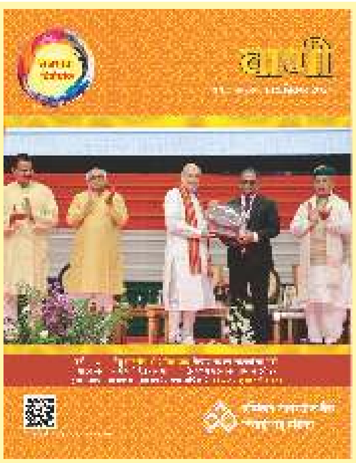

वाणी के 146वें अंक का आवरण पृष्ठ

क्यूआर कोड

इस अंक को मोबाइल पर पढ़ने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें

वाणी के 147वें अंक का आवरण पृष्ठ

क्यूआर कोड

इस अंक को मोबाइल पर पढ़ने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें

गतिविधियाँ

आइओबी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ग्राहक शिकायत निवारण में सर्वश्रेष्ठ कार्य - निष्पादन करने के लिए **श्री एम नागराजू ,** सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग के कर कमलों से पुरस्कार प्राप्त करते हुए हमारे एमडी व सीईओ **श्री अजय कुमार श्रीवास्तव**

मार्च 2026 के दौरान क्षेत्रीय प्रबंधकों के लिए आयोजित कारोबार सम्मेलन में सहभागिता करते हुए बैंक के **शीर्ष कार्यपालक गण** एवं क्षेत्रों के **क्षेत्रीय प्रबंधक**

आइओबी
आपकी प्रगति का सच्चा साथी

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank

90 FOUNDATION DAY

आइओबी
पिंक व्हील्स

एक विशेष वाहन ऋण,
जिसे महिलाओं को ड्राइविंग सीट पर
बिठाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

अधिक जानकारी के लिए स्कैन करें

- ऑन-रोड कीमत का 90% तक लोन
- कोई प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंटेशन शुल्क नहीं
- पात्रता: महिलाएं और छात्राएं (छात्राओं के लिए सह-आवेदक अनिवार्य है)
- लचीली शर्तों के साथ 6 साल तक चुकौती की सुविधा

www.iob.bank.in हमें फॉलो करें @IOBindia 1800 890 4445 | 1800 425 4445